

Library Automation

Dr. Pradeep Kumar Trivedi ¹

Abstract :- *Library is a growing organism Because of information technology (IT) information explosion in each and every field of knowledge. For expeditious retrieval and dissemination of information and better service for the clientele, application of modern technique has become absolutely indispensable. The rapid growth and uses of emerging technologies has changed the traditional library into automated, electronic, virtual and digital library. This revolution has completely changed the library scenari.*

Introduction: Education develops manpower for different levels of the economy. It is also the substrata on which research and development flourish and is the ultimate guarantee of national self-reliance. In the current context it is evident from experience, observation, study and discussion that not only educationists, scientists and technologist but also managers, planners and policy makers have recognized the necessity of information in the performance of their respective tasks. The information is widely scattered and unorganized. In order to make this information useful, one has to develop an efficient and quick system of information flow. The right information should be made available to the right person at the right time. Delayed information is of least use. With about a hundred million students, three million teachers and more than half-a-million

educational institutions, India has one of the largest educational systems in the world. In the management of such a large system, the information plays a very significant role.

No library or information centre is complete in respect of collection and met the information needs of their users at their own. The universe of knowledge is so vast that any library /information centre cannot afford to be passive in their approach to information retrieval. Judging from their activities, the existing library system seems to be passive repository library rather than action-oriented library.

Retrieve documents rather than information.

Has restrictive information activities

Has no sense of urgency in their retrieval activities.

1.Librarian and Head. Deptt. of Lib & Inf. Sc.Govt. College Barghat, Distt. Seoni

The information retrieval in the field of education is hampered by outdated methods of retrieval. All of the functions of this library tend to be operated manually. Lack of automated system burden librarian with task that is tedious and time consuming. He has very little free time to concentrate on serving

WHAT IS AUTOMATION :

Due to the information explosion, even an excellent conventional library cannot provide highly specialized information, generated from across the world without the help of computers. During the last decade, libraries have experienced significant changes in the information world. These technological changes have necessitated transition of conventional libraries to automated ones.

Definition :


The term library automation refers to the processing of certain routine clerical functions in the library with the assistance of computers and allied technologies.

educationists. In the light of these problems, there is only one way and that is establishment of a well-structured networked library/information system to provide information required by the reader, in the manner in which he wants and at the place where it is required

ALA Glossary of Library and Information Science defines automation as “The performance of an operation, a series of operations or a process by self-activating, self controlled, or automatic means. Automation implies the use of automatic data processing equipment such as a computer or other labor saving devices.”

AREAS OF LIBRAR AUTOMATION

In the context of library computerization, a library and information system may have a set of library transaction, processing system designed to provide information to library members and to support the operational, managerial and decision making information needs of library staff. These are the areas of library operations:



Kaul (1999) has given the growth of library automation can be better understood from the following table:

TABLE
GROWTH OF LIBRARY AUTOMATION

YEAR	DEVELOPMENTS
1940-1949	Semi-mechanical applications including edge-notched cards, optical coincidence, peek-a-boo cards etc
1950-1959	Use of punched cards, data processing equipments, early computers and micro image searching systems
1960-1969	Application of general purpose digital computers, feasibility studies of online interactive and advance micro image systems, experiments in library networking.
1970-1979	Design of online systems and conversion of batch systems into online mode, growth of library network and databases.
1980-1989	Intensive use of online systems, networks, mini and microcomputers, optical disks, CD-ROMs, FAX etc
1990s	Use of internet and library networks aims towards higher levels of computer application such as recording through electronic media, artificial intelligence etc.

OBJECTIVES OF THE LIBRARY AUTOMATION :

- To improve control over the library collection.
 - To have an effective control over the entire operation.
 - To share effectively the resources among various libraries at a local, regional, and national level and international level.
 - To avoid duplication and repetitive work/tasks.
 - To obtain various services of the existing staff effectively.
 - To maintain bibliographical records of all the materials, in a computerized form.
 - To provide bibliographical details through a single enumerative access point of holdings of a library.
 - To reduce the repetition in the technical processes of housekeeping operations.
 - To provide access to information at a faster rate.
 - To share the resources through library networking.
 - To implement new IT processes to provide high quality information.
- To improve the level of service and quality of output.
 - To fulfill needs that cannot be achieved by manual system.
 - Sharing of resources
 - Information that appears only in electronic format (e.g. CD-ROM, Internet resources, databases, etc.

ADVANTAGES OF LIBRARY AUTOMATION :

- Provides users with timely access to various library materials
- Eliminates routine and repetitive tasks or performs them more quickly and effectively
- Reduces the amount of time spent on material acquisition, serials, etc.
- Management, budget administration and record keeping
- Supports new means of information retrieval by introducing library users to global information
- Allows library users to use search strategies that exceed those that can be used with card catalogue
- Also allows library users to search library's collection from locating outside the library's walls
- It motivates users equip them with problem solving and information

- retrieval skill and provides them with the lifelong learning experience.
- It increases productivity in terms of both work as well as in service
- Professional staff need not spend much time to the routing work
- Eliminates human errors while performing routine library work
- Improved computer awareness among users
- Cataloguing is faster, instant access to non-records
- Excellent control over circulation

CONCLUSION :

Library is a fast growing organism .Through knowledge explosion the tremendous growth of information in every field of knowledge, traditional library is not much capable to handle the

vast amount of information .In that situation modern technology is more helpful and effective to manage and organize information according the need and requirement of different type of users. Library automation in this age is necessary for libraries to satisfy.

REFERENCES :

1. Ceri, Stefano and Pelagatti, Giuseppe. Distributed Databases: Principles & Systems; McGraw-Hill : New Delhi, 1985
2. Ravichandra Rao (I.K.), Library Automation, New Age International, New Delhi, 1990.
3. Samantaray, Moortimatee., Automate your library, Library Herald, Vol. 45 No. 1, March 2007
4. Jain, M.K. Library Manual; Shipra; Delhi, 1999
5. Satyanarayana, N.R. A manual of computerization in libraries; Wishwa Prakashan : New Delhi, 1995

Iran China Bonhomie: Challenging the US hegemony

Jay Shree Dixit¹ - -Aijaz Rasool²

Abstract : *This paper will focus on the escalating tensions between US on one side and China and Iran on the other side. It will also inquire about the Iranian antagonism against the American Interests determined by its revolutionary Shia crescent to which its ally and the emerging superpower People's Republic of China wants to undermine the US interests in the region while at the same time furthering its own.*

Key Words: Hegemony, Axis, Nuclear, Energy,

Introduction : The present global context is characterized by a military build-up by single World superpower, which is using its numerous allies to trigger regional wars. In contrast to the Second World War which was a conjunction of separate regional war theaters with the communications, technologies and weapons systems of the 1940's, there was no strategic 'real time' coordination in military actions between broad geographic regions.

The situation is however different now. Presently, the lone super power, USA, is arming its allies at every geographical portion to keep a tab on what the US calls 'Axis of evil'. Among them, Iran, these days, occupy a primary position. The situation for Iran is turning bitter now because the United States is alleging that Iran is enriching

its uranium facility for the purpose of making a nuclear bomb or what can be called in other terms the mass destructive weapons, in arms control usage, "weapons that are capable of a high order of destruction and/or being used in such a manner as to destroy large number of people, these can be nuclear, chemical, biological and radiological weapons." Also, China is no more silent in arming and assisting Iran as being its real-time partner and a hostile of US hegemony in the region.

Deterring a Nuclear Capable Iran :

Now-a-days, the US is active in deterring Iran's capability of becoming a nuclear country in the West Asia on the pretext that it will act in the region as a factor of destabilization and led the region towards a nuclear threshold.

¹ Jay Shree Dixit_HOD Political Science Hawabagh Women's

² Aijaz Rasool Department of Political Science RDVV Jabalpur (M.P.)

This will escalate the possibilities of war with its closest ally the Israel. So for the purpose of safeguarding its interests in the region and for the security of Israel, United States will never tolerate that Iran could develop a nuclear weapon.

Presently, West Asia sans a nuclear powered country, which according to many, is a basic factor of foreign intervention in the region. The western world particularly the US is exploiting this opportunity in consolidating its control on the regions natural resources particularly the gas and oil wealth. For the purpose of regional stability, and for its own self-interests, the United States would like to see this condition maintained.

On the other side, western media is beating the drums of war. The purpose is to instill within people's inner consciousness, that the Iranian threat is real and that the Islamic Republic should be 'taken out'. It can also be said that United States has declared a media war or in other terms a fourth generation war against the Islamic Republic of Iran. The EU measure, which came into effect in July 2012, ended European purchases of Iranian crude, and has since decreased Tehran's oil exports to its Asian customers from between 10 to 30 percent by which Iran is also engaged in a smart economic war with the enemy. In response to whistle blower website Wikileaks the former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said, "The material was not leaked but rather released in an organized effort to declare a psychological warfare."¹ According to

the International Atomic Energy Agency (IAEA), Iranian exports in November were estimated at 1.3 million barrels per day, down from nearly 2.3 million in the year 2011. In 2012 a number of Iranian lawmakers and government officials predicted that the drop in oil revenues will shrink the budget for the next Iranian calendar year, starting on March 21, 2013. In early September, Ahmadinejad acknowledged that Iran had "some problems" in selling its oil because of the sanctions.²

On December 13, the US Treasury Department also imposed further sanctions on seven Iranian companies and five nuclear experts for contributing to the country's nuclear energy programme. At the beginning of 2012, the United States and the EU imposed new sanctions on Iran's oil and financial sectors with the goal of preventing other countries from purchasing Iranian oil and conducting transactions with the Central Bank of Iran. The illegal US-engineered sanctions were imposed based on the unfounded accusation that Iran is pursuing non-civilian objectives in its nuclear energy program. Iran rejects the allegations, arguing that as a committed signatory to the nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and a member of IAEA, it has the right to use nuclear technology for peaceful purposes. In addition, the IAEA has conducted numerous inspections of Iran's nuclear facilities but has never found any evidence showing that Iran's civilian nuclear programme has been

diverted to nuclear weapons production. As being an autonomous and sovereign

fully for furthering its development process without any external intervention. But it can also be said that the revolutionary Islamic country is currently a strongest West Asian military power and has a great desire to lessen the western influence in the region. It seeks to affirm the model of its revolution by seeing its adoption elsewhere, both as a means of achieving greater power abroad and by applying its policies of hostility against the arrogant western powers. Hence, by acquiring a nuclear arsenal can not only strengthen the Iran's self-confidence, but it also can provide it with the tools to make its national power more competitive at the international level.³

Disturbing Provocations of China :

At present China is Iran's top trade partner and Beijing has publicly criticized the US-led sanctions against Tehran over its nuclear energy program. Western experts are of the opinion that China and Iran, two regional powers, share a strategic vision and, according to Ilan Berman, vice president of the American Foreign Policy Council, "Both are determined to find ways to contain US power and a unipolar world. The growing relations between the two states pose potential challenges to US hegemonic interests in the region and the persuasion of Chinese political interests."⁴

country in the international arena, the Islamic Republic has the right to act

The United States increasingly pointing at China as the next biggest challenge to Pax-Americana and the Iran-China energy cooperation can be interpreted as precarious sign of emerging new trends in an area considered vital to US national interests. The US-China wrestling match over the South China Sea issue has raised the stakes in deciding who the real future ruler of the planet will be." But on the other side the US has military cooperation agreements with a number of South East Asian countries including Singapore, Vietnam and Indonesia, involving "military aid" as well as the participation in US-led war games in the Pacific. These agreements are supportive of weapons deployments directed against the People's Republic of China. The US Unified Command structure is divided up into geographic Combatant Commands is predicated on a strategy of militarization at the global level. Any planned attack on Iran will be verily part of a coordinated global military road map and a part of the Pentagon's "long war", a profit driven war without borders, a project of World domination, under a sequence of military operations.

The US Military has bases in 63 countries and brand new military bases have been built since September 11, 2001 in seven countries. In total, there are nearly 255,065 US military

personnel deployed worldwide. This network of US Military Bases, are the signs of that World War III is terminal.⁵ The media, the intellectuals, the scientists and the politicians, in chorus, concealing the untold truth, namely that the use of nuclear warheads leading the humanity towards destruction, and that this complex process of gradual destruction has already commenced as a humanitarian endeavor. According to the Albert Einstein, the breakout of a nuclear war can certainly result in the extinction of life on earth, which has already started with the radioactive contamination resulting from depleted uranium. It is expected that with what weapons World War III will be fought, so it can be said with the firm conviction that the World War IV will be fought with the sticks and stones.

Conclusion :The increasing instability in the region of Middle East is opening doors for enduring US Iran

hostility. While Iran seeks to extend the revolutionary crescent across its borders, the United States seeks to stabilize its client governments in the region. The circumstances might be exploited by the china by replacing US grip by extending its own interests which probably culminate into a war.

References:

1. Einstein, Albert. A New Earth of Peace and Love is Possible!, The Moment of Truth Series #22: Active and Responsible, Aug 04 2010.
2. <http://issuu.com/kuwaitnews/docs/18122012>
3. Jamil. Arshmah, Inside the mind of Viladimer Putin, Pakistan, Shafaqna News, Tuesday 30 12 2104.
4. Hameed, Radhida. Sino-Iran Relations: Current developments and future Scenario, Institute of Policy Studies Islamabad, June 2010
5. Dufour Jules, The Worldwide Network of US military Bases: The Global Deployment of US Military Personnel, Global Research, Nov 15 2014.

Ecosystem Management

Smt. Chanchala shiv¹

Introduction : The rapid development of science and technology, increasing human activities, and the proliferation and diversification of biotic and abiotic components have advanced human life on one hand, but at the same time had opened the Pandora box. The issue of climatic change, global warming, deforestation, soil erosion, depletion of Ozone Layer, pollution are appendage of modern society, thus creating a disturbance in Ecosystem. The hazardous effects of these problem in present and in a most disastrous form in future, mobilized the global society to take some sincere and prompt actions to nullify the adversities caused by these problems. In this context, lot many efforts have already been made scientists, researchers, academicians and society at large. Amongst all such efforts the evolving concept of ecosystem management is the focus of much current debate. Ecosystem is integration of five specific objectives; maintaining viable populations, ecosystem representation, maintain ecological process, protecting evolutionary potential of species and

ecosystems and preserving biological diversity. Ecosystem management is a fundamental reframing of how humans may work with nature.

Objective: The hypothesis is complimented by certain objectives in pursuing the research work.

The objectives of paper are-

- To create a better understanding of “Ecosystem Management”.
- To study the critical factors causing ecosystem changes.
- To explore the hazardous consequences of E- Waste.
- To critically analyze Green Policy.
- To contribute something valuable to the global society by coming forward with some workable suggestions and mechanisms.

Sufficient Literature has been produced in the form of book, research papers, policy documents etc. on the chosen topic. In pursuing my work I referred to wide range of some specific literature referred by me.

¹ *Research scholars in Zoology RDVV Jabalpur MP*

Hawber Richard, Franklin Jerry in his research work entitle, “*Perspectives on Ecosystem Management*” gives a detailed account of Ecosystem Management and the technique and process involve in it.

“*What is Ecosystem Management*”. Have made critical analysis of various models of Ecosystem Management. Secondly he evaluated various parameters of ecological management.

Lackey T Robert in his policy document entitled “*Seven Pillars of Ecosystem Management*” has come up with some scientifically based recommendation to ameliorate the components of Ecosystem Management.

Venkat Kirthi in his research paper entitled “*Emergence of Green Policy in India*” has made the scientific assessment of green policy in India in terms of its objectives, strategies and actions.

Ecosystem Management

The new generation of environmental issues confronting us is defined by greater political, economic, social and even cultural complexity. These issues include difficult scientific questions, such as appropriate scales for resource. The first four of these goals are value statements derived from current scientific knowledge that aim to reduce the biodiversity crisis. The fifth goal acknowledges the vital role that people

management, thorny administrative matters, such as inter and intra governmental relations; the problem involve in resource based economies etc. To address all these issues, ecosystem management emerges as a prominent recent policy alternative. At global plane approximately 80 nations are currently exploring the concept and its implications for their activities. Each of the major land and natural resource management agencies has drafted policy guidance regarding ecosystem management approaches. Ecosystem management is an integrated approach involving not merely a scientific issue, also the social, political, economic cultural and ecological issues.

Goals Of Ecosystem Management

Setting clear goals is crucial to the success of ecosystem management.

- Maintain viable populations of all native species.
- Represent, within protected areas, all native ecosystem types across their natural range of variation
- Maintain evolutionary and ecological processes
- Manage over periods of time long enough to maintain the evolutionary potential of species and ecosystems.
- Accommodate human use and occupancy within these constraints.

have to play in all aspects of the ecosystem management debate

Principles of Ecosystem Management

In common parlance, Ecosystem Management is taken as the modern and progressive way of managing natural resources and ecosystems. The advocates of ecosystem management

- Ecosystem management reflects a stage in the continuing evolution of social values and priorities.
- Ecosystem Management is place- based and the boundaries of the place must be clearly and formally defined.
- Ecosystem Management should maintain ecosystem in the appropriate condition to achieve desired social benefits.
- Ecosystem management should take advantage of the ability of ecosystems to respond to a variety of stressors, natural and man made
- Ecosystem management may or may not result in emphasis on biological diversity.
- The term sustainability, if used at all in ecosystem management, should be clearly defined.
- Scientific information is important for effective management .

describe it as an approach that will protect the environment maintain healthy ecosystems, preserve biological diversity, and ensure sustainable development. The operational meaning

The integration of ecosystem principles gives a broader definition of ecosystem management i.e.,

“The application of ecological and social information, options and constraints to achieve desired social benefits within a defined geographic area and over a specified period”. The seven core values of ecosystem management collectively define and bound the concept of ecosystem management. The concept turns out to be useful will depends on how well its application reflects a collective societal vision. Now the question arises whether it is possible to develop a collective societal vision in a diverse, multi cultural, polarized society. In this context, the rate of scientific information will continue to become more prominent in ecosystem management .

"E-waste" is a popular, informal name for electronic products nearing the end of their useful life. E-wastes are considered dangerous, as certain components of some electronic products contain materials that are hazardous, depending on their condition and density.

Now e-waste represents the biggest and fastest growing manufacturing waste in

the world. It is one of the rapidly growing [environmental problems](#) of the world. In India, the electronic waste management assumes greater significance not only due to the generation of our own waste but also dumping of e-waste particularly computer waste from the developed countries. *Many of these products can be reused, refurbished, or recycled in an environmentally sound manner so that they are less harmful to the ecosystem.*

Electronic waste, popularly known as 'e-waste' can be defined as electronic equipments / products connects with power plug, batteries which have become obsolete due to:

1. Advancement in technology
2. Changes in fashion, style and status
3. Nearing the end of their useful life.

"E-waste" is a popular, informal name for electronic products nearing the end of their "useful life. Electronic waste or e-waste is one of the rapidly growing [environmental problems](#) of the world. But if proper measures are taken than E-waste can best be managed.

The Collection and Treatment of waste electric and electronic products is called E-Waste Management.

Current practices of E Waste Management provides an understanding of policy, laws, regulation and

institutional framework related to E Waste Management. Countries like Europe and Japan have been the frontrunner in formulating policies, laws and regulations for E Waste followed by their institutionalization and implementation.

E-waste Treatment & Disposal Methods

- (a) Land filling:
- (b) Incineration:
- (c) Recycling of e-waste:
- (d) Re-use:

The hazardous impact of E Waste on environment has forced the international community to devise some models specifically for tackling the E-Waste.

"Extended Producer Responsibility" or "Product Take Back" forms the basis of Policy framework in developed countries. This model provides a regulatory basis for collection, recovery and recycling targets in EU. In this the producers are responsible for E-Waste Take Back. These European countries which are not part of EU either follow EU directive or more stringent standards based on E-Waste Management.

Institutional mechanism for E-Waste Management has been described in terms of three elements like collection systems, national registry and logistics.

The collection is a system which is responsible for collection, recycling and financing of all or major part of E-Waste within national boundaries. This is the general approach in the countries with established E-Waste system. i)

The clearing house system is a system in which multiple partners (producer, recyclers and organizations) can provide services on a competitive basis. The government ensures that is a register of producers and it defines the allocation mechanism nad reporting and monitoring system. ii) iii)

India has long been a destination for the dumping of E-Waste from developed countries but also has a very rapid growing domestic electronic industry, making national legislation that tackled both E-Waste imports and domestically produced electronics India, at present, iv)

An ingredient to Ecosystem management. Liberalisation of Indian Economy resulted in urbanization, industrialization, wealth generation consumerism etc. This led to an increase in the demand for processed goods and commodities resulting in the over exploitation of natural resources. This marked the start of major environment degradation in India.

In order to cope up with these problems, the policy makers in India responded by integrated and viable policy approach. This new perspective of tackling with environmental issue is called as Green

Policy. The Green Policy in India composes of following strategies and actions.

Regulatory Reform : Includes a legislative framework and set of regulatory institutions th—take into account a host of sectoral and non-sectoral law and non- sectoral laws and polices.

Substantive Reform : Cover issues related with environmental clearance, biotechnologically modified organism, sensitive zones and monitoring of compliance.

Enhancing and conserving environmental resources. Natural resource include land, water, air, ecosystems, forests, wildlife, biodiversity, natural heritage, traditional and cultural values and coastal resources.

Environmental standards, management systems certification and indicators. To set a minimum level of permissible disposal and to ease the burden of monitoring and enforcing environmental standards.

Conclusion:- In practice however, Management approaches have often focused on maximizing short- term yield and economic gain rather than long-term sustainability. Several obstacles contribute to this disparity, including: 1) inadequate information on the biological diversity of environments; 2) widespread ignorance of the function and dynamics of ecosystems; 3) the openness and interconnectedness of ecosystems on scales that transcend

management boundaries; 4) a prevailing public perception that the immediate economic and social value of supposedly renewable resources outweighs the risk of future ecosystem damage of the benefits of alternative management approaches. The goal of ecosystem management is to overcome these obstacles. Ecosystem management includes the following elements: 1) Sustainability. Ecosystem management does not focus primarily on deliverables” but rather regards intergenerational sustainability as a precondition. 2) Goals. Ecosystem management establishes measurable models and understanding . Ecosystem management relies on research performed at all levels of ecological organization. 4) Complexity and connectedness. Ecosystem management recognizes that biological diversity and structural complexity strengthen ecosystems against disturbance and supply the genetic resources necessary to adapt to long- term change. 5) The dynamic character of ecosystems. Recognizing that change and evolution are inherent in ecosystem sustainability, ecosystem management avoids attempts to freeze” ecosystems in a particular state or configuration. 6) Context and scale. Ecosystem processes operate over a wide range of spatial and temporal scales, and their behavior at nay given location is greatly affected by surrounding systems. Thus, there is no single appropriate scale or time frame for management. 7) Humans as ecosystem components. Ecosystem

management values the active role of human in achieving sustainable management goals. 8) Adaptability and accountability. Ecosystem management acknowledges that current knowledge and paradigms of ecosystem function are provisional incomplete, and subject to change.

Suggestion :- Over time scales of decades or centuries, many landscapes are altered by natural disturbances that lead to mosaics of successional patches of different ages. Such patch dynamics are critical to ecosystem structure and function. Uncertainty, surprise, and limits to knowledge. Ecosystem management acknowledge that, given sufficient time and space, unlikely events are certain to occur. Adaptive management addresses this uncertainty by combining democratic principles, scientific analysis, education, and institutional learning to increase our understanding of ecosystem processes and the consequences of management interventions, and to improve the quality of data upon which decisions must be made. Ecosystem management seeks to maintain biological diversity as a critical component in strengthening ecosystems against disturbance. Thus, management of biological diversity requires a broad perspective and recognition that the complexity and function of any particular location is influenced heavily by the surrounding system. Ecosystems are dynamic in space and time. Ecosystem management is challenging in part because ecosystems are constantly changing.

References :

1. Ramesh Chandrappa and Ravi. D. R, “ Environmental Issues, Law and Technology – an Indian Perspective” Research India Publication, Delhi, 2009 ISBN-978-81-904362-50
2. Divans and Rosencranz A. 2001, Environmental law and policy in India, cases, material, and statutes, 2nd edition, New York: Oxford University press.
3. Gupta S. (1999). Country Environment review, policy measures for sustainable development. Discussion Paper, October 1999, Delhi School of Economics, New Delhi.
4. Ghosh (2011) E-Waste law- Aviskar Publication, New Delhi.
5. Basant Kumar Sahu and Vinod Kumar Sharma, Sustainable Development : Principles And Challenges In Developing Economies, International Journal for Sustainable Innovation, Vol. 1 No.1, Jan 2011.
6. Vinod Kumar Sharma, Peiter Van Beukering : Environmental And Economic Policy analysis of Waste Paper Trade And Re Cycling In India, 21.21 No.1, 55-70,1997.
7. Jyoti Parikh And V.K. Sharma : Economic and Polocy Analysis of Trade And Environmental Linkages In India, Journal of India Association of Environmental Management Vol. 23, No.2, June 1996.
8. www.greenpeace.org/international/en/
9. www.businessstandard.com
10. www.futuregov.asia

A Critical Review of Researches Conducted on Retail Banking Marketing

*Dr. Parag Pateria*¹ . *Dr. Dilip Singh Hazari*²

Introduction: Hard Core Marketing by service industries has started gaining momentum, particularly in case of marketing by commercial banks in India, the liberalization, privatization and globalization of the financial sector since last decade of last millennium has compelled all the players to redefine business lines and customers aspirations in globalised environment and strategically to think how to stay ahead in the photo finish of existing business performance.

SERVICE MARKETING : A thorough study by George William R and Hiran C Barksdale (1974) on the marketing activities of the service firms found that services marketing were generally on the low priority during 1970s of last century. Service firms mostly inclined to be emphasizing less on marketing orientation; less likely to have created a formidable marketing mix activities carried out in the marketing division and less likely to

Marketisation in banks since then has become imperative for survival and success.

EARLIER STUDIES : Marketing of financial services by banks has become conjecture among academicians, banking personnel and customers. Surveys and researches have been conducted both by academic researchers and practitioners on the various facets of services marketing in general and financial services marketing by banks in particular both in India as well as oversea

have invested much on marketing, as a percentage of gross sales.¹

A research study by Bessom, Richard M and Donald W Jackson Jr (1975) of 400 services and marketing firms revealed that service firms are less likely to have marketing divisions, to make use of sales planning and training, and to employ marketing professionals like consultants, advertising firms and market research agencies.²

1. Professor, Faculty of Management, Global Institute of Engineering & Management, Jabalpur
2. Principal, Maharashtra Institute of Higher Education, Jabalpur (M.P.)

James F Devlin (2000) studied as to how numerous attempts can be invoked in order to add value when offering intangibility in the eyes of most consumers. In addition to this, price was perceived to be significantly more crucial in adding value to more simple, rather than complex, offerings.³

CHARACTERISTICS OF SERVICES : Anne M Smith (1990) studied the as to how the four fundamental characteristics of services such as intangibility, inseparability; heterogeneity and perishability affect clients' perceptions on quality of service from banks.⁴

FINANCIAL SERVICES MARKETING : Sankaran M (1999) researched on the measures that would help domestic players in financial services sector to improve upon their competitive efficiency, and study found that the specific set of sources of sustainable competitive advantage relevant for Financial Service Industry are: a) product and process innovations, b) brand equity, c) positive influences of "Communication Goods", d) corporate culture, e) experience effects, f) scale effects, and g) information technology.⁵

- ✓ Lack of Management Support
- ✓ Lack of Interdepartmental Cooperation
- ✓ Crisis Management
- ✓ Government Intrusion
- ✓

Advertising and Media Problems T G Nair (1992) in his study depicted the growth and expansion of Financial Services industry in India. Banks, for

services exhibit in increased complexity, intangibility and

Trevor Watkins (1989) in his study on the current state of the financial services industry globally, identified four major trends: a) the trend towards financial conglomeration; b) globalization; c) information technology in bank marketing; and d) new approaches to financial services marketing.⁶

Marisa Maio Mackay (2001) examined whether or not differences exist between service and product markets, which warrant different marketing practices by applying ten existing consumer based measures of brand equity to a financial services market. The results showed that most measures were convergent and correlated highly with market share in the predicted direction.⁷

BANK MARKETING : In Berry, Kehoe and Lindgreen's study (1980) it was found that most frustrating aspects of bank marketing were:

overcoming the competition from other agencies, are providing a wide range of services. An awareness of the need for customer satisfaction. The findings stress greater need for a change in the attitude, especially in the case of the front counter staff, field staff and sales force of the bank, towards the customers.⁹

CUSTOMER NEEDS :Geiger's (1975) study was done to examine the needs of customers. Social structure of the bank's customers and the image that the customers carried of the banks were studied along with customers' judgment of the range of services that the banks had to offer, the effectiveness of various advertising and other sales promoting measures, and the customers' will to save and other habits.¹⁰

The study by Syed Asad Akbar (1990) found that there is a pressing need for a more customer-oriented approach to bank marketing, and more emphasis on improved marketing strategies..¹¹

Lewis and Birmingham (1991) studied the needs, attitudes and behaviour of youth market for financial services and inferred the youth market is not homogenous in terms of needs and behavior.¹²

Boyd *et al* (1995) conducted a study on consumer choice criteria in financial institution selection in USA and found that reputation and interest rates (lending/borrowings) more important than friendliness of employees, modern facilities and drive - in - service.¹³

Rajagopla Nair (1997) in his study on rural bank marketing found that security and liquidity are the major pre-requisites for deposits by rural customers and that interest rate on deposits is not at all a criterion for rural bank depositors.¹⁴

Huu Phuong Ta and Kar Yin Har (2000) studied bank selection preferences of

undergraduates in Singapore. In this study, nine criteria for bank selection decision and five banks were identified, and the decision problem structured into a usage-level hierarchy using the Analytic Hierarchy Process. The findings indicate that undergraduates place high emphasis on the pricing and product dimensions of bank products.¹⁵

PRODUCT : National Institute of Bank Management's study on deposit mobilization (1969) deduced that mobilization of resources is one important facet of the various services rendered by banks. Banks should categorise depositors into various marketable segments and take serious measures to market financial services to them.¹⁶

PLACE : In Dossier's study (1973) it indicates that banks should not open a branch without prior assessing market potential and determining the cost to be incurred to obtain a sufficient market share.¹⁷

A study by Meidan (1976) revealed that nearly 90 percent of the respondents banked at the branch nearest to their home place or place of work beside convenience and location were also found to be the single most important factor for selecting a branch.¹⁸

Ron Laursen and Ron McTavish (1994) in their research inferred that workplace banking ,the provision of banking services to company employees at their

place of work - was attractive to employers and employees and that they utilized the services to a greater extent.¹⁹

PEOPLE : Peter W Turnbull (1982) puts the branch bank manager in the central position in the business in respect of the marketing efficiency of the banks at the local level. The study found three reasons which underline the lack of marketing orientation: motivation, ability and time, and says that banks need to move quickly to ensure that branch bank managers can speedily meet the challenges.²⁰

PROMOTION : A study carried by Preston *et al* (1978) indicates that there is no significant difference between the retention rates of premium-attracted and of non-premium offered deposit accounts consequently, the conclusion is that customers attracted by a free premium were just as loyal as those customers attracted by a lower price banking service premium.²¹

Chidambaram (1994) in his study concludes that a good promotional mix is one that a) takes into consideration the objectives of the bank and lays emphasis on those services which are of current significance, b) reaches different customer segments very effectively, c) creates a desire to seek out the services offered, d) builds a positive image for the bank, and e) strike a balance between cost and effectiveness.²²

F G Crane (1990) using a case study analysis method, found that corporate advertising should be an integral component of the marketing communications program of a financial services institution.²³

ADVERTISING : In Rayburn's study (1978) it was suggested that the core purpose of the advertising and promotional functions is to create branding for the bank's services and to build and maintain goodwill towards the organization.²⁴

Subba Rao (1982) conducted a study to find out the extent of influence of different media of advertisement and different forms of personal selling on the deposit mobilization by commercial banks both in urban and rural areas.²⁵

Singh J. D. (1983) in his study explored the trends in bank advertising in the seventies in India. The study found that the bank advertisements were created seemingly for the sake of advertising rather than for creating the market or serving the customer satisfactorily.²⁶

IMAGE BUILDING : Karur Vysya Bank (1989) undertook a study on the image of the bank and the study disclosed that the success of bank marketing depends on building a bank image in the minds of the customers.²⁷

Leonard and Spencer (1991) studied the importance of bank image as a competitive strategy for bolstering customer traffic flow.²⁸

Henry A Laskey, Bruce Seaton and J A F Nicholls (1992) estimated the effectiveness of alternate ways of bank advertising, the alternative forms of which differ in terms of main message content strategy and overall method of presentation (structure). The study also examined the relative effects of only verbal advertisements compared to those that combine both pictures and words.²⁹

MARKETING COMMUNICATION

: Andersen P.H. (2001) studied marketing communication using three classical rhetorical elements, and discovered communication process as developing an understanding of the communicator's intentions and qualities (ethos) and the communication climate (ethos) both of which are necessary for engaging in constructive dialogues with customers (logos).³⁰

MARKETING TECHNIQUE : A research on marketing techniques by Hussain, Farhat Dr. (1987) found that in particular, the banks must apply marketing techniques in the following areas: a) Identifying the present and future needs of the market for services both for deposits and lending, b) Selecting the markets the banks want to serve and identifying the needs of the target group, c) Setting up of targets for existing services and introducing new service, d) Persuading customers to use the services at the profit to the bank, e) Deciding best locations for new

branches and f) Expanding internationally.³¹

Ashok Kumar (1991) made a successful go at reviewing and assessing the extent of application of marketing concepts and techniques in the banking sector.³²

MARKET SEGMENTATION : The real need of market segmentation was investigated by Laurent (1979) by employing a factor analysis concentrated on five banks that differed from each other on seven main attributes such as friendliness, quality of service, community spirit, novelty of facilities, convenience, range of services and ownership.³³

Laroche, Rosenblatt and Manning (1986) studied divergent demographic segments to find the services used and factors considered important in selecting a bank. Key findings included importance of location convenience, speed of service, competence and friendliness of bank personnel.³⁴

Ricky Yee-Kwong Chan (1993) conducted a study on the banking behaviour of college students that confirmed several findings from western countries like limited banking demand of students, popularity of split banking in account ownership, price consciousness of students, and importance of locational convenience and on-campus promotion.”³⁵

In a study by Clifford J Schultz and Russ Alan Prince (1994) the factors that predict the successful sale of financial services to affluent investors were gone into, by collecting data using a new set of scales that measure trails, selling strategies, and compliance gaining tactics..³⁶

Raj Singh Minhas and Everett M Jacobs (1996) applied benefit segmentation by factor analysis on group customers in relation to their particular attitudes and behaviour instead of geographic, demographic, socio-economic, and psychological characteristics to segment the market for financial services.³⁷

Achim Machauer and Sebastian Morgner (2001) studied the use of segmentation by demographic factors in bank marketing and found that the correlation of such factors with the needs of customers is often weak.³⁸

Niels Peter Molls (1999) in his study found that the bank customers may be divided into an Internet banking segment and a Branch banking segment and that the former is growing and the latter is declining, necessitating the development of technology in bank marketing.³⁹

TECHNOLOGY : In their study 'Services Marketing - Challenges and Strategies'; Dr. Chidambaram and Ms. K. Alamelu (1996) suggested that banks should become technology friendly. By investing in technology a bank can carve a niche for itself.⁴⁰

Gaston Leblanc (1990) studied customer motivations towards the use and non-use of Automated Teller Machine (ATM) customers of a financial institution. An analysis of results based on demographic variables revealed significant differences between users and non-users in terms of education only.⁴¹

Robert Rugimbana and Philip Iverson's study (1994) was to determine the association between consumer ATM usage patterns and their perceptions of ATM attributes by identifying those variables that distinguish users and non-users.⁴²

Mathew Joseph, Cindy McClure and Beatriz Joseph (1999) explored the application of technology in the delivery of banking services as it is being used to reduce costs and eliminate uncertainties. Results indicated that consumers have perceptual problems with some aspects of electronic banking.⁴³

Mark R Nelson (1999) studied the trends and patterns surrounding the interface between the marketing and information services functions within the financial services industry. It was found that many banks lack alignment or integration amongst their marketing and information services functions.⁴⁴

The study by Ali Yakhlef (2001) found that as more and more of the transaction processing load is taken over by technology, banks are concentrating on strengthening their marketing approach

and re-discovering their business models.⁴⁵

RETAIL BANKING : Bill Stephenson and Julia Kiely (1991) researched into the key issues faced by banks in order to become better at selling in the personal banking market. The results indicate that the radical change in management style, training, motivation and recognition of branch sales personnel is an immediate need.⁴⁶

James F Devlin (1995) studied the developments in the distribution of retail banking services in the UK, using the case study of First Direct, a wholly owned subsidiary of Midland Bank that successfully introduced telephone-banking service.⁴⁷

STRATEGY : A study by Hughes (1969) had revealed that banks used various benchmarks for measuring the degree of success of a branch marketing strategy - dollar volume of deposits, market share of deposits, the number of depositors and the share of the depositors.⁴⁸

Ravisankar T S (1985) in a study on 'Marketing Strategies and Planning for Business Growth in Banks' discusses that the marketing plan for banking services must be supported by appropriate marketing strategies.⁴⁹

NIBM (1986) conducted a major survey to determine the behaviour of households and to design appropriate marketing strategies for deposit mobilization and found that banking is

largely a habit of literate Indians. Most of the non-bank savers is illiterates. The extent of awareness of bank deposit schemes is quite low among rural non-bank savers.⁵⁰

CONCLUSION : Almost all studies reviewed above highlight that significant studies have been made in various parts of the world on the pivotal role of various aspects of marketing of financial services. However, there is a paucity of research studies conducted to evaluate the marketing strategies of financial services by retail banks, especially in the context of financial sector reforms, which has brought paradigm shift in the way financial services are marketed by commercial banks. In this context, a systematic study taking the selected public sector and private sector banks of Chhattisgarh - as a research study assumes relevance and deserves deeper academic attention.

REFERENCES :

1. William, George R and Barksdale Hiran C. (1974), 'Marketing Activities in the Service Industries', *Journal of Marketing*, 65-70.
2. Bessom, Richard M, and Donald. Jackson Jr. D. (1975), 'Service Retailing: A strategic Marketing Approach', *Journal of Retailing*, 75-84.
3. Delvin, James F (2000), 'Adding value to retail financial services', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol 18, No.5, 222 -232.
4. Smith, Anne M (1990), 'Quality Aspects of Services Marketing', *Marketing Intelligence & Planning*, Vol 8, No 6.

5. Sankaran M (1999), 'Creating and Sustaining competitive advantage: Financial Service Industry in India' *Indian Management*, 83-89.
6. Watkins, Trevor (1989), 'Bank Marketing: Current Issues, Trends and Developments' *Marketing Intelligence: A Planning*, Vol.7, No.9.
7. Mackay, Maio Marisa (2001), 'Application of brand equity measures in service markets', *Journal of Services Marketing*, Vol 15, No 3, 210-221.
8. Berry L.L.; Kehoe W.J. and Lindgreen J. H. Jr (1980), 'How Bank Marketers View Their Jobs', *The Bankers' Magazine* (USA), Vol.163, No.6, 35-40.
9. Nair T.G. (1992), 'New dimensions in Marketing', *Financial Express*, 7.
10. Geiger H (1975), 'Standard Surveys for Analysing Local Bank Competition: In The Use of Market Research in Financial Fields', *ESOMAR*, 85-95.
11. Akbar, Syed Asad (1990), 'Bank Marketing - Some Issues', *IOB MNR*, Vol 4, No 12, 20-22.
12. Lewis B.R and Birmingham. Q. H. (1991), 'The youth Market for financial services', *International Journal of Bank Marketing*, 9(2), 3-11.
13. Boyd W.L.; Leonard M and White C. (1994), 'Customer preferences for Financial Services: An analysis', *International Journal of Bank Marketing*, 12(1), 9-15.
14. Rajagopala Nair (1994), 'Rural Bank Marketing in Kerala', *Published Doctoral Dissertation*, University of Kerala.
15. Huu Phuong Ta and Kar Yin Har (2000), 'A study of bank selection decisions in Singapore using the Analytical Hierarchy Process', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol. 18, No. 4, 170 - 180.
16. National Institute of Bank Management (1969), '*Deposit Mobilization*', Bombay.
17. Rossier J. A. (1973), 'The Coming Crisis in Bank Management', *The Bankers' Magazine*, 7-9 and 53-57.
18. Meidan A (1976), 'Branch Managers Attitude on Bank Objectives and Operations'. *Proceedings of the European Academy of Advanced Research in Marketing Conference, France: Insead*, 215-228.
19. Laursen Ron and McTavish Ron (1994), 'Is Workplace Banking Feasible?', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.12, No.2, 3-14.
20. Turnbull, Peter W. (1982), 'The Role of the Branch Bank Manager in the Marketing of Bank Services', *European Journal of Marketing*, Vol. 16, No. 3, 31-36.
21. Preston R.H.; Dwyer I.R. and Rudelius (1978), 'The Effectiveness of Bank Premium', *Journal of Marketing*, Vol.42, No.3, 91-96.
22. Chidambaram R. M. (1994), 'Promotional Mix for Bank Marketing', *IBA Bulletin*, Vol 16. No 3, 24-26.
23. Crane. F.G. (1990), 'The need for Corporate Advertising in the Financial Services Industry: a Case Study Illustration', *Journal of Service Marketing*, Vol.4, No.2.
24. Rayburn L.G. (1978), 'Cost Standards for Bank Advertising', *The Bankers' Magazine USA*, Vol.161, No. 4, 33-38.
25. Subba Rao, P. (1982), 'Commercial banks and deposit mobilization - A survey', *Prajnan*, Vol XI, No 3.
26. Singh, J. D. (1983), 'Bank advertising in India-1971-1980', *Prajnan*, Vol XII, No. 4.
27. Karur Vysya Bank Ltd. (1989), "*Study on the image of the Bank*"
28. Leonard, M. and Spencer, A. (1991), 'The Importance of Image as a Competitive Strategy: An exploratory study in Commercial Banks', *International Journal of Bank Marketing*, 9 (4), 25-29.

29. Laskey; Henry A.; Seaton, Bruce and Nichools, J.A.F. (1992), 'Strategy and Structure in Bank Advertising: An Empirical Test', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol 10, No 3.
30. Andersen, P.H. (2001), 'Relationship development and marketing communication: an integrative model', *The Journal of Business and Industrial Marketing*, Vol.16, No.3, 167-183.
31. Hussain, Farhat Dr (1987), '**Public Sector Commercial Banking in India Development Constraints: Recent trends**', New Delhi: Deep & Deep publication.
32. Kumar Ashok (1991), 'Marketing Strategies in the Banking Sector', *IBA Bulletin*, Vol No.6, 13-14.
33. Laurent, C. R. (1979), 'Image and Segmentation in Bank Marketing', *The Bankers Magazine (UK)*, 32-37.
34. Laroche, M.; Rosenblatt, J. A. and Manning, T. (1986), 'Services used and factors considered important in selecting a bank: An investigation across diverse demographic segments', *International Journal of Bank Marketing*, 4(1).
35. Ricky, Yee-Kwong Chan (1993), 'Banking Services for young Intellectuals', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.11, No.5.
36. Schultz, Clifford J. and Price, Alan Russ (1994). 'Selling Financial services to the affluent', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.12, No.3, 9-16.
37. Minhas, Raja Singh and Jacobs Everett M. (1996), 'Benefit segmentation by factor analysis: An improved method of targeting customers for financial services', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.14, No. 3.
38. Machauer, Achim and Morgner, Sebastian (2001), 'Segmentation of bank customers by expected benefits and attitudes', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol. 19, No.1, 6 - 18.
39. Moll, Peter Niels (1999), 'The Internet and the banks' strategic distribution channel', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.17, No.6, 295 - 300.
40. Chidambaram, R. M. and Alamelu, K. (1996), 'Service Marketing – Challenges and Strategies', *State Bank of India Monthly Review*, Vol 35, No.6, 303-308.
41. Leblanc, Gaston (1990), 'Customer Motivations: Use and Non-use of Automated Banking', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.8, No. 4.
42. Rugimbana, Robert and Iversen, Philip (1994), 'Perceived Attributes of ATMs and Their Marketing Implications', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol. 12, No. 2, 30 - 35.
43. Joseph, Mathew, McClure, Cindy and Joseph, Beatriz (1999), 'Service quality in the banking sector: the impact of technology on service delivery', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.17, No 4, 182 - 193.
44. Nelson, Mark R (1999), 'Bank marketing and information technology: a historical analysis of the post-1970 period', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.17, No.6, 265-274.
45. Yakhlef, Ali (2001), 'Does the Internet compete with or complement bricks-and-mortar bank branches?', *International Journal of Retail & Distribution Management*, Vol.29, No.6, 272 - 281.
46. Stephenson, Bill and Kiely, Julia (1991), 'Success in selling - The current challenge in Banking', *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.9, No.2.
47. Devlin, James F. (1995), 'Technology and innovation in retail banking distribution' *The International Journal of Bank Marketing*, Vol.13, No.4, 19-25.

48. Hughes, G. D. (1969), '*The Boston Five Cents Savings Bank*', Research Paper, Graduate School of Business, Harvard University, Boston.
49. Ravisankar T S (1985), 'Marketing Strategies and Planning for Business Growth in Banks', *SBI Monthly Review*, Vol.16, No.2, 27-32.
50. National Institute of Bank Management (1986), '*All India savings and deposits trends and patterns*', Pune.

Marketing of Financial Services In Retail Banks of Chhattisgarh

A Preview on Research on Banks

Dr. C P GUJAR ¹ , SHAILENDRA BASEDIA ²

Abstract : *Marketing* is a societal process which discerns consumers' wants, focusing on a *product* or *service* to fulfill those wants. The marketing teams are tasked to create consumer awareness of the products or services through marketing techniques. The finance industry encompasses a broad range of organizations that deal with the management of money. Among these organizations are *banks*, *credit card* companies, *insurance* companies, *consumer finance* companies, *stock brokerages*, and some *government sponsored enterprises*. Financial Services in Retail Banking Sector are becoming more and more complex with the changes emanating from the liberalization and globalization. New private banks and foreign banks competing in advances, with aggressive marketing strategies, bankers are becoming glowingly aware about the need for marketing. The emphasis on courteous customer service, attractive and innovative schemes, developing subsidiary services and aggressive personalized selling strategy has taken the center stage. The marketing of financial services has its significance in the basic paradigm of marketing i.e. to satisfy customers with the best possible alternative in the market through a relational exchange process. Management of financial services goes beyond the transactional exchange and enables the marketer to estimate the customer's sentiments and buying intentions so that the customer can be provided with products and services before he starts demanding about it. This is possible through the integration of four important components i.e. people, process, technology and data. The simple strategy making through a product life cycle approach is now obsolete and it gives path to customer life time value. The concept of customer life time value helps the marketer to analyze the cost of acquiring serving and retaining a certain set of customers in the market. This research attempts throws insight in to some of these issues in financial services industry with respect to retail banking in Chhattisgarh.

1. Professor & Head, Deptt. Of Rural Management Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalay, Chitrakoot Satna
2. Asst. Professor, Faculty Of Management ,Global Institute Of Engineering & Management, Jabalpur

The retail banking services as such consist of following activities in the form of financial products offered by banks in India:

- **Provision of Core Banking**
- **Provision of Personalized Banking**
- **Keeping money and valuables safe while also allowing withdrawals when needed**
- **Issuance of checkbooks and other kinds of payments can be delivered by post**
- **Provide personal loans, commercial loans, and [mortgage loans](#)**
- **Issuance of credit cards and processing of credit card transactions and billing**
- **Issuance of debit cards for use as a substitute for checks**
- **Allow financial transactions at branches or by using ATMs**
- **Provide wire transfers of funds and [Electronic fund transfers](#) between banks**
- **Facilitation of standing orders and direct [debits](#), so payments can be made automatically**
- **Provide overdraft agreements for the temporary advancement of the Bank's own money to meet monthly spending commitments of a customer in their current account.**
- **Dematerialization services**
- **Advisory services on investment in shares and mutual funds.**
- **Notary service for financial and other documents**

Chhattisgarh is one of the youngest States of the Indian nation. Constituted on 1st November, 2000, Chhattisgarh is located in the heart of India, and shares its borders with six States of the country. The geographical area of the State covers over 135,000 square kilometres and the total population is 2.15 crores. About 80 percent of the total population of Chhattisgarh depends on agriculture. Wheat, paddy, maize and groundnut are the major crops produced in the region. Chhattisgarh is also rich in mineral resources and about 20 percent of the country's steel and cement are produced here. Chhattisgarh has large supply of power which can be easily transmitted to any of the four grids of India. About 90 percent of the villages in Chhattisgarh have been electrified. Chhattisgarh has been famous for its rice mills, cement and steel plants. Durg, Raipur, Korba and Bilaspur are the leading districts in the field of industrial development in the State. The Bhilai Steel Plant (BSP) in Durg district happens to be the largest integrated steel plant of the country. The establishment of BSP in the 1950's led to the development of a wide range of industries at Raipur and Bhilai. Raipur district has got the rare distinction of having the largest number of big and small-scale cement plants. Bilaspur and Durg districts, too, are home to a number of large-scale cement plants. Korba, with a number of power generating units established by NTPC and CSEB, is among the leading power generation centers in the country. Aluminum and explosive plants are also

located in Korba district. This scenario gives a vast territorial expanse for banking sector to thrive. Most of the Indian banks have been retail banks in their business composition. The term 'Retail Banking' encompasses various financial products (different types of deposit accounts, housing-consumer-auto and other types of loan accounts, demat facilities, insurance, mutual funds, Credit and Debit Cards, ATM and other technology-based services, stock-broking, payment of utility bills, reservation of railway tickets, etc.,) catering to diverse customer groups, offering a host of financial services, mostly to individuals. Simply speaking, it takes care of the diverse banking needs of an individual. The purpose of this research is to try and identify the parameters on which the retail banking thrives and try to build insight into the dynamics of the various parameters and how they can pose a prospect or a problem in future with respect to marketability of financial services in reference to retail banking in the fast growing yet conservative state of Chhattisgarh. **Marketing of retail banking financial services has gained enormous momentum in the Indian Banking Scene during last five years.**

The reasons are :

(1) Introduction of Technology, (2) Increased competition among different types of banks, (3) Opening of new generation private banks, (4) Entry of more foreign banks in post WTO era, (5) Focus on productivity and profitability, (6) Deregulation of

interest rates, (7) Drive towards low Non-Performing Assets, (8) Tilt towards more consumerism and life style spending by working / middle class, (9) Innovation of new products and services, (10) Implementation of Prudential Norms and Risk Management, (11) Closure / re-locating of loss making branches, (12) Voluntary Retirement of surplus staff, (13) Sourcing of cheaper funds by corporate clients from global markets and resultant excess liquidity, (14) Revival of mutual fund market, (15) Opening up of insurance market, (16) Revitalizing of stock market, (17) Increase in the life-span expectancy due to modern health care facilities, (18) Increasing contribution (over 50 per cent) to GDP from the Services sector, (19) Change in Government policy towards FDI in retail sector, (20) Thrust on Infrastructure Development, etc.

BANKS AND BRANCHES IN CHHATTISGARH:

The state of Chhattisgarh has 655 branches of 35 commercial banks (Both public and private sector banks), where as 293 co-operative banks and 421 regional rural banks in urban, semi urban and rural areas creating a mammoth presence any central Indian state almost serving the population of nearly 2.15 crores of people of Chhattisgarh with great substance of welfare. The prospects are many-fold for such an explosion in

Banks in Chhattisgarh resorting to Retail Banking, they can not do away with problems in such a short span after having been in a regulated and directed / protected environment for over three decades. Not all the customer groups (like rural population) are fully techno-savvy and could afford to lead new life styles availing consumer, housing or auto-loans. Necessary back up in infrastructure like power, roads, communications and technology have not yet reached in full scale to non-Metro cities yet gearing up for new dimension of Chhattisgarh. Prompt loan repayment culture has not yet set in many sectors of society. The greater proportion of Chhattisgarh has yet been exposed to variety of services hence demands volumes of marketing activities in context of retail financial services offered by banks. The areas of inquiry for build-up of research:

- To determine competitive and market factors in Retail Banking in Chhattisgarh - a macro view.
- To develop a framework of marketing strategy and plan for Retail Banking Services in Chhattisgarh.
- To determine product policy and planning.
- To determine methodology for product development and deployment.
- To determine market segmentation in Retail Banking: mass market, emerging affluent, wealthy segment, etc in Chhattisgarh.
- To determine customer sourcing and order fulfillment - challenges in managing third party agencies.
- To determine promotion Strategy in Retail Banking Sector in Chhattisgarh.
- To understand right channeling financial transactions in a multi-channel environment
- To understand critical factors for success in Retail Banking in Chhattisgarh: Business processes and the need for scalability and outsourcing Information technology in Retail Banking.
- To understand building collaborative relationships - retailing banc-assurance and third party products like mutual funds, bonds, etc. through bank branches in Chhattisgarh.
- To determine emerging trends in Retail Banking in Chhattisgarh.
- To Measure marketability and potential in Retail Banking Services in Chhattisgarh.

RATIONALE BEHIND RESEARCH

Financial services are inherently intangible and high on experience and credence qualities. In order to promote them effectively, a service provider must first identify the dimensions used by consumer to evaluate the marketability of banks prior to becoming a customer. Based on responses from customer, the current study may identify four dimensions – reliability, responsiveness, assurance and tangibles – which form the domain of customer’s evaluation of search quality in the financial services

industry. Further, the relationship between these service factors and overall assessment of customer's bank will be investigated. The important discriminate service quality factors among the public sector, private sector and co-operative banks will also be examined. The results may indicate that the customer's perception on the service

1. Quality Service
2. Low Cost
3. Higher Interest (Return)
4. Liquidity
5. Safety of Funds

An Epistle of the Research Work:

The research work is Empirical and Exploratory in nature. Since the research is exploratory in nature the appropriate research strategy is be research survey. The optimum sample size has been worked out to be sufficient to make the research result oriented. The respondents are bank officials of core and personalized banks engaged in marketing of retail financial services of banks. The sampling size is be 64 covering four branches of banks in 16 districts of Chhattisgarh i.e. 2 banks each from public and private sectors in the district headquarters. This sample size is almost 10% of total branches (685) of large banks in Chhattisgarh. A random sampling technique is used to sample the population table. The

quality factors in private sector banks are higher than in the public sector and co-operative banks. Most of the studies in the said area of enquiry have attempted to find out the marketing potential of retail banking services on following parameters without which the survival of banks is unthinkable.

6. Less Time Spent on Transactions
7. Efficient Service
8. Good Personal Relations
9. Advice on Investment
10. Easy Access

research also aims at obtaining the primary responses from the customers of various commercial, regional-rural and cooperative banks of Chhattisgarh and the sample size shall be 640 i.e. 10 from each branch to be visited with equal importance to be placed on individuals of each gender and institutional customers on the various services that they subscribe to, by using lottery system to select the sample from the list of customers provided by the banks. The respondents selected should be representative of the total population. The proposed size seems to be an optimum sample to fulfill the requirements of efficiency, representativeness, reliability and flexibility.

Universe

The universe of the proposed work is finite comprising of the customer relation managers/ branch managers/retail banking managers of the branches to be visited. The universe shall also comprise of the customers of the bank having some history to respond to the questions raised through properly drafted questionnaires. The sampling unit is a bank. This section provides an overview of sample, and profile of twenty one major players namely under the source list or sampling frame, Andhra Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Canara Bank, Central Bank of India, Citibank, Dena Bank, HDFC Bank, HSBC, IDBI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, ICICI Bank, ING Vysya Bank, Jammu and Kashmir bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, State Bank of India, Syndicate Bank, Union Bank of India and AXIS Bank along with the major cooperative and regional-rural banks of Chhattisgarh.

The Secondary data to be used extensively draws from the in-house and proprietary sources available. The other sources include Bank for International Settlements (BIS), Reserve Bank of India, Banking related Journals, and Research papers, Industry portals, Government Agencies, and Trade associations, monitoring of Industry News and developments etc. The data will be cross-checked and validated to provide the latest and unambiguous information. The basic data and

information on the explanatory variables (viz. the offers, serviceability, customer education and promotion etc.) are collected on the basis of desk studies and detailed surveys and interviews. For this purpose a detailed questionnaire is prepared for distinguished researchers and policy makers in the banks. The data will be collected through administration of questionnaire amongst bank managers and customers. The survey instrument is a questionnaire that tests for the service variables. The questionnaire may also have demographic specific questions and lifestyle questions that could in some way could be related to the banking needs. The respondent could be a customer of any bank and he/she is subjected to a personal interview using the questionnaire. The content validity of the questionnaire will be established by discussions with expert practitioners in banking and researchers.

Once the data begin to flow analysis shall start taking place through editing, coding, tabulation and data entry. Initially a descriptive statistical summary shall be prepared to draw understanding from the data so that mistakes committed in data collection and entry can be revealed and corrected. Primarily the content analysis shall be performed to measure the semantic contents for open ended questions. For parametric data the exploratory data analysis shall be undertaken to draw frequency tables, bar charts and pie charts to describe various variables of proposed study. To underline the difference between a casual induction

and scientific deduction hypothesis testing will be used to draw conclusions with the help of parametric tests. The conclusion backed up by statistical inferences shall lead to logical and plausible suggestions.

Expected Outcome of Work:

The results are expected to provide understanding of competitive and market factors in Retail Banking in Chhattisgarh - a macro view of status marketing of financial service of retail banks of Chhattisgarh and also. Determination of marketing strategy and plan for Retail Banking by banks in Chhattisgarh, product policy and planning, methodology for product development and deployment, Market segmentation in Retail Banking: mass market, emerging affluent, wealthy segment, Customer sourcing and order fulfillment - challenges in managing third party agencies ,risk management in Retail Banking, right channeling financial transactions in a multi-channel environment, critical factors for success in Retail Banking: Business processes and the need for scalability and outsourcing Information technology in Retail Banking, building collaborative relationships - retailing banc-assurance and third party products like mutual funds, bonds, etc. through bank branches, emerging trends in Retail Banking, experiences from other parts of the world Measuring and managing profitability in Retail Banking.

The results are also expected to provide understanding of the underlying factors that are important for customers to choose a bank in their respective geographic regions. By using these results the respective banks operating in Chhattisgarh can modify their service offerings based on customer's expectations. This study will indicate the order of preference of criteria for choosing a channel based on which the banks can build or further strengthen their offerings. It further intends to profile the banking customers based on the demographic and psychographic criteria. It would be extremely useful for banks to understand their ever changing needs of their customers both in terms of psychographic attributes and their lifestyle and this research would definitely help them in targeting their customers with effective service and product offerings. The research is also expected to throw light upon following issues pertaining to marketability of financial services offered by retail banks in Chhattisgarh:

- Financial reforms and their implications to existing players, new entrants, multinationals and consumer behaviour in Chhattisgarh.
- New and emerging opportunities for banks in Chhattisgarh.
- Competition: Players, intensity, market size, profitability and growth.
- Response of banks to challenges such as restructuring, automation, product delivery and process engineering.

- Customer expectation, feedback, crosses selling, customer's relations management (CRM), market segmentation, service branding and new service introduction.
- Position of banks as financial services provider in next decade, redefinition of banking business under constant changing technology and consumer behaviour.
- Competitive advantage.
- Work Culture.
- Operational Strategies and Skills enhancement.
- Extent of blend of technology and traditional marketing strategies.
- Alertness and awareness of customers.

SUMMARY :

Retail banking in India has fast emerged as one of the major drivers of the overall banking industry and has witnessed enormous growth in the recent past. The research in marketing of financial services in retail banking sector in the state of Chhattisgarh encompasses extensive study and analysis of this rapidly growing sector. It primarily covers analysis of the present status, current trends, major issues and challenges in the growth of the retail banking financial services. This research may help in Banks, financial institutions, MNC Banks, academicians, consultants and researchers to have a better understanding of the booming opportunities in retail banking in Chhattisgarh beside determination of status and future of marketing of

financial services retail banking sector. The dynamic business scenario in the Banking and Financial Services marketplace offers just the kind of challenge for a researcher. In an era of fiercer competition, banks can still improve their performance and bottom line by carefully crafting the formidable marketing strategies. Building a glocalized customer centric environment: Intensified focus on customer acquisition and retention is leading to multiple delivery channels, bundling of traditional and non-traditional services and continuous analysis of customer usage and profitability.

Bibliography :

1. **'Segmentation of bank customers by expected benefits and attitudes'**, Achim, Machauer and Sebastian, Morgner, The International Journal of Bank Marketing. 2001.
2. **'An exposition of consumer behaviour in the financial services industry'**, Anthony, Beckett. Paul, Hewer and Barry, Howcroft The International Journal of Bank Marketing. 2000.
3. **'A model of trust in online relationship banking'**, Avinandan, Mukherjee and Prithviraj Nath. The International Journal of Bank Marketing. 2003.
4. **Services Marketing: The Indian Context:** Dr.R.Srinivasan, Macmillan India, 2nd Edition.
5. **'Customer preferences for financial services'**, Boyd, William. Leonard, Lyros and

White, Charles ,the International Journal of Bank Marketing.1994.

6. ‘ **Statistics(Theory, Methods & Applications)**’, *Sancheti and Kapoor*, S Chand & Co.,2006.

7. ‘**Research Methodology: Methods & Techniques** ‘, *C.R. Kothari*, New Age International Publisher,2nd Edition.

8. ‘ **Business Research Methods**’, *Cooper & Schindler*, McGraw-Hill Publishers, 9th Edition

Proposition and Sentence

Mudasir Ahmad Tantray Rani Durgavati University (Jabalpur) M.P.

Abstract : - *Proposition and sentence are two separate entities indicating their specific purposes, definitions and problems. A proposition is a logical entity. A proposition asserts that something is or not the case, any proposition may be affirmed or denied, all proportions are either true (1's) or false (0's). All proportions are sentences but all sentences are not propositions. Propositions are factual contains three terms: subject, predicate and copula and are always in indicative or declarative mood. While sentence is a grammatical entity, a unit of language that expresses a complete thought; a sentence may express a proposition, but is distinct from the proposition it may be used to express: categories, declarative sentences, exclamatory, imperative and interrogative sentences. Not all sentences are propositions, propositions express sentence. Sentence is a proposition only in condition when it bears truth values i.e true or false. We use English sentences governed by imprecise rule to state the precise rules of proposition. In logic we use sentence as logical entity having propositional function but grammatical sentences are different from logical sentences while the former are having only two divisions namely subject and predicate and may express wishes, orders, surprise or facts and also have multiple subjects and predicates and the latter must be in a propositional form which states quantity of the subject and the quality of the proposition and multiple subjects and multiple predicate make the proposition multiple.*

Key Words :- Proposition, logical sentence, grammatical sentence, truth values, logical operators, analytical philosophy, language, utterances.

Introduction:- Propositions are the material of our reasoning. Proposition is the logical unit of philosophy or we can say thinking. Propositions are sentences but only some sentences are able to take the position of proposition. The best quality for proposition is that it is either true (1,s) or false (0,s). A sentence is group of words which gives a complete sense or meaning. There are different type of sentences viz, exclamatory, negative, interrogative, optative, imperative but in order to become proposition sentence must satisfy same conditions which are

necessary for proposition i.e.: sentence must contain three terms (subject, predicate, and copula) having truth values (true/false), must be in a declarative or assertive mood and must be a fact. A sentence is a grammatical entity belongs to a specific language. The question: how old are u? Who is your father? Are u a student? Which colour you like most?, commands: go there, get out, shut up, take whatever available and exclamation: what a beautiful girl! what a book! Oh my God! How charming are you! are sentences. Such sentences don,t have any truth values as they don't assert or deny anything. proposition thus of different from questions (which can be asked) and from commands (which can be given) and from

exclamation (which can be uttered) none of these can be asserted or denied. Truth or falsity apply always to propositions but do not apply to questions, commands and exclamation. In logic, the word 'statement' is sometimes used instead of proposition which was advocated by the modern philosopher P.F. Strawson.

Objectives :-The main objectives of this research problem are to distinguish logical proposition from grammatical sentence and to show the role of proposition or statement in field of classical logic (Aristotelian logic) and Symbolic logic (Mathematical logic). As we know inference is the subject matter of logic. The term refers to the argument in which a proposition is arrived at and affirmed or denied on the basis of one or more other propositions accepted as the starting point of the process. To determine whether or not an inference is correct the logicians examines the propositions that are the initial and end points of that argument and the relationships between them. This clearly denotes the significance of propositions in the study of logic. In this research problem propositions are differentiated from sentences on the basis of Quantity, quality and truth values. Sentence, its nature and structure is also analyzed in contrasted to propositions, their nature and structure.

Proposition :-Proposition is that which is proposed or stated; the content of a declarative sentence capable of truth and falsity to grasp a proposition is to understand what is said, supposed, suggested and so on. The same proposition

is expressed by two sentences from the same or different languages, that are synonyms or correctly intertranslatable (where translation is judged without regard to tone, rhythm, and other implicatures). The doctrine of the indeterminacy of radical translation casts doubts on the objectivity of this test and some philosophers, notably Quine, have concluded that no respectable criteria of identity for proposition can be given for some philosophers. Propositions are the primary bearers of truth and falsity, with sentence only true and false deceptively, in virtue of expressing true and false propositions, but for others propositions are doubtful shadows of what is empirically given, which are utterances in specific contexts.

Propositions must be distinguished also from the sentences by means of which they are asserted .

Two different sentences consisting of different words differently arranged ,may have same meaning and be used to assert the same proposition for e.g , "India won the 1983 cricket world cup " and " 1983 cricket world cup was won by India" or plainly two different sentences that make the same assertion. Proposition is the term we use to refer to what it is that declarative sentences are typically used to assert sentences or parts of same language, but propositions are not tied to any given language . the four sentences :

1. Its raining (English)
2. Barsat horahi hai (hindi)

3. Mazha pawyunnu (malyalam)

4. Bishti porchhee (Bengali)

Are in different languages, but they have a single meaning; all four, using very different words, may be uttered to assert the very same proposition, are the same statement. The term statement is not an exact synonym of proposition, but it is used in logic in much the same sense. Some logicians prefer statement to proposition although the later has been more common in the history of logic the same sentence can be used to make different statements if the context changes e.g, the sentence; the largest country in the world is third most populous country in the world was once a true statement or proposition about the soviet union , but its now a false statement about Russia. Those very same words assert different propositions at different times.¹

Judgment and proposition

Judgment refers to the process of thinking. thinking involves judgment; therefore judgment is a mental process . we think or judge though ideas and when these ideas constituting judgment are expressed in language, it is called proposition. Accordingly, we may say that proposition is an outer form of judgment where as judgment is a natural form of proposition. Judgment is a unit of thinking and it is a wrong to assume that thinking begins concepts, but judgment and proposition are not identical, because is a mental process and have subjective to same extent but proposition is wholly objective, because a judgment becomes proposition when it is put

into words and hence receives definitive form

Proposition:- logic is the science of ideas, we form ideas by the mental process of judgment. When this judgment is expressed in words it became a proposition of example, when I see a rose and I judge it to be red. The whole process is going in my mind, but the moment I say “ this rose is red” make an assertion. This assertion is a proposition and let us consider certain facts of psychology of perception. And when I see a rose and judge it to be red I may also judge that rose in the garden and that it must be sweet smelling etc. but what I assert is liited to the fact that the colour of the rose is red my judgment is neither true nor false. Where as a proposition is either true or false, because judgment is subjective and private while proposition is a meaningful assertion and is comprised of two terms subject and predicate related by a copula neither rose nor red are meaningful in themselves, only when the two are related do we have a meaningful idea. Accordingly, proposition is the basic unit of thinking.

A proposition is an assertion in which something is said of something; therefore every proposition has two has two elements which are related in a particular way. The elements of a proposition are called terms and the word relating them is called copula. In the proposition “Aristotle was a wise man” Aristotle is the subject term “a wise man” the predicate term and “is” a copula.

- Subject: that about which something is said is the subject of a proposition.

- Predicate: what is said of the subject is the predicate.
- Copula: the copula of proposition is invisibly same form of verb “to be” i.e , “is” “are” etc the copula may be positive or negative, that is it may show that, subject has certain attributes or may show it does not have them. However, the copula does not indicate whether the subject is existential or non- existential.²

Sentence: A grammatical unit Sentence is the smallest unit of communication. The smallest entity whose production constitutes a message given such factors as variations of phonetics or spelling, recognition of two speech acts as the production of the same sentence is already a matter of interpretation, but one that is usually automatic to speakers of the same native language. Grammatically a sentence is the unit whose structure is subserved by other recognized features of a language. The priority of the sentence in much analytic philosophy is summed up in “Frege's dictum that that is it is only in the context of a sentence that words have meaning”. The least controversial interpretation of the slogan is that for a word to mean anything is simply for it to contribute systematically to the meaning of whole sentences in which it is embedded. A word is not a thing with its own projection into parts of the world; instead, the presence of a word (or more accurately, a Morpheme) is a feature of a sentence. A more radical extension of the same line suggests that it is only in the context of a whole theory, or world view, or language, that a single sentence means

anything. In the terminology of Dummett, according priority to words is semantic 'atomism' to sentences; 'molecularism' and to anything larger ' holism'.⁴

Sentence: A logical unit Aristotle maintained that a single proposition was always either the affirmation or the denial of a single predicate of a single subject: 'Socrates is sitting 'affirms' sitting of Socrates. 'Plato is not flying' denies 'flying' of Plato. In addition to simple predications such as those illustrated here, with individuals as subjects, he also regarded sentences with general subjects as predications : 'All Greeks are humans; 'dogs are mammals; 'cats are not bipeds' (Here he parts company from modern logic, which since Frege has seen such sentences as having a radically different structure from predications). Aristotle's logical theory is in effect the theory of general predications. In addition to the distinction between affirmation and denial, general predications can also be divided according as the predicates is affirmed or denied of all (universal) or only part (particular) of its subject. There are then four types of general predications.

Affirmed (affirmative). Deniel (negative)

Universal Every human is mortal. No human is mortal.

Particular " Some humans are mortal " " Not every human is mortal".⁵

Despite their diversity, natural languages have many fundamental features in common. From the perspective of universal

grammar (see e.g chamsky 1986), such languages as English, Navajo, Japanese, Swahili, and Turkish are far more similar to one another than they are to the formal languages of logic. Most obviously, natural language expressions fall into lexical categories (parts of speech) that do not correspond to the categories to the categories of logical notation, and some of them have affixes, including prefixes, suffixes, and markings for tense, aspect, number, gender, and case moreover, logical formalisms have features that language lack. Such as the overt presence of variables and the use of parenthesis to set off constituents. The conditions on well formed formulas in logic. (WFFS)⁶ are far simpler than those a well formed (Grammatical) sentences of natural language, and the rules for interpreting WFFS are far simpler than those for interpreting grammatical sentences compare any book on syntax and any book on formal logic and you will find many further differences between natural languages to documents those differences in detail fortunately, we will be able to discuss particular examples and some general issues without assuming any particular syntactic framework.

We will focus mainly on logically significant expressions (in English) such as 'and', ' or' , ' if ' , ' some ' and ' all ' and consider to what extent their semantics is captured by the logical behaviour of their formal counterparts, ' and ', ' or', '^ ', v' , horse shoe, (or, '>),there exists, for all, rendering ' if ' as the material conditional ' horse shoe ' is notoriously problematic, but, as well shell see, there are problems with the

others as well in many cases, however, the problems are more apparent than real. To see this, we will need to take into account the fact that there is a pragmatic dimension to natural language.

Sentences of English, as opposed to (interpreted) formless of logic, not only have semantic contents but also are produced and perceived by speakers (or writers) and listeners (or readers) in concrete communicative contexts to be sure, logical formulas are also produced and perceived by particular people, but nothing hangs on the fact that they are so produced and perceived. In ordinary speech (or writing), it is not just what a sentence means but the fact that someone utters (or writes) it plays a role in determining what its utterance conveys (Bach 1999 a). So, for example there is a difference between what is likely to be conveyed by utterances of (1) and (2).

(1) Abe felt lousy and ate some chicken song.

(2) Abe ate some chicken soup and felt lousy.

And the difference is due to the order of the conjuncts yet ` and ' is standard symbolized by the conjunction ' &' and the logic the order of conjuncts doesn,t matter. However, it is arguable that (1) & (2) have the same semantic Content and that it is the fact that the conjuncts are uttered in a certain order, not the meaning of ' and ' that explains the difference in how the utterances are likely to be taken. One recurrent question in our discussion is to what extent rendering natural language sentences into logical

notation exhibits the logical formula of those sentences in addressing this question, we will need to observe a distinction that is often overlooked, it is one thing for a sentences to be rendered into a logical formula and quite another for the sentence itself to have a certain logical form. When philosophers refer to the logical form of a sentence, often all they mean is the form of the (interpreted) logical or semi- logical formula used to paraphrase it, often for some ulterior philosophical purpose, for example to avoid any undesirable ontological commitments (see Quine 1960) or to reveal the supposedly true structure of the proposition it expresses. A logical paraphrase of a natural language sentence does not necessarily reveal inherent properties of the sentence itself. However, as linguists construe logical form, it is a level of syntactic structure, the level that provides the input to semantic interpretation, the logical form of a sentence is a property of the sentence itself, not just of the proposition it expresses or if the formula used to symbolize it.

The difference is evident if we consider a couple of simple sentences and how they are standard symbolized:

(3) there are quarks.

(4) Some quarks are strange.

In first order predicate logic (3) and (4) would be symbolized (3PI) & (4PI).

(3PI) (there exists) Qx

(4PI). (there exists) (Qx & Sx)

Whereas (3) expresses an existential proposition & (4) apparently does not, both sentences are symbolized by means of formulas containing an Existential quantifier.⁷

(A sentence is Atomic if it contains no Sentential connectives. Thus the sentence Mr. Copi loved Lucy is atomic, while the sentence Lucy did not love Frank Churchill.

Mrs Elton was a snob & Miss Bates a bore are not atomic, for the first contains a negative & the second a conjunction). In Sentential logic, sentences from every language are translated into a notation using terms, predicates, quantifiers, and Sentential connectives e.g. some juniors are pretty (jx, px).⁸

Relation between Sentence and proposition.

As we know that proposition is a logical unit and sentence is a grammatical unit. Propositions are stated using sentences. However, all sentences are not propositions for example the sentences:

(a) Snakes are poisonous

(b) Some students are hardworkers

are the two statements that are assertions and we can say of these statements that they may be either be true or false. Therefore they are propositions.

Let us consider some sentence which is not propositions I.e

(a) How old are you.

(b) May God bless you.

(c) What a car.

(d) Vote for me.

May God bless you, is a ceremonial statement and it is neither true nor false. Therefore such statements are not propositions.

'What a car' is exclamatory and has nothing to do with being true or false. Exclamatory sentences are not propositions. 'Vote for me' is an appeal or command. We cannot attribute truth or falsity to it. Therefore, evocative statements are not propositions.

However, we can't say whether or not the question "How old are you" ? is true or false. The essence to the question 'I am 16 years old' may be true or false. The question is not a proposition, while the answer is a proposition.

Sentential connectives

In the propositional calculus, the words 'and' and 'or' are commonly rendered as truth-functional, binary Sentential connectives, 'S1 and S2' is symbolized as $p \& q$, true if 'p' is true and 'q' is true, & 'S1 or S2' as $p \vee q$ true if 'p' is true 'q' is true.⁹

Formal logic is primarily concerned with sentences and predicates. But philosophical logic must be concerned with propositions and properties. Both propositions & sentences can be asserted or said and both predicates and properties can be predicated or attributed or said of. But propositions and properties are more important for philosophy, which makes for problems in the assimilation of formal logic and its impressive results. The great precision and secure consistency of some systems of formal logic may seem to point in favour of nominalism but we can continue to value

this precision while keeping open the possibility of a consistent use of propositions and properties in philosophy.

Sentential logic in Aristotle and Afterwards

Aristotle never developed an account of Sentential logic (the inferences that rest on Sentential operators such as ('and' 'or' 'if' 'not')). In my opinion, this is closely connected with his use of his logical theory in the posterior Analytics. His argument that 'every regress terminates' can only work if the logic of arguments 'in the figures' is the only logic there is; & for that to be so, every proposition must either affirm or deny a predicate of a subject, in fact, Aristotle thinks that this is so, and he undertakes to show it in the prior Analytics. This requires him to reject Sentential composition. He does not recognize conjunction, disjunction, or conditional as individual proposition. Precisely how this is to work is not clear, though we can discern a few details. For instance, because he treats affirmations and denials as two basic types of sentences, he does not think of negations as compound sentences, he appears to regard conjunctions not as single compound sentences but only as, in effect, collections of sentences (I.e. their conjuncts), and he treats conditionals not as assertions but as agreements to the effect that one sentence (the Antecedent of the conditionals) entails another (the consequent). Subsequent logicians, including Aristotle's own close associate Theophrastus, did not follow him in this and instead offered analysis of the role of Sentential composition in arguments with Chrysippus, this develops into a full -

fledged Sentential logic, resting on five, Indemonstrable, forms of inference. The Stoics stated that these using ordinal numbers as place - holders for propositions :

1. If the first, then the second, the first ; therefore the second.
2. If the first, then the second, not the first ; therefore not the second.
3. Not both the first & the second; the first ; therefore not the second.
4. Either the first or the second ; the first ; therefore the not the second.
5. Either the first or the second ; not the first ; therefore the second. Russell's early ontology, posited the existence of a true or false ' proposition ' as the meaning of an ' asserted ' sentence and this is the easily conflated with the postulation of utterances construed as the ' meaning ' of a given type of speech act. Linguists tend to assume that languages must be semantically analyzed in terms of mental constructs. Philosophers favour ontological approaches that render semantic analysis of natural language in terms of intentional entities such as properties, propositions, nonexistent objects & the like. Both the approaches to semantics leave themselves open to a blurring of the semantics/pragmatics distinction. Proposition, for instance may seem like utterances , assertions , or speech acts of a sort , made an occasion of use . But ' reference ' and ' truth ' which are normally semantic notions , are not properly semantic when taken to be the properties of utterances, utterances involve the production

of token of certain types of speech act , and belong to the pragmatic study of how context of utterance and speaker's intent contribute to the communication of meaning . In Austin's theory of speech act for instance, utterances of complete sentences are classified as ' locutionary ' , ' illocutionary ' or ' perlocutionary ' , acts of referring and communication of one's intended reference , are components of illocutionary speech acts. When an illocutionary act is a statement or a predication or other ' connective ' act, it may be said to be true or false . These notions of reference & truth are a part of pragmatics & not Semantics.¹⁰

Nyaya philosophy on logical structure of the sentence

The question is : what is a sentence and how does it become intelligible? A sentence, we are told, is a group of words (pada) arranged in a certain way. A word, again is a group of letters arranged in a fixed order. The essential nature of a word lies in its meaning. A word is that which has a fixed relation to some object, so as to recall it whenever it is heard or read i.e it means an object. So we may say that words are significant symbols. This capacity of words to mean their respective objects is called their Shakti or potency, and it is said to be due to the will of God. That a word has a fixed and an unalterable relation to certain things only, or that this word always means this object and not others is ultimately due to the supreme Being who is the ground and reason of all the order and uniformity that we find in the world.

A sentence (Vakya) is a combination of words having a certain meaning. Any combination of words, however, does not make a significant sentence. The construction of an intelligible sentence must confirm to four conditions. These are Akanksa, Yogyata, Sannidhi, and Tatparya.

By Akanksa or expectancy is meant that quality of the words of a sentence by which they expect or imply one another generally speaking, a word cannot by itself convey a complete meaning. It must be brought into relation with other words. In order to express a full judgment. When one hears the word 'bring' he at once asks 'what'? The verb 'bring' has a need for some other words denoting some object or objects, e.g the jar. Akanksa is the mutual need that the words of a sentence have for one another in order to express a complete sense. The second condition of the combination of words in a sentence is their Yogyata or mutual fitness. It consists in the absence of contradiction in the relation of objects denoted by a sentence. When the meaning of a sentence is not contradicted, there is Yogyata or fitness between its constituent words. The sentence "moisten the fire" is devoid of meaning, because there is a contradiction between fire, and moistening.

Sannidhi or Asatti (proximity) is the third condition of verbal knowledge it consists in the juxtaposition or proximity between the different words of a sentence. If there is to be an intelligible sentence, then its constituent words must be continuous with one another in time or space. Spoken words cannot make a sentence when separated by

long intervals of time similarly, written words can not construct a sentence when they are separated by long intervals of space. Thus the word (bring-a-cow) will not make a sentence when uttered in three days or written in three pages, even though they possess the first two marks of Akanksa or expectancy and Yogyata or fitness. Tatparya as a condition of verbal knowledge stands for the meaning intended to be conveyed by a sentence. A word may mean different things in different cases whether it means this or that thing in a particular case depends on the intention of the person who uses the word. To understand the meaning of a sentence, therefore, we must consider the intension of the writer or the speakers who uses it. Thus when a man is asked to bring a 'bat', he is at a loss to understand whether he is told to bring a particular kind of animal or a wooden implement, for the word means both. This can be find out only if we know the intention of the speaker. Hence the understanding of a sentence depends on the understanding of its Tatparya or intended meaning. In the case of ordinary sentences used by human beings, we can ascertain their Tatparya from the context (prakarana) in which they are used. For the understanding of the Vedic texts we are to the help of the logical rules of interpretation systematized by the Mimamsa.¹¹

There is no great distinction between statements and performative utterances. "the relation between the performative utterances and the statement of various kinds which certainly are true or false we mentioned as specially notable connections, if the performative utterance 'i apologize ' is

happy ,then the statement that i am apologizing is true.

Act(A) or locution

He said to me 'shoot her' meaning by 'shoot' shoot and referring by 'her' to her

Act (B) or illocution

He urged (or advised, ordered) me to shoot her.

Act (Ca) or perlocution.

He persuaded me to shoot her

Act (Cb)

He got me to (or made me,) shoot he.

Three kinds of acts or statements -the locutionary, the illocutionary, and the performative are mentioned by Jhon Langshaw Austin in his work " How to do things with words ".

It was the assumption of philosophers that the business of a 'statement can only be to describe 'some state of affairs or to state some fact, which it must do either truly or falsely. Grammarians, indeed, have regularly pointed out that not all sentences are (used in making) statements. there are traditionally besides (grammarians) statements, also questions and exclamations, and sentences expressing commands or wishes, or concessions and doubtless philosophers have not intended to deny this, despite some loose use of 'sentence' for statement. Doubtless, too,

both grammarians and philosophers have been aware that it is by no means easy to distinguish even questions, commands, and so on from statements by means of the few grammatical marks available, such as word order, mood, and the like.¹²

(what are we to we to call a sentence or an utterance of this type? I propose to call it a performative sentence or a performative utterance, or, for short, ' a performative ' the term 'performative' will be used in a variety of cognate ways and constructions, much as the term 'imperative' is. The name is derived, of course, from 'perform' the usual verbs with the noun 'action' it indicates that the issuing of the utterance is the performing of an action. Sentences form a class of 'utterances' which class is to be defined, so far as I am concerned, grammatically, though I doubt if the definition has yet been given satisfactory with performative utterances are contrasted, for example and essentially, 'constative' utterances: to issue a constative utterance (i.e. to utter it with a historical reference) is to make a statement. To issue a performative utterance is, for example, to make a bet.¹³

Conclusion

Logical sentences which we analyse in the field of Mathematical logic or symbolic logic is different from grammatical sentence which expresses questions, imperatives, exclamatories, optatives, wishes, orders, emotions etc , although sentence which expresses Assertions is included as a proposition or statement. We can say that all terms are words but all words are not terms likewise, all propositions are sentences but

all sentences are not propositions. Propositions or statements are the basic units of making logical judgment which from the Greek philosophy up to contemporary era had been used with the names of concepts, judgments, truths and assertions. Thus proposition is logical entity which express sentence but grammatical sentence cannot express proposition.

Notes :-

1. Introduction to logic, Copi, I. M, Cohen. C, Jetli. P, Prabhakar. M, 12th ed New Delhi: Pearson Prentice Hall 2005 pp. 2-3
2. Logic, Dr. Vatsyayan, New Delhi: kedar Nath Ram Nath p.56
4. Oxford Dictionary of Philosophy, B, Simon, 2nd ed New york: Oxford University Press 2005 p.334.
5. A Companion to Philosophical logic, Jacquette, D, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd 2002 pp. 14-15.
6. In mathematical logic, a well-formed formula, shortly wff, often simply formula, is a word (i.e. a finite sequence of symbols from a given alphabet) that is part of formal language.
- 7 A Companion To Philosophical Logic, Jacquette, D, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd 2002 pp. 51-52
8. Introduction to logic, Suppes, P. New York: Litton Educational Publishing, Inc 1957 p. 12-51
9. A Companion to Philosophical logic, Jacquette, D, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd 2002 pp 52-53.
10. A Companion To Philosophical Logic, Jacquette, D, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd 2002 pp. 105-106.
11. An Introduction to Indian Philosophy, Chatterjee, S. Datta, D, 6th ed, Calcutta: Calcutta University Press 1960 pp. 200-202.
12. How to do things with words, Austin, J. L, London: Oxford University Press 1962 pp. 52-102
13. How To Do Things With Words, Austin, J. L, London: Oxford University Press 1962 pp. 1-6

AN EMPIRICAL STUDY ON CYBER CRIME AND PRIVACY IN MODERN SOCIETY

Deepali Rani Sahoo

Asst.Prof of Law , Amity University Gwalior , MP

Abstract :- Cybercrime, is also known as computer crime. The use of a [computer](#) as an instrument to further illegal ends, such as committing [fraud](#), trafficking in child pornography and intellectual property, stealing identities, or violating privacy. Cybercrime, especially through the [Internet](#), has grown in importance as the computer has become central to commerce, entertainment, and government.

Most cybercrime is an attack on information about individuals, corporations, or governments. Although the attacks do not take place on a physical body, they do take place on the personal or corporate virtual body, which is the set of informational attributes that define people and institutions on the Internet. In other words, in the digital age our virtual identities are essential elements of everyday life: we are a bundle of numbers and identifiers in multiple computer [databases](#) owned by governments and corporations. Cybercrime highlights the centrality of networked computers in our lives, as well as the fragility of such seemingly solid facts as individual identity.

CYBER PRIVACY:- The use of the Internet can affect the privacy rights a person has in his or her identity or personal data. Internet use and transactions generate a large amount of personal information which provides insights into our personality and interests.

Privacy issues relating to identity include the possible appropriation of a person's email identity and address.

Ease of access to and the appropriation of email addresses has led to the practice of sending vast amounts of unsolicited e-mails (spam).

Identification through email and website transactions and the ability to locate people's physical addresses easily through national and international directories have raised new privacy concerns.

KEY WORDS;- Cyber crime, database, fragility, unsolicited e-mails, informational attributes ease of access.

Introduction:- Cybercrime affects both a virtual and a real body, but the effects upon each are different. This phenomenon is clearest in the case of identity theft. In the United States, for example, individuals do not have an official identity card but a Social Security number that has long served as a de

facto identification number. Taxes are collected on the basis of each citizen's Social Security number, and many private institutions use the number to keep track of their employees, students, and patients. Access to an individual's Social Security number affords the opportunity to gather all

the documents related to that person's citizenship—i.e., to steal his identity. Even stolen [credit card](#) information can be used to reconstruct an individual's identity. When criminals steal a firm's credit card records, they produce two distinct effects. First, they make off with digital information about individuals that is useful in many ways. For example, they might use the credit card information to run up huge bills, forcing the credit card firms to suffer large losses, or they might sell the information to others who can use it in a similar fashion. Second, they might use individual credit card names and numbers to create new identities for other criminals. For example, a criminal might contact the issuing bank of a stolen credit card and change the mailing address on the account. Next, the criminal may get a passport or driver's license with his own picture but with the victim's name. With a driver's license, the criminal can easily acquire a new Social Security card; it is then possible to open bank accounts and receive loans—all with the victim's credit record and background. The original cardholder might remain unaware of this until the debt is so great that the bank contacts the account holder. Only then does the identity theft become visible. Although identity theft takes places in many countries, researchers and law-enforcement officials are plagued by a lack of information and statistics about the crime worldwide. [Interpol](#), the international policing agency, has not added any type of cybercrime, including identity theft, to its annual crime statistics. Cybercrime is clearly, however, an international problem.

The Department of Justice categorizes computer crime in three ways:

1. The computer as a target - attacking the computers of others (spreading viruses is an example).
2. The computer as a weapon - using a computer to commit "traditional crime" that we see in the physical world (such as fraud or illegal gambling).
3. The computer as an accessory - using a computer as a "fancy filing cabinet" to store illegal or stolen information

9 TYPES OF CYBER CRIME:-

1. THEFT OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES

The "phone phreakers" of three decades ago set a precedent for what has become a major criminal industry. By gaining access to an organisation's telephone switchboard (PBX) individuals or criminal organisations can obtain access to dial-in/dial-out circuits and then make their own calls or sell call time to third parties (Gold 1999). Offenders may gain access to the switchboard by impersonating a technician, by fraudulently obtaining an employee's access code, or by using software available on the internet. Some sophisticated offenders loop between PBX systems to evade detection. Additional forms of service theft include capturing "calling card" details and on-selling calls charged to the calling card account, and counterfeiting or illicit reprogramming of stored value telephone cards.

2.COMMUNICATIONSIN FURTHERANCE OF CRIMINAL CONSPIRACIES

Just as legitimate organisations in the private and public sectors rely upon information systems for communications and record keeping, so too are the activities of criminal organisations enhanced by technology. The use of computer networks to produce and

distribute child pornography has become the subject of increasing attention. Today, these materials can be imported across national borders at the speed of light. The more overt manifestations of internet child pornography entail a modest degree of organisation, as required by the infrastructure of IRC and WWW, but the activity appears largely confined to individuals.

By contrast, some of the less publicly visible traffic in child pornography activity appears to entail a greater degree of organisation. Although knowledge is confined to that conduct which has been the target of successful police investigation, there appear to have been a number of networks which extend cross-nationally, use sophisticated technologies of concealment, and entail a significant degree of coordination.

3. TELECOMMUNICATIONS PIRACY

Digital technology permits perfect reproduction and easy dissemination of print, graphics, sound, and multimedia combinations. The temptation to reproduce copyrighted material for personal use, for sale at a lower price, or indeed, for free distribution, has proven irresistible to many.

This has caused considerable concern to owners of copyrighted material. Each year, it has been estimated that losses of between US\$15 and US\$17 billion are sustained by industry by reason of copyright infringement

4. DISSEMINATION OF OFFENSIVE MATERIALS

Content considered by some to be objectionable exists in abundance in cyberspace. This includes, among much else, sexually explicit materials, racist propaganda, and instructions for the fabrication of incendiary and explosive

devices. Telecommunications systems can also be used for harassing, threatening or intrusive communications, from the traditional obscene telephone call to its contemporary manifestation in "cyber-stalking", in which persistent messages are sent to an unwilling recipient.

5.ELECTRONIC MONEY LAUNDERING AND TAX EVASION

For some time now, electronic funds transfers have assisted in concealing and in moving the proceeds of crime. Emerging technologies will greatly assist in concealing the origin of ill-gotten gains. Legitimately derived income may also be more easily concealed from taxation authorities. Large financial institutions will no longer be the only ones with the ability to achieve electronic funds transfers transiting numerous jurisdictions at the speed of light. The development of informal banking institutions and parallel banking systems may permit central bank supervision to be bypassed, but can also facilitate the evasion of cash transaction reporting requirements in those nations which have them. Traditional underground banks, which have flourished in Asian countries for centuries, will enjoy even greater capacity through the use of telecommunications.

6. ELECTRONIC VANDALISM, TERRORISM AND EXTORTION

As never before, western industrial society is dependent upon complex data processing and telecommunications systems. Damage to, or interference with, any of these systems can lead to catastrophic consequences. Whether motivated by curiosity or vindictiveness electronic intruders cause inconvenience at best, and have the potential for inflicting massive.

7. SALES AND INVESTMENT FRAUD

As electronic commerce becomes more prevalent, the application of digital technology to fraudulent endeavours will be that much greater. The use of the telephone for fraudulent sales pitches, deceptive charitable solicitations, or bogus investment overtures is increasingly common. Cyberspace now abounds with a wide variety of investment opportunities, from traditional securities such as stocks and bonds, to more exotic opportunities such as coconut farming, the sale and leaseback of automatic teller machines, and worldwide telephone lotteries. Indeed, the digital age has been accompanied by unprecedented opportunities for misinformation. Fraudsters now enjoy direct access to millions of prospective victims around the world, instantaneously and at minimal cost.

Classic pyramid schemes and "Exciting, Low-Risk Investment Opportunities" are not uncommon. The technology of the World Wide Web is ideally suited to investment solicitations. In the words of two SEC staff "At very little cost, and from the privacy of a basement office or living room, the fraudster can produce a home page that looks better and more sophisticated than that of a Fortune 500 company".

8. ILLEGAL INTERCEPTION OF TELECOMMUNICATIONS

Developments in telecommunications provide new opportunities for electronic eavesdropping. From activities as time-honoured as surveillance of an unfaithful spouse, to the newest forms of political and industrial espionage, telecommunications interception has increasing applications. Here again, technological developments create new vulnerabilities. The electromagnetic signals emitted by a

computer may themselves be intercepted. Cables may act as broadcast antennas. Existing law does not prevent the remote monitoring of computer radiation.

9. ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FRAUD

Electronic funds transfer systems have begun to proliferate, and so has the risk that such transactions may be intercepted and diverted. Valid credit card numbers can be intercepted electronically, as well as physically; the digital information stored on a card can be counterfeited. Computer-related crime may be compound in nature, combining two or more of the generic forms outlined above.

Impact of cyber crime in modern society

Cybercrime is a heavy burden on society. It is estimated that these types of crimes result in damages over a half of a billion dollars annually. Companies are becoming so frustrated that recently Microsoft offered a quarter of a million dollar reward for the capture of the individuals responsible for the MS Blast worm and the So Big.F virus. One of the most successful software companies in the United States has had to resort to posting a bounty for cybercriminals. This seems very similar to the anti-crime tactics of the billboards located in inner city neighborhoods that offer reward money for information leading to the arrest of individuals involved in violent crimes.

Each of these scenarios, are at the opposite end of the criminal spectrum. One deals with what would seemingly be considered a white collar type crime perpetrated by somewhat intelligent and somewhat educated individuals. The other type crime involves inner city violence in which the individuals committing these crimes most likely reject traditional

education and are involved with drug and gang activity. Even though the two types of crime at first appear widely different they are both very reminiscent of the old west mentality. Drug dealers and gang bangers run around inner city neighborhoods shooting at each other in the middle of the day. They are extremely bold and display a total disregard for the well being of others, law enforcement, and the effects their actions have on society. This is the very same bravado the cybercriminals exhibit. This may be one of the biggest impacts cybercrime has had on society. Not only does law enforcement have to deal with the drug dealing, gang banging, shoot-“em-up mentality in the inner city they now have to combat the risk to everything, no limits, seemingly fearless cyber attacks.

These cybercrimes are not only being committed against individuals and companies but also against law enforcement and government agencies as well. In the past law enforcement mainly needed to focus on brute strength and firepower to combat crime. Now there is an ever increasing need for intellectuals with in-depth technological knowledge to combat cybercrime. Cybercrime can be viewed as a relatively new type of crime. This can be attributed to its growing number of cases in just the last five or ten years. Although it wasn't as widespread cybercrime has been taking place for at least the past forty years if not maybe even longer. The first recognized cybercrime took place in 1966. It involved a computer engineer who used a program to embezzle bank funds. It is often noted that investigators feel that cybercrime began much earlier than this. With the first misuse of a computer being recorded in 1958 it is universally believed that cyber type crimes were taking place shortly after its invention in the 1940's.

Although cybercrime may not be violent in nature or is as readily noticeable as waking up and having your car missing from your driveway its impact is severe and ultimately affects us all. The enormity of, some of these cybercrimes are astounding and some of the figures are staggering. An example of this is the recognition by the Guinness Book of World Records is the 1978 bank heist by Stanley Refkin. He used computers to manage a wire transfer to a private account in excess of ten million dollars. That was thirty years ago and as a whole it is estimated that current cybercrime totals in the billions of dollars.

Cybercrime has had a wide impact on society and the term itself, cybercrime, can have a wide meaning. It can be used as a blanket term to cover crimes such as identity theft fraud, and computer misuse.

CYBER PRIVACY:-

Internet privacy involves the right or mandate of personal [privacy](#) concerning the storing, repurposing, provision to third-parties, and displaying of information pertaining to oneself via the [Internet](#). Privacy can entail either [Personally Identifying Information](#) (PII) or non-PII information such as a site visitor's behavior on a website. PII refers to any information that can be used to identify an individual. For example, age and physical address alone could identify who an individual is without explicitly disclosing their name, as these two factors are unique enough to typically identify a specific person.

Internet privacy forms a subset of [computer privacy](#). A number of experts within the field of Internet security and privacy believe that privacy doesn't exist; "Privacy is dead – get over it" according to Steve Rambam, private investigator specializing in Internet privacy cases. In fact, it has been suggested

that the "appeal of online services is to broadcast personal information on purpose." On the other hand, in his essay *The Value of Privacy*, security expert [Bruce Schneier](#) says, "Privacy protects us from abuses by those in power, even if we're doing nothing wrong at the time of [surveillance](#)."

Levels of privacy:-

People with only a casual concern for Internet privacy need not achieve total [anonymity](#). Internet users may protect their privacy through controlled disclosure of personal information. The revelation of IP addresses, non-personally-identifiable profiling, and similar information might become acceptable trade-offs for the convenience that users could otherwise lose using the workarounds needed to suppress such details rigorously. On the other hand, some people desire much stronger privacy. In that case, they may try to achieve *Internet anonymity* to ensure privacy — use of the Internet without giving any third parties the ability to link the Internet activities to personally-identifiable information of the Internet user. In order to keep their information private, people need to be careful with what they submit to and look at online. When filling out forms and buying merchandise, that becomes tracked and because the information was not private, companies are now sending Internet users spam and advertising on similar products.

There are also many government groups that protect our privacy and be safe on the Internet. The [Federal Trade Commission](#) (FTC) stresses that protecting individual's social security number while dealing with things on the Internet is very important. Pay attention to the trash and e-mails that are received from the Internet. Hackers can easily access these important e-mails. Make difficult passwords so not just anyone can

easily access information. Verify the sources to make sure they are safe and okay to give personal information. The [Internet Crime Complaint Center](#) (IC3) works in a partnership with the [Federal Bureau of Investigation](#) (FBI) and the [National White Collar Crime Center](#) (NW3C) to help and receive criminal complaints related to the Internet. The [US Department of State](#) has a mission to reduce the crime on the Internet internationally. An example of this would be scams that happen from different countries on the Internet.

Posting things on the Internet can be harmful to individuals. The information posted on the Internet is permanent. This includes comments written on blogs, pictures, and Internet sites, such as [Facebook](#) and [Twitter](#). It is absorbed into cyberspace and once it is posted, anyone can find it and read it. This action can come back and hurt people in the long run when applying for jobs or having someone find person information.

Risks to Internet privacy:-In the modern technological world, the privacy of millions of people is threatened. Companies are hired to watch what internet sites people visit, and then use the information, for instance by sending advertising based on one's browsing history. There are many ways in which people can divulge their personal information, for instance by use of "social media" and by sending bank and credit card information to various websites.

Those concerned about Internet privacy often cite a number of *privacy risks* — events that can compromise privacy — which may be encountered through Internet use. These range from the gathering of statistics on users to more malicious acts such as the spreading of spyware and the

exploitation of various forms of [bugs](#) (software faults).

Several social networking sites try to protect the personal information of their subscribers. On Facebook, for example, privacy settings are available to all registered users: they can block certain individuals from seeing their profile, they can choose their "friends", and they can limit who has access to one's pictures and videos. Privacy settings are also available on other social networking sites such as Google Plus and Twitter. The user can apply such settings when providing personal information on the internet.

Children and adolescents often use the Internet (including social media) in ways which risk their privacy: a cause for growing concern among parents. Young people also may not realise that all their information and browsing can and may be tracked while visiting a particular site, and that it is up to them to protect their own privacy. They must be informed about all these risks. For example, on Twitter, threats include shortened links that lead one to potentially harmful places. In their e-mail inbox, threats include email scams and attachments that get them to install malware and disclose personal information. On Torrent sites, threats include malware hiding in video, music, and software downloads. Even when using a smartphone, threats include geolocation, meaning that one's phone can detect where they are and post it online for all to see. Users can protect themselves by updating virus protection, using security settings, downloading patches, installing a firewall, screening e-mail, shutting down spyware, controlling cookies, using encryption, fending off browser hijackers, and blocking pop-ups.

However most people have little idea how to go about doing many of these things. How

can the average user with no training be expected to know how to run their own network security (especially as things are getting more complicated all the time)? Many businesses hire professionals to take care of these issues, but most individuals can only do their best to learn about all this.

In 1998, the Federal Trade Commission in the USA considered the lack of privacy for children on the Internet, and created the Children Online Privacy Protection Act (COPPA). COPPA limits the options which gather information from children and created warning labels if potential harmful information or content was presented. In 2000, CIPA (Children's Internet Protection Act) was developed to implement safe Internet policies such as rule¹, and filter software. These laws, awareness campaigns, parental and adult supervision strategies and Internet filters can all help to make the Internet safer for children around the world.

Conclusions:-The risks of cyber threats have proliferated in recent years due to technological advances, the increase in prospective gains from committing cyber- crime, and the lower likelihood of enforcement of judicial sentences. It is close to impossible to fight cybercrime exclusively on a national level, and the lack of inter-jurisdictional and international cooperation does not facilitate governments in their objective of securing cyberspace.

As critical national infrastructures are upgraded and brought online they become more vulnerable and exposed to malicious attacks, which is why securing the internet is becoming a key component of Canada's and our partners' national security and critical infrastructure strategy.

Not all the countries reviewed in this report have established their national strategic

priorities in cyberspace and made their vision and objectives transparent and publicly available. China is notable for its obfuscation. Some of the reasons for this are inconsistencies in cyber crime legislation, incoherence and confusion about the responsibilities of the government agencies in their combat against cyber crime, unclear definition of cyber crime, undefined cyber threats and risks, and the state of ICT infrastructure development in general. Considering the hardship in detecting cyber –crime or estimating the damage of cyber - attack, some countries may still have some illusions about the extent of cyber risks and possible threat to the national infrastructure, businesses and individuals.

However, there has certainly been an increased public perception of cyber- attacks as increasing in sophistication and scope, beginning with the cyber- attacks against Estonia and Georgia in 2007 and 2008 respectively, and continuing with the Flame and Stuxnet malware exposure in 2011 and 2012. This increased public concern, coupled with public accounts of classified cyber-attacks on businesses and corporations worldwide, has led Western governments to become more concerned with cyberspace security and to increasingly militarize their cyber-responses. Ten years ago the discussion about international cooperation in cyberspace meant establishing laws and agreeing on common goals to protect cyberspace from the attacks of the “third parties”.

Mysticism in contemporary Indian philosophy
with special reference to Dr Iqbal and Rabindernath Tagore

Ateequllah Dar , Research scholar

Prof. B.K Tiwari, Supervisor: Prof. Department of Philosophy RDVV Jabalpur

Abstract:- Dr Iqbal and Rabindernath Tagore are the two evergreen stars born with various dimensions. They rose to the level of a great (Saniyasi) after raising them above from the material trifling. Like Iqbal, Tagore was a social reformer, poet philosopher, educationist, and His philosophy like Iqbalianism too is stood on the base of religion. This paper is based on affinity between the two and seeks to their love of eternity, love of God, relation between God and man. In other words, it is well suited to know them as the icons of mystics in the circle of mysticism.

Key Words: Igtihad, love, spirituality, Enthusiasm, Immortal, Introspection.

:-Iqbal and Tagore were bestowed **Introduction** with multi-dimensions by the Almighty. Their understandings are project by itself as a canvass spreads across the globe with perfection and exactitude. There is nothing static in their mind and thought that is the reason of their cosmic character. They were not only the men of intellect, but epitome of spirituality. Both believe in love, compassion and humanity. Their poetry is reformatory and revolutionary in nature. This reformation aims at construction of perfect man in Iqbal and universal man in Tagore's mysticism. Mysticism has continued to exist with many, ever since his birth, but it was not so original; Iqbal and Tagore oriented it in a systematic manner to make it original, dignified and disciplined. It is not vandalism or mendicancy. According to them mysticism is an introspection which leads to human perfection.

Both of them advocate the free will of man, so that man does not merely behave as a mute spectator in the scheme of creation but acts as an active reformist of change. The

affinity between the two poets is that they believe in love as a force of creation. Like Iqbal, Tagore too, considers love is the free and immortal. 'Iqbal thinks of love as a powerful weapon, a weapon of transforming both the individual and humanity¹. Tagore toed us the same thing that Supreme Being or God has created the universe out of love and so it is imperative for human beings to love every object in nature because they speak of the love of God and its synthesis.

Etymologically, mysticism is a Greek word *myein*, means the love of the absolute, the one reality. Mystic according to them loves all and hates none; off course He Hate everything that distances a human being from God. Mysticism is that part of mental, spiritual, academic and rational enquiry which probes beyond the area of physical boundaries .It is the soul of the religion, heart of the faith. Although it starts from zero where from one learns self analysis, self achievement, and discovery of

¹ Dr Ehsan Ashraf, A critical exposition of Iqbal's philosophy p no 41

God as creator, sustainer and destroyer. According to Sarraj, the mystics are the people who prefer God to everything and God prefers them to everything else". A mystic is a saint who believes in the purity of mind and austerity of behavior. A mystic according to them, does not love only flowers but thorns as well. He is not lost in beauty with beauty, in money with money, in relations with relations, in fact He believes in thoughtfulness to find the purpose of His creation and necessity of His death. Mystics expressions seems meaningless to the lovers of this world. They call the mystics as madmen. Away from reason, mystic according to their opinion, dislikes reason as it is based on selfishness, love of fame and greed of popularity. The attitude of a mystic is away from the scope of lens, laboratory or library. A mystic always believes in the consistency of love and remind himself always.

As mystics, they differ from other mystics, because they never advocate a renunciation of life. True renunciation for Iqbal and Tagore means we have to kill two birds with one stone. 'Both confess that secret of life do not consist in self negation, self denial and of retirement but in self assertion, self development, desires and ideals.'² It is through desires and ideals that we become a vigilant. Iqbal stresses the reconciliation by the means of unity of 'love and reason, head and heart, beauty and majesty and of wisdom and power'³. Tagore and Iqbal were spiritual realists because the relation between God and man can be a relation of intense love. To them God is the last hope but it must be the first hope as well. Both confess that mysticism essentially

² Dr Abdul Aleem Hilal, Social philosophy of Sir Muhammad Iqbal P no 272

³ G R Malik, the Bloody Horizon, p no 75

is a methodology of life in which one can analyze oneself in toto. With the eyes open man gets lost in the attractions of the world which are not real. Mysticism teaches man to look inward without getting lost in the vicissitudes. The beauties of this world are attractive but unreal. Those who got caught in the magnets of this universe get lost and those who isolate themselves to find themselves are the superman. Inductive and deductive thinking are the hallmarks of a mystic. According to Iqbal, Mysticism is a single reality which is one or the other varies '*IJHTIDAD*' for help in dissecting untruth in order to find truth. The two believe that mystic studies himself in probing the surrounding universe touching the areas of creator for individual perfection. What eyes fail to see, a mystic can float on, comprehend till he reaches a stage of unison with God His-Creator. Thus a mystic is quiet different than all these people who work, eat, drink, sleep and die without knowing why? Their faith is live to eat, not eat to live. Shaykhul Islam Zakaria Ansari commenting on the teachings of mysticism says that "it teaches how to purify oneself, improve one's morals and build up ones inner and outer life in order to attain perpetual (bliss)". Ghazli laid stress on self observation and self knowledge, He who knows himself, knows God. For Tagore, 'man is not slave either of himself or the world but He is a lover and has the power to change the pattern of His behavior and responses.'⁴ His freedom and fulfillment in love imply perfect comprehension. By this comprehension He is in harmony with nature, therefore complete union with God. Tagore approaches to God as a mystic in the belief that 'one is able to realize God within himself; the changes that occur are chiefly inner'⁵. As Iqbal's philosophy reflects the

⁴ Basant Kumar Lal, Contemporary Indian Philosophy, p no 73

⁵ ibid p no 77

same instinct that God has given same exalted position through freedom and love He can approach absolute ego. Both of them proclaim love to be the main instrument for Acquiring Divine Heart. It is this highest bliss that man can achieve for through it alone He truly knows that He is more than himself that He is one with all. It is because of love that makes man existentially an 'authentic person'. Both stresses the importance of love in the development of mans ego. Therefore according to Tagore God is love means that God is the ultimate hope and source of strength to human beings. The intuition of both of them is the highest form of knowledge. It is this intuition which is superior to intellect and capable for solving the deeper problems of the world. Tagore expresses this love for God in his beautiful words "This is my prayer to thee, my lord". If we are to be love, we need a pure heart, empty heart that can be filled with God's love⁶. Unlike other mystics, 'Iqbal did not seek mans complete absorption in God. Since, He believed that if man is completely absorbed by God, it would be disastrous for the existence of the Former. Iqbal remarked "if I am told that God is coming to absorb me, I shall run far away because, if the ocean unites with a drop of water, the drop will certainly lose its existence." I want to maintain myself as a drop of water; I do not want to perish myself, but wish to create in me the qualities of the ocean.⁷ To Him God is God and man is His creation. Like Iqbal, Tagore too believed that man ever approaches but never merges Himself into God. He says, "Brahman is Brahman". According to Him that even the highest stage of religious communication, the distinctness of finite self is not lost or dissolved in the absolute,

⁶ Jyoti Ignace Teta, Rabindernath Tagore's Vision of Religion, p no 53

⁷ Dr Abdul Aleem Hilal, Social philosophy of Sir Muhammad Iqbal, p n 91

because we are not what we truly are, we are ever to become true, ever to become Brahman.⁸

Both Iqbal and Tagore believe in action because action is more powerful than words. According to Iqbal, 'no action, no creativity, without creativity no progress is possible. Not only man but even God is active in order to be creative.⁹ Tagore also accepts the 'three yoga's of the Gita. Among these He gives much importance to action, which is called karma yoga of the Gita, the way to be one with the infinite activity by the practice of disinterested goodness, i.e., *nishkama karma*.¹⁰ Man in the Tagorianism, 'a captain of his soul and it is foolish to up attempts in the belief that all is due to karma.¹¹ Iqbal taught the same lesson by saying that action is a necessary part of life. It makes a man stronger. 'Iqbal would like to see the youth hardy and active.¹² It is possible only by remaining vigilant and eagle spirit. Iqbalianism as well as Tagorianism demands action. Their entire life was action, therefore like action throughout their life. They thought, and thought and thus gave action to that thought accordingly.

References

1. Lal Basant Kumar, Contemporary Indian Philosophy. Motilal Banarsidas 5. 5. Delhi 1999

⁸ Tagore's, Sadhana,p, p, no 155

⁹ Dr Ehsan Ashraf, A critical exposition of Iqbal's philosophy, p no 43

¹⁰ Jyoti Ignace Teta, Rabindernath Tagore's vision of religion p no 8

¹¹ Radhakrishnan S, the philosophy of Rabindernath Tagore p no 224

¹² Dr Ehsan Ashraf, A critical exposition of Iqbal's philosophy, p no 47

2. Malik. G.R, the Bloody Horizon, Iqbal Academy Srinagar Kashmir, 11 March 1990.

3. Ray, B G, the Philosophy of Rabindernath Tagore, Hind Kitab, Bombay, 1949.

4. Sir Mohd Iqbal, Reconstruction of Religious thought in Islam. Oxford University Press, London, 1934.

5. Tagore, R, the Religion of Man, Allen and Unwin Ltd. London, 1967.

SOCIAL MELODY OF COMPUTER ERA

Dr. P.B. Sengupta ¹

*1 Professor & Head, Department of Sociology and Social Work R.D. University
Prashant Kumar Bain ²*

2 Ph.D. Research scholar (Social Work) Jabalpur (M.P.)

The 2013 cost of cyber crime study provides to understand the effect of cyber crime on a Global scale. The study provides an estimation of the economic, social and cultural impact of cyber crime. It reveals that the cost of cyber crime in 2013 escalated 78 percent, While The time necessary to resolve problems has increased by nearly 130 percent in four years. Information is powerful weapon in an organisation's cyber security arsenal. Based on real-world experiences and in depth interviews with security professionals. The cost of cyber crime research provides valuable insights in to the causes and costs of cyber attacks. While the economic impact in beyond dispute, rather less attention has been given to the social implications of cyber crime. Psychologists and psychiatrists can help victims cope with the fallout from identity theft, sexual abuse or financial ruin, whereas Sociologist are well-positioned to look at the broader social impact and explanations of crime.

Evaluation of information technology involving computer software and network services has produced wonderful results good or bad to the society and paid a way to tremendous progress particular in the service sectors remaining abreast with the needs of the 21st century. But its speed of growth, rather explosion, was so fast that the society and its environment could not keep pace with it which resulted in serious breaches in the form of high-tech crimes (HTC) India was a competent society in

reaping good fruits of this revolution but for the majority of its populations, ignorant to HTC, bad fruits were feared to affect the social scenario as has been worked out by experts belonging to the law enforcement agencies Amsterdam (1996) emphasized that cyber crime are not limited to the operation of computer networks but also encompasses all social activities in which digital information and communication technologies are deployed with wrong intentions Wasan (2003) Director of CBI prompted enough to highlight the need of creating awareness amongst different section society, senior executives, security personnel and similar agencies through training and auditing on HTC. NASS.COM (National Association of software and service companies) expressed concern over HTC increasing alarmingly in different social environment about 60% of cyber crime originate from within the organization.

In case of system service cyber crime have been costly for victims who have been ripped off for a staggering loss of 456 billion dollars. ICC commercial crimes services found that 63% of the world cyber crimes originated in the US. Numbers seem to suggest that India, where the first major cyber frauds came to light in April 2005. Rahul Sharma (2009) described that 6266 incidents involving more than 600 organisation and industry segment during 2009-10, e-mail abuse cases were the highest. Others crime were 5% data theft.

Altering 15% malicious code 21% social engineering 11% media theft, 7% remote dial- in 5% and internet attack 5%. Google earth software programme could permit uses to view high resolution digital images that challenges privacy, security and social norms in more serious way, In future, users will be able to annotate digital images in the social context also, although file sharing has been viewed as copy right violations using peer to software, Cyber criminal constantly trying to stay ahead of cyber security forces that are falling short. Cyber criminals are joined th main stream of misdeeds in the dark alleys of virtual underworld comprising of stalkers, spies, sexual abusers, robbers, identity thieves and those who can bring services or business standstill. Internet users provide a faster option then traditional dial-up-ones. Computer security devices light fire walls or intrusion prevention system (IPS) can be broken into by the criminals spy ware is a software that enters the computer and sits there collecting information from key strokes for its owner. Thus information as like log in names, passwords, credit card numbers etc. are then used for theft, If money can be stolen in person the identity through phising techniques can be stolen virtually making life of the owner miserable. Thus security companies are nack deep in existing problem. Keeping in view the above reports a study was conducted to know the social environment under the prevalent threat of high tech crimes.

Material and Methods :

The universe of study was selected amongst metro-cities and the state of Madhya Pradesh being situated in the centre of India with especial reference to Jabalpur. Targeting Jabalpur had social and demographic considerations because of its cosmopolite nature since the British era and

its defense establishment, including Signal HQ and telecom-organization. Observation were collected from :

- I. Work places
- II. Educational institutions
- III. Social for um and business field
- IV. Hotel and logistics
- V. Others including media and industries

Respondents for collection of data were from following categories :

- I. Personnel from police and other law enforcement agencies
- II. Criminals and the probable's
- III. Engineers and computer technicians
- IV. Photo copiers and media people
- V. Personnel from telecom and financial institution

In addition, detailed review of literature, media survey and questionnaire data were obtained for the study. Aspect of high tech crime were studied by organizing the information into following groups.

- I. Awareness about high tech crime (HTC)
- II. Acceptance limits of society
- III. Mass ignorance of HTC
- IV. Prevalence of HTC and know how
- V. Breaking barriers of social stigma and peer effects
- VI. Unemployment and related features of society

Data were compiled and presented below

Table 1. Distributions of HTC in different types of social environment

Types of crime	Incidence of crime at					
	Work place	Education institution	Social for a	Logistics	Others	Total
Internet crime 1	7	7	32	7	3	49
Web site crime 2	2	3	8	-	5	18
E-mail crime 3	4	4	23	4	3	38
Use net crime 4	1	-	10	2	2	15
Internet relay chat	9	-	6	-	6	21
Telecom related crime 5	3	35	41	7	11	97
Software abuses	2	16	25	6	21	69
Total	28	65	135	26	51	307

1. Duplicate software, Photocopy, CD. Cassettes, DVD Ringtones etc, 2. Obscene clips. PPS porn etc. 3. including personal information, digital images. 4. including worms, information cloning etc. 5. including cell- phone abuse and illicit broad band centres.

Classification : During the year 2012-13 its indicate study HTC increased. Out of five situation the crime increased highest in social form like cyber café, software shops, mobile phone dealers, business field and shops followed educational institutions and employee work places. High tech crimes were also prevalent at hotels, logistics and other vulnerable areas.

Category of person involved in HTC as below –

1. Internet crimes by commoners
2. Website crimes by organized gangs and groups
3. E-mail crime by professionals having access to computer
4. Usenet crime by technicians
5. Internet relay chat by habitual computers users and children
6. Telecom related crimes including mobile phone students and children
7. software abuse including piracy

Modes of HTC

Different crimes observed by following :

1. Internet crimes –misused for hacking, defacing of website, theft of data, password, credit card
2. Website crimes – online gambling, theft of information
3. E-mail crime –financial frauds, extortion and defamatory acts online
4. Use – net crime pornographic, plated software
5. Internet relay chat – fun sake, system disturbance, harassment of individual and display of child pornography
6. Tele communication system abuses – Bluetooth technology, WiFi or short distance wire less.

Criminals of HTC

By analyzing data it is observe that criminal were not the borne one but the white collar convertees are evident as below –

1. Insiders – corporate bodies, govt. public sector were lured in various developmental needs.
2. Hackers – tempering data on the network simply against the challenges.
3. Crackers – hard core criminals groups.
4. Fakers – telephone company networks.
5. virus writers – threat to common computer users, system and manipulating various programme codes.
6. foreign intelligent service abusers – FIS used the cyber tools.

7. cyber terrorists – usual terrorist, unauthentic ally and forcibly used network to formulate their malafied plans for raising funds.

Techniques used

Criminals adopted following techniques

1. Data didding
2. Trapdoor –entry
3. Password suiting
4. Worms
5. Cyber loafing
6. Salami technique
7. E-mail abuse
8. Cyber harassment
9. Information warfare

It is evident the explanation of the high tech crime constitute all those acts creating allurements to various categories of users computer, software or the internet services which is remained free from stigma for fearless society. Cell phone culture followed by satellite phone invention are going to join the race becoming unwitting appendages of ours functionality and culture brought in to a new avenue of violating privacy and providing sikos to haras women and rich as well as in our civilized social environment. Similarly SIM cloning has also been found to become a rage of law that stands insufficient at present to deal with it. But the socio-culture aspects may prove to be of more significance in this direction.

More serious about social melody a virus attack crazed internet services and computer files pervasive, economic, social, cultural and mental factors in the society form a peculiarly combination were a person becomes help less in

adopting white collar crimes in the society.

Conclusion

The study reveals a big quantum hike in high tech crimes during the year 2012-13. These were computer related and tele communication related crimes involving different types of abuses of internet, website, E-mail, use net services, cell phone and software misuses, violating the provisions of IT act. 2000. Maximum number of crime were reported from social for a including cyber café, software shops, photo copy centre, business field and computer shop, Next higher number of crime was found in educational institution followed by work places and logistic Telecom related crimes including cell phone abuses were the highest followed by software, internet and E-mail abuses, crime involving website and use net were comparatively lower. Persons involved in these crime were mostly commoners and groups, fangs of professional, organized group of technicians, expert in electronic and dealer of software gadgets. Piracy was found to be the most prevalent crime observe from photo copy centre, books and software shop and business fields. The person involved in HTC were found to be insiders, hackers, crackers, fakers, virus writer, cyber terrorist and intelligent benchers. It is also found that crimes were conducted by tampering with computer source document, altering or destroying the programme through virus, worm codes, publishing obscene material online or on MMS and breaching confidential information. Collected data shows the analytical part that it can be concluded by the ignorance in the users including the

respondents or the stake holders and the society in general was the worst exploited aspect enabling serious social melody in a developing society in India. Lastly the European cyber crime centre at Europol and the international cyber security protection alliance (ICSPA) presented in a study titled project 2020 Scenarios for the future of cyber crime – it is evaluated a Scenarios under three different perspectives from an individual, company and government point of view is a main evidence for the future aware on cyber crime.

References :

1. Ajay kashyap IPS 2004 software piracy when sharing is not a virtue. In proceeding of 35th all India police science congress jalandhar p. 7-19.
2. Alfred A. Hagger (2005) Sober- X fearest virus of the year dainik bhaskar 25.11/2005 p. 10
3. Gupta Nikhil J.P. 2005 Queuing the Cyber crime challenge in proceeding of 25th all India police science congress jalandhar p. 23-36.
4. Kavita Kukday 2005 share your thought through mobile blogs. TOI 22/10.2005 p. 13
5. Maheshwari A.P. 2003 Cyber crime Investigation and prevention CBI bulletin June 2003
6. Rajesh Kochar 2005 Coping with voyenrism in internet TOI 23/01/2005 p. 13
7. Sengupta Dr. P.B. 2007 Socio-Cultural breaches of computer era. The Indian Police Journal Vol. LIV No. 2 April-June 2007
8. ICSPA sudy of project 2020-(2013) The impact of cyber crime-Institute, Euro

भारतीय शासन व्यवस्था में गठबंधन सरकारें

एक आलोचनात्मक अध्ययन

डा. व्ही.पी. श्रीवास्तव प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष डा.ललित कुमार नामदेव सहायक प्राध्यापक डा.देवेन्द्र कुमार भड़ेरिया सहायक प्राध्यापक¹

सार—संक्षेप : भारत में अब तक बनी प्रमुख गठबंधन सरकारों के गठन, संचालन एवं पतन में संविधान, दल प्रणाली, निर्वाचन पद्धति, राजनैतिक पर्यावरण व राजनैतिक संस्कृति की विशेष भूमिका रही है। ये वे निर्णायक तत्व हैं जिनके कारण एक ही प्रकार की शासन प्रणाली अपनाने वाले अलग-अलग राष्ट्रों में शासन संचालन की अलग-अलग संस्कृतियां अथवा कार्यपद्धतियों का विकास होता है। सन् 1967 के चौथे आम चुनाव के पूर्व तक भारत में बहुदलीय व्यवस्था के होते हुए भी एक दल कांग्रेस के प्रभुत्व व वर्चस्व वाली व्यवस्था कायम रही। 1967 के आम चुनावों एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों में प्रथम बार कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हुई और कई राज्यों में मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ। किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की समस्या के समाधान के रूप में भारतीय राजनीति ने गठबंधन के विकल्प का चुनाव किया, इस विकल्प के प्रारम्भिक प्रयोगों का अनुभव कटु रहा कांग्रेस विरोध के नाम पर परस्पर विराधी ध्रुव भी एक ध्वज के नीचे संगठित हुए और सरकार का गठन किया। भारत में उपरोक्त गठबंधन सरकारों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यहां गठबंधन निर्माण में आर्दशात्मक अनुकूलता अप्राप्य रही यहां परस्पर वि

रोधी विचारों वाले दलों के भी गठबंधन बने गठबंधन सरकार परिस्थिति की उपज होती है एवं संसदीय मूल्यों को बचाने हेतु जब एक दल को पूर्ण बहुमत न हो तो गठबंधन सरकार ही एकमात्र विकल्प होती है, आवश्यकता इस बात की है कि गठबंधन के दुर्बल पक्षों को निष्प्रभावी कर इसके सबल पक्षों को उभारा जाए एवं गठबंधन संस्कृति का आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाए गठबंधन परिस्थितिजन्य होता है ऐसे में गठबंधन सरकार के प्रारूप को उपरोक्तानुसार संशोधित, परिशोधित एवं परिमार्जित करके अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ताकि देश की राजनीतिक धारा को निर्बाध रखा जा सके प्रस्तुत शोध-पत्र में गठबंधन सरकारों के इतिहास, दुर्बल एवं सबल पक्षों पर प्रकाश डालते हुए इन्हें अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

परिचय :- भारत में अब तक बनी प्रमुख गठबंधन सरकारों के गठन, संचालन एवं पतन में संविधान, दल प्रणाली, निर्वाचन पद्धति, राजनैतिक पर्यावरण व राजनैतिक संस्कृति की विशेष भूमिका रही है। ये वे निर्णायक तत्व हैं जिनके कारण एक ही प्रकार की शासन प्रणाली अपनाने वाले अलग-अलग राष्ट्रों में शासन संचालन की अलग-अलग संस्कृतियां अथवा कार्यपद्धतियों का विकास होता है।

संसदीय शासन प्रणाली का विकास ब्रिटेन में हुआ बाद में दुनिया के अन्य देशों ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया लेकिन सभी देशों में विकसित होने वाली संसदीय प्रणाली हूबहू ब्रिटेन जैसी नहीं थी। ब्रिटेन में जहाँ द्विदलीय पद्धति मॉडल विकसित हुआ वहीं हमारे देश में बहुदलीय मॉडल का विकास हुआ। ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के कारण बहुमत आधारित एक दल की सरकार के दलीय अनुशासन एवं राजनीतिक सजातीयता के आधार पर कार्य करने की रीति विकसित हुई। हमारे यहाँ ब्रिटेन से भिन्न संसदीय मॉडल विकसित हुआ, इसके लिए भारतीय संविधान, दल प्रणाली, निर्वाचन पद्धति, राजनीतिक एवं सामाजिक पर्यावरण आदि तत्व ही जिम्मेदार रहे हैं। संभवतः भारत की बहुलतावादी संस्कृति के प्रभाव में ही यहाँ बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। हमारे देश के स्वतंत्रता के पूर्व से ही अनेक राजनीतिक धाराओं को मानने वाले विद्यमान थे जिन्होंने बहुदलीय व्यवस्था को प्रोत्साहित किया।

सन् 1967 के चौथे आम चुनाव के पूर्व तक भारत में बहुदलीय व्यवस्था के होते हुए भी एक दल कांग्रेस के प्रभुत्व व वर्चस्व वाली व्यवस्था कायम रही। इस स्थिति में केन्द्र व राज्यों में कांग्रेस पार्टी के समक्ष कोई प्रभारी चुनौती नहीं थी और एकदलीय सरकारें अपने निर्धारित कार्यकाल को बिना किसी रूकावट के पूर्ण करती रहीं। 1967 के आम चुनावों एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों में प्रथम बार कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हुई और कई राज्यों में मिलीजुली सरकारों का गठन हुआ। यहाँ से ही भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का आरंभ माना जाता है। इन चुनावों में जहाँ कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई वहीं अन्य

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्य राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों की ताकत का एहसास हुआ। इस दौर में देश के अलग अलग भागों में उभरे राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों ने अपनी प्रभारी उपस्थिति से भविष्य की गठबंधन राजनीति की नींव रखी। क्षेत्रीय दलों के इस प्रभाव विस्तार ने प्रमुख रूप से राष्ट्रीय दलों का विशेष रूप से कांग्रेस का जिसका विस्तार पूरे भारत में था प्रभाव क्षेत्र को सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय दलों का दबदबा कम होता गया और क्षेत्रीय दल धीरे-धीरे मजबूत होते गए। राष्ट्रीय दल किसी खास क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों की कृपा पर निर्भर होते गए 1989 आते आते एक स्थिति ऐसी आई जब किसी भी एकदल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलना प्रायः कठिन हो गया। एक दल की बहुमत वाली सरकार भारतीय राजनीति में अब कल्पना सी प्रतीत होने लगी। इस अवधि में 1991 में कांग्रेस की एकदलीय अल्पमत सरकार बनी जिसने येनकेनप्रकारेण अपना बहुमत सिद्ध किया व पूरे पांच वर्ष तक शासन का संचालन किया। किसी एक दल को सदन में बहुमत का मिलना संसदीय शासन प्रणाली में सरकार बनाने व चलाने के संदर्भ में एक विकट समस्या व संकट का बिन्दु होता है। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ उभरी जिनके चलते केन्द्र में अनिश्चितता और अस्थिरता का वातावरण बना। एक लम्बे अरसे बाद 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली एक दलीय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भारत में गठबंधन सरकारों का प्रादुर्भाव : किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की समस्या के समाधान के रूप में भारतीय

राजनीति ने गठबंधन के विकल्प का चुनाव किया, इस विकल्प के प्रारम्भिक प्रयोगों का अनुभव कटु रहा किन्तु 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के अगुआई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अनुभव ने इस प्रयोग को नई दिशा एवं नए आयाम दिए। निश्चय ही विविधतापूर्ण भारतीय संस्कृति में बहुदलीय व्यवस्था के प्रभावी होने की संभावना विद्यमान है और ऐसी स्थिति में संसदीय मूल्यों के अनुरूप एकदलीय बहुमत वाली सरकार के बनने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। ऐसे में एक कारगर गठबंधन संस्कृति का विकास अपरिहार्य हो जाता है। भारत में ऐसा ही कुछ हुआ जब 2004 के आम चुनाव दो दलों के बीच नहीं बल्कि दो गठबंधनों के बीच हुए यह भारतीय संसदीय प्रतिरूप ब्रिटिश संसदीय प्रतिरूप का भारतीय प्रत्युत्तर था।

यद्यपि केन्द्रीय राजनीति में प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने बुझे मन से ही सही गठबंधन के आदर्श को स्वीकार कर लिया है और यहां यह उनके लिए नया अनुभव हो सकता है किन्तु राज्यों की राजनीति में 1967 के बाद से ही प्रभावी रहा है। इस प्रकार केन्द्र में बनी गठबंधन सरकारों की तुलना राज्यों की संयुक्त विधायक दल सरकारों से की जाए तो कई समान विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं।

भारत में अस्तित्व में आई प्रमुख गठबंधन सरकारों की विशेषताएं : केन्द्रीय राजनीति में प्रारम्भिक दौर में बनी गठबंधन सरकारें विशेष रूप से तब जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था गैर-कांग्रेसवाद अर्थात् कांग्रेस विरोध का परिणाम थीं, जिसका अर्थ यह था कि जितने भी विपक्षी दल कांग्रेस विरोधी थे सबने मिलकर संयुक्त का निर्माण किया चाहे

उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता कुछ भी रही हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कांग्रेस विरोध के नाम पर परस्पर विराधी ध्रुव भी एक ध्वज के नीचे संगठित हुए और सरकार का गठन किया। इस प्रक्रिया में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों साथ-साथ नजर आए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अथवा 1989 में व्ही0पी0सिंह के नेतृत्व में जनता दल-राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जिसे दायें बाजू अर्थात् भाजपा एवं बायें बाजू अर्थात् भाकपा- माकपा दोनों का बाहर से समर्थन प्राप्त था। कमोबेश 1967 के बाद से राज्यों में भी इसी प्रकार परस्पर विरोधी विचारों वाले दलों में तालमेल हुआ। इस तरह की संयुक्त सरकारों में न तो केवल वामपंथी दल थे और न केवल दक्षिणपंथी ही अपितु बहुत सी संयुक्त सरकारें ऐसी बनीं निमें वाम तथा दक्षिण दोनों तरह के दल सम्मिलित थे। ऐसा होने का मूल कारण यह था कि वे संयुक्त सरकारें गैर-कांग्रेसवाद की भावना को लेकर गठित की गई थीं और वे बिना सभी कांग्रेस विरोधी दलों के सहयोग के संभव नहीं था। परिणामस्वरूप इस प्रकार की गठबंधन सरकारों में आदर्शगत अनुशासन का अनुप्राप्य होना स्वभाविक ही था। और ऐसे में परस्पर विरोध, खींचतान व महत्वकांक्षाओं का टकराव भी उतना ही स्वभाविक था। इन सबके चलते ये सरकारें अल्पकालिक साबित हुईं और गठबंधन सरकारों पर अस्थायी अक्षम और कलहयुक्त होने का ठप्पा लग गया।

कालान्तर में राज्यों ने इस दोष को समझकर संयुक्त सरकारों के गठन में वैचारिक एकता के तत्व पर ध्यान दिया जिसके परिणामस्वरूप राज्यों में जो संयुक्त सरकारें अस्तित्व में आईं वे स्थायित्व की कसौटी पर खरी उतरीं जैसे पंजाब में अकाली-जनसंघ या अकाली-भाजपा, महाराष्ट्र

में भाजपा-शिवसेना, कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे व केरल में वाम मोर्चे अथवा कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारें। किन्तु जहां कहीं वैचारिक एकरूपता की अवहेलना की गई वहां सरकारें अस्थिर रहीं जैसे उत्तरप्रदेश में भाजपा-बसपा गठबंधन सरकार। केन्द्र में अवश्य कांग्रेस के विरोध में एक विचारधारा चल निकली और वैचारिक धुंधलीकरण हेतु दो ध्रुव तैयार हो गए धर्म निरपेक्ष दल तथा साम्प्रदायिक दल। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि किसी दल के धर्मनिरपेक्ष अथवा साम्प्रदायिक होने की परिभाषा व मापदण्ड राजनीतिक दलों द्वारा अपनी सुविधानुसार गढ़े जाते रहे हैं और इनकी व्याख्या की जाती रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जहां गठबंधन गैर कांग्रेसवाद की धारणा पर आधारित रहे वहीं बाद के वर्षों में इस धारा के साथ-साथ गैर भाजपावाद की पृष्ठभूमि भी उभरकर सामने आई और अब गठबंधनों का धुंधलीकरण इन्हीं दो धाराओं के आधार पर निर्धारित होता है जिसमें सैद्धांतिक अथवा वैचारिक एकरूपता का सर्वथा अभाव है और सब कुछ राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित है।

गठबंधन निर्माण के प्रमुख पहलू : भारत में अब तक बनी सभी गठबंधन सरकारें स्थिति विशेष का परिणाम रही हैं। स्थिति का तात्पर्य निर्वाचन के नियम, संसद के कार्यवाही संबंधी नियम संसद में दलीय स्थिति देश का तात्कालिक वातावरण जनता की इच्छा व देश की राजनीति से है। भारत में बनी गठबंधन सरकारों में उपरोक्त में से दो तत्व प्रमुख रूप से प्रभावी रहे हैं-संसद में दलीय स्थिति और देश का तात्कालिक वातावरण। 1977 में केन्द्र में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार उपरी तौर

पर तो एक दल की सरकार थी किन्तु यह दल जनता पार्टी स्वयं में चार दलों का गठबंधन था। जनता पार्टी का गठन देश की तात्कालिक स्थिति का परिणाम था। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार की ज्यादातियों और नेतृत्व के निरंकुश व स्वेच्छाचारी दृष्टिकोण के विरुद्ध उभरे जनक्रोश को देखते हुए बिखरे हुए विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया। विपक्ष की एकजुटता उस समय की मांग थी बल्कि जनक्रोश को प्रतिबिम्बित करने का माध्यम थी। साथ ही जिस प्रकार से आपातकाल के दौरान विपक्ष का दमन किया गया था विपक्षी नेताओं को बलात् जेलों में ठूस दिया गया था और मौलिक अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गई थी ऐसे में सरकार विरोध के अस्तित्व पर ही संकट आ गया था। ऐसे में समय की मांग, जन आकांक्षाओं की पूर्ति व विपक्षी दलों के अस्तित्व की रक्षा के उद्देश्य ने इन्हें संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इस संपूर्ण कार्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका एकता के सूत्रधार की रही। इस प्रकार गैर कांग्रेसवाद का प्रथम प्रतिफल जनता सरकार के रूप में अस्तित्व में आया।

1989 में जनता दल के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार उपरोक्त दोनों ही स्थितियों का परिणाम थी। देश का तात्कालिक राजनैतिक पर्यावरण एवं संसद में दलीय स्थिति। बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के मामले को सामने लाकर विपक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ जनक्रोश को हवा दे दी थी और इस आधार पर विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिल गया था एवं गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा फिर से पुष्ट होने लगी थी। इस चुनाव में भी सरकार अल्पमत सरकार थी एवं दो विपरीत ध्रुवों के समर्थन पर टिकी थी

परिणाम स्वरूप सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।

1996 के आम चुनावों में न केवल मतदाता वरण राजनीतिक दल भी दुविधा एवं संशय की स्थिति में थे। चुनाव को प्रभावित करने वाला न कोई मुद्दा था न किसी प्रकार की कोई लहर और न किसी प्रकार का ध्रुवीकरण। जहां भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस से लोग नाराज थे तो वही बाबरी विध्वंस के परिणाम स्वरूप हुए दंगे फसाद के कारण भाजपा से भी मतदाता का मोहभंग हो चुका था। क्षेत्रीय दल अपनी एक अलग पहचान हेतु लालायित थे। परिणामस्वरूप गैर कांग्रेसवाद एवं गैर भाजपावाद की एक तीसरी धारा बह निकली। चुनाव के तुरंत बाद 13 दिन की भाजपा सरकार के गिरने और जल्द चुनाव न कराने की इच्छा के कारण वाममोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चे की संयुक्त गठबंधन वाली अल्पमत सरकार अस्तित्व में आई किंतु यह पूर्वनियोजित वैचारिक समानता वाला गठबंधन नहीं था फलतः यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाई।

1998 के आम निर्वाचन में कोई मुद्दा कोई लहर नहीं थी यह पहला आम निर्वाचन था जिसमें भाजपा और कांग्रेस ने एक साथ आने का प्रयास किया तीसरा मोर्चा अब भी अपनी ताकत का एहसास करा रहा था किंतु किसी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला भाजपा गठबंधन आगे जरूर था स्थायित्व के नाम पर भाजपानीति गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी किंतु यह भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाई।

13 वी लोकसभा का निर्वाचन 11वी एवं 12वी लोकसभा के निर्वाचन से थोड़ाभिन्न था जिस प्रकार भाजपानीत गठबंधन की सरकार को गिराया गया उससे भाजपा के प्रति सहानुभूति

की लहर पैदा हो गई पोखरण परीक्षण एवं कारगिल विजय के सहारे भाजपा पुनः सत्ता में आने को उत्सुक थी अनेक दल के नेताओं ने भाजपा गठबंधन में प्रवेश किया और इस चुनाव में पहली ऐसी पूर्ण बहुमत वाली गठबंधन सरकार बनी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया।

गठबंधन हेतु उत्तरदायी प्रमुख तत्व : भारत में उपरोक्त गठबंधन सरकारों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि यहां गठबंधन निर्माण में आर्दशात्मक अनुकूलता अप्राप्य रही यहां परस्पर विरोधी विचारों वाले दलों के भी गठबंधन बने। सैद्धांतिक अनुकूलता के आधार पर केवल कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र व पंजाब आदि में क्रमशः वामपंथी, भाजपा-भाजपा-शिवसेना, कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस एवं भाजपा-अकालीदल गठबंधन बने। केन्द्र में बनने वाले गठबंधन में आदर्शात्मक अनुकूलता का अभाव रहा है। अधिकतर गठबंधन नकारात्मक सोच अर्थात् कांग्रेस विरोध या भाजपा विरोध की अवधारणा पर केन्द्रित रहे इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन निर्माण के लिए अवसरवादिता या दल विरोध ही एकमात्र अनुकूलन का आधार रहा है।

गठबंधन निर्माण का एक और प्रभावशाली तत्व प्रेरणा है गठबंधन निर्माण में मुख्यतः दो प्रेरणाएं कार्य करती हैं 1. सत्ता या अन्य किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा, 2. अपने अस्तित्व को बनाए रखने की प्रेरणा भारत में गठबंधन निर्माण में उक्त दोनों प्रेरणाओं की भूमिका कम या ज्यादा रही है।

गठबंधन निर्माण के संदर्भ में राजनीतिक दलों के बीच अंतःक्रिया भी

उत्तरदायी तत्व रहा है। यहां राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच वार्ता, विचारविमर्श एवं चुनाव में सीटों के तालमेल के सम्बंध में विशेष रूप से समझौते हुए हैं, जब भाजपा ने राममंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता के मुद्दों को परे रखकर अपना उदार चेहरा प्रस्तुत किया तभी धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतों ने गठबंधन में आना स्वीकार किया। इसी प्रकार कभी कट्टर विरोधी रहे कांग्रेस और द्रुमुक के उदार रूख के कारण ही संप्रग का निर्माण हो सका। यह परस्पर अंतःक्रिया का ही परिणाम था।

गठबंधन के दुर्बल पक्ष :- संसदीय शासन व्यवस्था में दुनिया के अधिकतर देशों की तरह भारत में भी गठबंधन सरकारों को पसंद नहीं किया जाता इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. गठबंधन की राजनीति में येनकेनप्रकरणे सत्ता प्राप्त करने एवं सत्ता में रहने की प्रवृत्ति ने राजनैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को प्रभावित किया है।
2. गठबंधन सरकारें अनेक विचारधाराओं वाले राजनैतिक दलों का समूह होती हैं जिनमें दलीय अनुशासन का अभाव रहता है एवं मंत्रिमण्डल की सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना आहत होती है।
3. नीतियों के संबंध में परस्पर विरोधी धारणा के कारण एकरूप सम्यक नीतियों का प्रतिपादन कठिन हो जाता है जिससे सरकार के दिशाहीन होने का भय बना रहता है।
4. गठबंधन के घटक दलों में परस्पर वैचारिक मतभेद एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण सरकार का स्थायित्व प्रभावित होता है भारत में बनी अब तक की गठबंधन सरकारों में से सिर्फ तीन ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। हर बार गठबंधन के घटक दलों के अंतर्कलह अथवा समर्थक दलों के समर्थन

वापिसी के कारण सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।

5. भारत में अब तक बने गठबंधनों में वैचारिक धरातल एवं सैद्धांतिक मूल्यों की एकरूपता का अभाव रहा है ऐसे में यह गठबंधन अवसरवादी गठजोड़ बनकर रह जाते हैं।

गठबंधन के सबल पक्ष :-

1. गठबंधन का प्रथम गुण तो यही है कि गठबंधन ने हमेशा विकट परिस्थिति में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त किया और देश को अनचाहे चुनाव के भारीभरकम व्यय से मुक्ति दिलाई।
2. गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलता है जिससे देश के किसी भी क्षेत्र की आकांक्षाएं सरकार में प्रतिनिधित्वहीन नहीं रह पातीं।
3. एक दलीय सरकार की तुलना में गठबंधन सरकार के निर्णय ज्यादा लोकतांत्रिक होते हैं क्योंकि उसमें विभिन्न विचारधारा वाले राजनैतिक दलों की सहमति होती है।
4. भारत में गठबंधन की राजनीति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला भी साबित हुई है। देश के अधिकांश वर्गों की सरकार में भागीदारी उनमें राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना का संचार करती है।
5. गठबंधन सरकार में एक नवीन सहभागिता संगठन का विकास होता है, परस्पर विरोधी दल अपने समान विचार वाले मुद्दों पर एकरूपता व्यक्त करते हैं एवं विवादास्पद मुद्दे अपने आप पीछे छूट जाते हैं।

निष्कर्ष : गठबंधन सरकार परिस्थिति की उपज होती है एवं संसदीय मूल्यों को बचाने हेतु जब एक दल को पूर्ण बहुमत न हो तो गठबंधन सरकार ही एकमात्र विकल्प होती है, आवश्यकता इस बात की है कि गठबंधन के दुर्बल पक्षों को निष्प्रभावी कर इसके सबल

पक्षों को उभारा जाए एवं गठबंधन संस्कृति का आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाए इस संबंध में गठबंधन सरकारों के आदर्श प्रतिरूप के निर्माण की दिशा में निम्नलिखित सुझाव प्रभावी हो सकते हैं—

1. यथासंभव समान विचारधारावाले दलों को ही गठबंधन का निर्माण करना चाहिए। गठबंधन निर्माण का मूलआधार ही विचारधारा हो न कि अवसरवादिता।
2. गठबंधन के निर्माण के समय ही न्यूनतम साझा राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पर सहमति होनी चाहिए।
3. गठबंधन निर्माण में दलीय हित की तुलना में राष्ट्रहित एवं जनहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. गठबंधन का संचालन एवं नीतिनिर्धारण में लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए एवं इन मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए।
5. गठबंधन में सम्मिलित होने वाले सभी दल सरकार का भी हिस्सा बने बाहर से समर्थन की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए ताकि सामूहिक जबावदेही की भावना तय हो सके।
6. गठबंधन संचालन हेतु समन्वय समिति का गठन होना चाहिए जिसमें हर घटक दल का

प्रतिनिधि होना चाहिए एवं समित को लगातार बैठकें करके सरकार को उचित सुझाव एवं मार्गदर्शन देना चाहिए।

जैसा कि हमने उपर उल्लेख किया है गठबंधन परिस्थितिजन्य होता है ऐसे में गठबंधन सरकार के प्रारूप को उपरोक्तानुसार संशोधित, परिशोधित एवं परिमार्जित करके अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ताकि देश की राजनीतिक धारा को निर्बाध रखा जा सके।

संदर्भग्रंथ सूची :

1. खन्ना,डा.बी.के.'राजनीति विज्ञान' प्रकाशक साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा
2. जैन, पुखराज 'भारतीय शासन एवं राजनीति' साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा
3. जैन,पुखराज 'राजनीति विज्ञान' साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा
4. फड़िया, बी.एल. 'राजनीति शास्त्र' साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा
5. श्यामसुंदर,जे.'राजनीति शास्त्र'राम प्रसाद एण्ड संस, आगरा

पर्यावरण संकट : "सोचने से नहीं करने से होगा"

डॉ० रीझन झारिया ¹

भारतीय मनीषियों ने सृष्टि की समस्त विधाओं का, अंगों का समग्र रूप में चिन्तन मनन किया है तथा उनके अन्योन्याश्रित को ध्यान में रखते हुए अशेष जीवसृष्टि के सर्वांगीण विकास के विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। सृष्टि के सभी अंग यथा सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जलवायु आदि का मनुष्य, पशु-पक्षी व जीवजन्तुओं के साथ अन्योन्यायश्रित सबन्ध है। इनमें से किसी एक पक्ष में परिवर्तन होने पर अन्य पक्ष स्वयमेव प्रभावित होते हैं। समय, समाज एवं सभ्यता में परिवर्तन के बावजूद पर्यावरण, जीवजन्तु, पशुपक्षी एवं मानवजीवन के सम्बन्ध शाश्वत है। इस सम्बन्ध की महत्ता व अक्षुण्णता का स्रोत वैदिक संहिता में देखा जाता है। जहां प्राप्त सूक्तों से यह ज्ञात होता है कि वैदिक देवों का पशुपक्षी व जीवजन्तु भी परिवर्तन होने से परिवर्तन देखा जाता है।

आज वर्तमान आकड़ों और अनुपातों के फेहरिस्त में गए बगैर यह स्वीकार लेने में किसी को कोई आपत्ति बिलकुल नहीं होने चाहिए कि पर्यावरण का संकट आज एक ऐसे संकट के रूप में आ खड़ा हुआ है कि यदि उसका कोई ठोस समाधान नहीं किया गया तो राष्ट्र एवं समाज में एक घोर ऐशा विनाश होगी, जिसमें केवल मनुष्य तो क्या वल्कि संसार के सभी जीवधारियों नेस्तनाबूत हो जायेंगे और यह धरती भी सबूत नहीं बचेगी। किसी को यह खबर होते हुए भी चिन्ता नहीं है निकट भवष्य अतीत के आइने में नजर आने लगेगी। यद्दपि कि ऐसा भयावह घटना के लिए हम लालक रहेगें और बस सोचते रहेगें कि आगे क्या होगा।

वर्तमान घटना उत्तराखण्ड से हम ले सकते हैं प्रकृति के भयावह दिल दुःखाने वाले प्राकृतिक प्रकोप ने लाखों के जान से खेलते हुए प्रकृति ने नेस्तनाबूत कर दिया। समाचार, पत्र-पत्रिकाओं, में छपने वाले लेख, विभिन्न मुल्कों द्वारा बनाये गये कानून, दंड के प्रावधान प्रमाण है, लेकिन इतना कुछ करने और करते रहने के बावजूद यदि आपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि इसके लिए व्यावहारिक प्रयास किया जाना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है।

इस प्रसंग में यह बात ख्याल में ले लेने जैसी है कि कोई भी समस्या अस्तित्वगत होती है, इसलिए उसका समाधान अस्तित्वगत है, केवल वैचारिक अवगाहन और शाब्दिक जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, मगर पर्यावरण के मामले में ऐसा ही हुआ है, जल जंगल, जमीन, हवा आदि प्रकृति के तमाम प्राकृतिक उपहार क्षरित और प्रदूषित होते जा रहे हैं, धरती से लेकर आकाश तक कचरों का ढेर लगता जा रहा है, लेकिन हम केवल बहस करने में, कानून बनाने में और एक दूसरे मुल्कों पर तोहमत लगाने में उलझे हैं। व्यावहारिक स्तर पर वह सब नहीं कर पा रहे, जो हमें करना चाहिए। वर्तमान भौतिक जीवन में नये-नये बदलाव, शासन की नई नई आवधारणा, परिवर्तन, उपभोक्तावाद से परहेज, वैज्ञानिक युग का विकास, नये यंत्रों और तकनीकियों का सीमित उपयोग तथा अपनी लिप्साओं पर नियंत्रण आदि नहीं कर पा रहे हैं जबकि ये ठोस उपाय हैं।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस संकट की स्पष्ट पहचान हो पाई, लेकिन इसके बीज चार सौ साल पहले सोलहवीं शताब्दी में ही बो दिए गए थे। यह वह काल था जब इंग्लैंड का दार्शनिक बेकन ज्ञान के शक्ति होने की घोषणा कर रहा था और जर्मन साहित्य में ज्ञान प्रभुत्व और यौवन के लिए आत्मा को शैतान के हाथों गिरवी रखने वाला डॉ. फास्ट का चरित्र नायक बन रहा था। इन सबकी पृष्ठभूमि कोलंबस ने अमरीका को ढूँढकर तैयार कर दी थी। वह इस कि कोलंबस ने अमरीका को ढूँढकर उस रास्ते का पता बता दिया था जिस पर चलकर बाद में यूरोपियनों ने वहां के निवासियों को लूटा, वहां की पुरानी सभ्यताओं को नष्ट किया और वहां के वाशियों को जंगलों में खदेड़कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इसी पृष्ठभूमि में ज्ञान को ज्ञान को शक्ति और आत्मा को गिरवी रखने का विचार प्रचारित किया गया। जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस काल में एक ऐसी हवा चली जो हर यूरोपियनों के दिलों पर दस्तक देकर कान में सरगोशी से यह कहने लगी कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भोग है, क्योंकि कोलंबस जैसे जहाजियों के ढूँढे गए रास्ते पर चलकर यूरोप द्वारा आफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका जैसे महादेशों को लूटने तथा अन्य महादेशों में अपने उपनिवेश बनाने से वहां अतिरिक्त संपदा इकट्ठी होने लगी थी। इसी लूट की संपत्ति पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। पर्यावरण संकट के तार भी इसी औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हैं।

इसलिए कि इसी औद्योगिक क्रांति ने आज की उस केन्द्रिय प्रतिपाद्य उपभोक्तावाद हैं। उपभोक्तावाद उस जीवन-शैली का हिमायती है जो बेतहाशा भोग को महामामडित करती है। इसलिए यह जीवन के लिए आवश्यक-अनावश्यक जैसे

विमर्श के पचड़े में नहीं पड़ती बल्कि इसके बदले सिर्फ यह घोषित करती है कि संसार में जो कुछ है, जितना कुछ है, सब भोग के लिए है, इसलिए आदमी को सबका भोग कर लेना है, करते रहना है। भारतीय परम्परा में एक दार्शनिक चार्वाक हैं, जो इस तरह की घोषणाएं करते हैं उनकी प्रसिद्ध उक्ति है-“जब तक जीओं सुख से जिओं, कर्ज लेकर भी पीओ; क्योकि मरने के बाद देह का नाश हो जाता है, इसलिए कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा कहकर चार्वाक यद्दपि कि तमाम संयम और नैतिकता को खारिज करते हैं, लेकिन इस संदर्भ में यह दार्शनिक संप्रदाय कभी भी भारतीय दर्शन की मुख्यधारा नहीं बन पाया। इसलिए अन्य सभी दार्शनिक संप्रदायों ने इससे परहेज किया और कर्म, पुनर्जन्म तथा ईश्वर जैसी अवधारणों के सहारे नैतिक और संयमित जीवन जीने के विचार प्रस्तुत किए।

परन्तु, पश्चिम में ऐसा नहीं हो सका। 16वीं सदी में जो भोगवाद की नींव पड़ी उसे और पुष्ट करने और विकसित करने के लिए 18वीं-19वीं शताब्दी में बेंथम और मिल जैसे दार्शनिक आए जो अपने सुखवादी सिद्धांतों द्वारा भोग को प्रश्रय तथा बढ़ावा दिया। इन लोगों ने पुरजोर ढंग से यह प्रतिपादित किया कि सुख ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में केवल सुख प्राप्त करना चाहिए। इसी का नतीजा हुआ कि संयम, सदाचार जैसे शब्द बेमानी हो गए और अर्थ अत्यधिक मनमानीखेज होकर जीवन के केन्द्र में आ गया। अब आदमी एक आर्थिक प्राणी हो गया है और उसका कुल काम सुखभोग के लिए अर्थोपार्जन रह गया है। इसमें उसे अन्य प्राणियों के लिए चिंतित होने की गुंजाइश ही नहीं बची। उसे यह अवकाश ही नहीं रहा कि वह पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी-पहाड़

तथा धरती-आकाश के बारे में सोच सके। उसे तो बस प्रकृति के इन तमाम उपादानों से अपने भोग के लिए सामग्री पैदा करनी थी। इनका नाश करके अपने लिए सुख के संसाधन जुटाना था। उसकी खोजों के बूते उसे ऐसे यंत्र और तकनीकी उपलब्ध हुए, ऐसे उद्योग लगाने की सुविधा हुई जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने सुख के लिए भोग की सामग्री उत्पादित कर सके।

“एक कहावत समान्य लोग कहते चले आ रहे हैं कि कलयुग समय है जो चाहे करो; कलयुग का मतलब करने का युग, अगर आपने मनुष्य का जन्म लिया है तो दुनिया की जो भी भोग-विलास सुख-सुविधा है लेकर के जायें, ये जीवन दुबारा प्राप्त नहीं होना है। यह धारणायें मनुष्य के अन्दर आ गया है इस धारणा मनुष्य अपने नैतिकता को भूल गया है पारस्परिक सम्बंधों को खत्म कर दिया है अनैतिकता के जीवन में जीना लगा है समाज में पाप अन्याय घोर आपराध बढ़ने लगा है व्यक्ति अपने आवश्यकता से ज्यादा उपभोग करने लगा है जिसके कारण भावी भविष्य को घोर अंधकार का जाल बिछाकर रख लिया है।

आज मनुष्य अपने भोग के लिए नयी नयी सामग्रियों के उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी जो प्रकृति से मिल सकती थी इसलिए मनुष्य ने प्रकृति के संसाधन को दोहन और उसे नष्ट करना शुरू किया ही, साथ ही नदी, पहाड़ का दोहन किया तथा अन्य प्राणियों को भी नहीं बक्सा। इसी कारण जंगलों में रहने वाले जीवगत प्राणियों का देहावसान एवं लुप्त हो गये।

चिंता का विषय यह है कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहने वाला इससे निजात पाने के लिए सिर्फ पशुओं की तरह चुपचाप बैठे शांत रहकर सिर्फ वैचारिक

जुगाली कर रहा है। इसलिए पर्यावरण संकट को लेकर जो कुछ भी होता है वह चाहे सभा-सम्मेलन हो या लेखन भाषण सबमें सिर्फ रजिस्टर एवं सरकारी दफतर के आकड़े गिनाये जाते हैं, अनुपात से पता चलता है कि देश और सरकार द्वारा बनाये गए कानून और उसके उल्लंघन पर दिये जाये वाले दंड के प्रावधानों की चर्चा की जाती है अपनी जीवन शैली बदलने का कोई संकल्प नहीं लिया जाता। सब सिर्फ एक दूसरे को नसीहत देते रहते हैं। जब मनुष्य अपने भोगवादी सुख को तथा जीवन शैली को नहीं बदलेगा, संयम नहीं रखेगा तबतक, पर्यावरण संकट का समाधान नहीं निकल सकता और न उससे निजात पाया जा सकता। एक अनवर्य सार्वभौमिक तार्किक सत्य है कि ऐसा किए बगैर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता। और उस पर छाये संकट के बादल दूर नहीं हो सकते।

इसका सूत्र भारतीय ग्रंथों एवं परम्परा से मिल सकता है, यदि भारत की परंपरागत जीवन शैली को देखें तो यह साफ हो जायेगा कि यहां प्रकृति को नष्ट करके नहीं, उसे सुरक्षित रखकर जीवन जीने का प्रावधान है। इसलिए यहां वृक्षों की पूजा होती है, नदियों-पहाड़ों की पूजा होती है, धरती की पूजा होती है। हवा-आग को देवता मानकर पूजा जाता है, सांप और बाघ की पूजा होती है यहां पीपल जैसे वृक्षों को नहीं काटने और नदियों में कूड़ा-कचड़ा नहीं डालने का प्रावधान है। यह सब प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के ही उपक्रम हैं इसलिए यहां शास्त्रों में इसका विधान भी किया गया है। वेदों में पृथ्वी, वनस्पति अंतरिक्ष आदि सबकी शांति की प्रार्थना की गई है। तो उपनिषद में अग्नि, जल आदि में व्याप्त देवताओं को नमस्कार किया गया है। गीता में कृष्ण का अपने को पेड़ों में पीपल

बताने का उद्देश्य भी यही है। कुल मिलाकर यहा पर ऐसी जीवन पद्धति की वकालत की गई है, जिसमें मनुष्य को केन्द्र में रखकर अन्य सभी वस्तुओं और प्राणियों का अपने लिए उपभोग की मनाही है। यहां यह माना गया है कि ईश्वर जैसी एक ही परम सत्ता का वास प्रकृति के कण-कण में है और सभी प्राणियों के अन्दर भी वही निवास करती है। इसलिए यह दायित्व है कि वह इन सबकी सुरक्षा का भी ख्याल रखें और यह तभी हो सकता है जब सबका सिर्फ अपने भोग के लिए उपयोग नहीं किया जाय बल्कि उनके सहयोग के साथ जीवन जिया जाय।

पर्यावरण की सुरक्षा हर व्यक्ति का दायित्व है इसलिए इसका आपेक्षित परिणाम सम्मिलित प्रयास से ही मिल सकता है। हम यह प्रयास सघन और प्रमाणिक रूप से कर पायेंगे उतनी ही जल्दी इस संकट से उबर

पायेंगे। पर्यावरण की अवधारणा सन् 1972 में जब पहली बार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हुई अधिवेशन को तार से तार जोड़कर जबतक सब मिलकर कार्य नहीं करेंगे तबतक विश्व की जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या होकर खड़ी रहेगी, बल्कि समस्त जीवों के लिए गहरा संकट होता पैदा होगी रहेगी। इसे हल करने के लिए मानव जाति को अपने विकास के सम्पूर्ण ढांचे को परिवर्तन करने होंगे। यह परिवर्तन जितने ही जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा। एक उक्ति से अपने लेख को समाप्त करना उचित होगा कि सिर्फ "सोचने से नहीं करने से होगा" पर्यावरण संकट के लिए थोड़ा बदलों तो कोई बात बनें।

संदर्भ ग्रंथ :

1. ऋग्वेद – गीताप्रेस
2. यजुर्वेद – बनारसी दास
3. गीता –गीता प्रेस
4. वाल्मीकि रामायण
5. महाभारत –गीता प्रेस
6. पर्यावरण अध्ययन : हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल
7. समाचार दैनिक भास्कर जबलपुर दिनांक 05/06/2012
8. योजना : भारत सरकार नई दिल्ली।
9. वैदिक संहिता
10. भारतीय दर्शन

स्व-सहायता समूह : “आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच”

दिनेश प्रसाद ¹

प्रस्तावना : स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात से ही भारत सरकार देश की गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु प्रयत्नशील रही हैं तथा अनेक योजनाओं कार्यक्रमों को लागू भी किया गया है। फिर भी इन योजनाओं से देश में गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में लक्षित सार्थक सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। अतः इस दिशा में एक सार्थक एवं ठोस कदम उठाते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का श्री गणेश किया। जिसके अन्तर्गत स्व सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है ।

स्व-सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। स्व-सहायता समूह निर्माण के मामले में भारत को एक नई दिशा देने कि जरूरत है। जिससे इस योजना से भारत कि तस्वीर को बदला जा सके। स्व-सहायता समूह ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए एक सार्थक प्रयास है। स्व सहायता समूह के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन

यापन करने वाले परिवारों को सरकार तथा बैंकों के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तथा स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गांव के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से स्व-सहायता समूह का निर्माण भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण जन समुदाय भी सरकार कि इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं और स्व सहायता निर्माण को एक जन आन्दोलन का रूप दे रहे हैं। स्व-सहायता समूह द्वारा ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना को अधिक सही ढंग से जमीनी स्तर पर उतारने से कम समय में हम अपने देश के ऊपर से बेरोजगारी और गरीबी रूपी कलंक को मिटा कर आर्थिक विकास के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं ।

भारत में 26 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसका प्रमुख कारण गरीबों के पास वित्त की कमी एवं उन्हें उपलब्ध न होने वाले रोजगार के साधन हैं। अगर कहीं रोजगार मिल भी जाये तो कम मजदूरी के चलते गरीबों, श्रमिक का आर्थिक विकास नहीं हो पाता। गरीबी के कारण उन्हें अपने जीवन में अनेक संघर्ष एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अल्प मजदूरी के कारण उनकी बचत प्रवृत्ति भी अल्प होती है। अधिकांशतः श्रमिक एवं निर्धन वर्ग अपने जीवन कि मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने में असमर्थ हैं। जिसके कारण उनकी पहुँच बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं तक नहीं हो पाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना (SHG) के अंतर्गत श्रमिक गरीब वर्ग में अल्प बचत को बढ़ावा देकर एक सहकारी प्रयास द्वारा स्वसहायता समूह का निर्माण कर ये गरीब श्रमिक वर्ग भी वित्तीय संस्थाओं बैंकों में अपनी बचत को जमाकर अपने रोजगार, या अन्य आवश्यकताओं के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।

स्वसहायता समूह का निर्माण कर सभी सदस्य मिलकर किसी भी प्रकार का स्वरोजगार जैसे छटाई, कड़ाई बुनाई, टोकनी निर्माण, छपाई, दरी चादर, साड़ियों धान

मिलिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन दुग्ध व्यवसाय आदि ऐसे अनेक स्वरोजगार के साधन अपने सदस्यों के साथ मिलकर चला सकते हैं। जिससे सदस्यों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अनेक लघु वित्त संस्थाएं, बैंक तथा NGOs इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने में अपना उल्लेखीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। सरकार, वित्तीय संस्थाएं एवं बैंकों के द्वारा समूह के सदस्यों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की जा रही है। ताकि स्वसहायता समूह के सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में स्व सहायता समूह के द्वारा लाखों लोगों को स्वरोजगार के साधन हो रहे हैं। जिससे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी का स्तर दिनों दिन कम होता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना की अन्य सभी योजनाओं की अपेक्षा अधिक सार्थक परिणम प्राप्त हो रहे हैं। देश में बेरोजगारी एवं गरीबी कम होने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है ।

स्व सहायता निर्माण के लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. इस योजना मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों जैसे श्रमिक निर्धन वर्गों में भारी संख्या में बचत को प्रोत्साहित करना व सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। इस योजना में सहायता प्राप्त व्यक्ति "स्वरोजगारी" कहलायेगे लाभार्थी नहीं ।
2. इस योजना का उद्देश्य सहायत प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कम से कम 50 प्रतिशत अनु. जाति। जनजाति प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को लक्ष्य बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 40 प्रतिशत को इस योजना में लाने का प्रस्ताव है ।
3. 50 प्रतिशत महिला समूह का गठन कर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना तथा उनकी सहभागिता पर विशेष बल देना। ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
4. ग्रामीण परिवेश में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के गुणों की क्षमता, जानकारी तथा सामर्थ्य को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उचित सहयोग प्रदान कर उन्हें उपयोगी वस्तुओं का तथा सेवाओं का उत्पादनकर्ता बनाना।
5. न्यूनतम 3 वर्षों में मासिक आय रूपये 2000 अर्जित करने कि क्षमता तथा 5 वर्षों में 40 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास करना।
6. बैंकर्स विकास विस्तार अधिकारी और ग्रामीण निर्धनों के बीच पारस्परिक विश्वास एवं सामंजस्य विकसित करना।
7. कुटीर उद्योगों का पुनरोत्थान कर आत्मनिर्भरता कि शक्ति प्रदान करना। देश में अनेक गैर सरकारी संगठन संस्थाएं हैं, जो भी अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक कार्यों को सहयोग प्रदान करते हैं। प्रश्न उठता है गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) क्या है? "सामूहिक उद्देश्य से बिना किसी लाभ की भावना से सक्रिय कोई भी ऐसी संस्था जो लोकतांत्रिक आधार पर पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के जनहित का कार्य करे, उसे एन.जी.ओ. कहा जाता है।" भारत में सोसायटीज एक्ट 1973 (क्रमांक 44) की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत कोई भी संस्था गैर सरकारी संगठन का दर्जा प्राप्त कर सकती है। स्व सहायता समूहों के गठन तथा समूहों के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता प्रदान करने समूह द्वारा निर्मित सामान हेतु बाजार उपलब्ध कराने उन्हें कच्चा माल

उपलब्ध कराने में NGO आनी विशेष भूमिका का निर्वाहन कर रहे हैं। NGO का स्वसहायता कार्यक्रम आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान रहा है। NGO शासन के साथ सहयोग कर समूह आधारित इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने में अपना सराहनीय योगदान प्रदान कर सकते हैं ।

स्व सहायता समूहों की समस्या :- देश में स्व सहायता समूहों के निर्माण के द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने तथा इस योजना को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि स्व सहायता समूहों के निर्माण एवं इनके द्वारा निष्पादित कार्यों में आ रही समस्याओं एवं बाधाओं को दूर किया जाये। ताकि आवश्यकता पूर्ण लोगों तक इसका लाभ मिल सके। समूहों के निर्माण एवं निष्पादन कार्यों में निम्नलिखित समस्याएँ दृष्टिगोचर होती हैं –

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करने में पंचायतों द्वारा राजनीतिक पक्षपात की समस्या ।
2. ग्रामीण महिलाओं द्वारा समूह निर्माण के प्रति उदासीनता संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा स्व सहायता समूह की जानकारी लोगों तक उपलब्ध कराने में उत्साहपूर्वक पहल की कमी ।

3. समूहों को या सदस्यों को ऋण अनुदान प्रदान करने में वित्त संस्थाओं तथा बैंकों में अत्यधिक विलंब ।

4. समूह के सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु उचित प्रशिक्षण कार्यशाला तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव ।

5. अधिकारों का उचित सहयोग प्राप्त न होना ।

निष्कर्ष :- देश में निर्धनता व बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है । इन सभी योजनाओं का आंकलन करने पर तथ्य सामने आया है, कि इन सभी योजनाओं में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे स्व सहायता समूह कार्यक्रम ही गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के पूर्व जितनी भी योजनाएँ थी। स्व सहायता समूह प्रत्यक्ष रूप से गरीबों एवं बेरोजगारी की प्रत्यक्ष वे निर्णायक भूमिका नहीं थी। स्व सहायता समूह प्रत्यक्ष रूप से गरीबों एवं बेरोजगारों से जुड़ने के साथ संचालन, निर्णय आदि भी समूह के द्वारा ही किया जाता है ।

स्व सहायता समूह से जहाँ एक ओर गरीबी व बेरोजगारी का उन्मूलन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज में फैली बुराईयों ऊँच नीच का भेदभाव भी समाप्त हो रहा है ।

लघु ऋण सुविधाओं से जुड़ने कारण निर्धन वर्ग कि पहुँच बैंक तक हो गई हैं। जिसके द्वारा उन्हें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। देश के गरीब इस योजना से जुड़कर इसको सफल बनाने हेतु आगे आकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।

स्व सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित सामानों कि बिक्री हेतु सरस मेलों का आयोजन किया जाता है साथ ही समूहों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय जैसे दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, दलिया निर्माण, लघु सिंचाई परियोजना सब्जी उत्पादन, मछली उत्पादन, रेशम के कीड़ों का पालन हस्तशिल्प कलाओं आदि को भी बढ़ावा मिल रहा है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने में समूहों का योगदान उल्लेखनीय है । स्व सहायता समूह के द्वारा निर्धन वर्गों को साहूकार के शोषण से मुक्त कराने में भी सफल सिद्ध हो रहा है ।

देश में सभी राज्यों में स्व सहायता समूहों का निर्माण किया जा रहा है। किन्तु

समूहों के निर्माण में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश कर्नाटक, अन्य राज्यों से काफी आगे हैं। देश के 70-80 प्रतिशत स्व सहायता समूह इन्ही राज्यों में स्व सहायता समूहों से जहाँ इन राज्यों में गरीबी एवं बेराजगारी में कमी आई है वही राज्यों कि आर्थिक स्थिती भी सुदृढ़ हो रही है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Borain, M.P., "Empowerment of Rural Woman: Towards Reversal of Gender Relation," The India Journal of Social Work, Vol 64, Issue – 4, 2003 P.P. 521-530
2. अग्रवाल, सुबोध "महिला स्वसहायता समूहों की कारगर भूमिका" कुरुक्षेत्र 2004 पे.नं. 27-28 ।
3. Shylendra, H.S. The SHG – Bank Linkage Programme an assessment and future strategies, "A Journal of Rural development, A Quarterly of NIRD, Vol. 23 No. – 4, 2004, P.P. 411-431."
4. Choudhary, Sunil. "Self help Group Formation Through Frequently Asked Questions" Kuru Kshetra. Vol 53, No. 3 2005, P.P. 10-14.
5. डॉ. कुमार, राजेन्द्र "स्व-सहायता समूह के माध्यम से धानमिलिंग एक अभिवन कदम" कुरुक्षेत्र 2005 पेज नं. 41 ।

स्व सहायता समूह में गैर सरकारी संगठन तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं की भूमिका

तरुण कुमार मिश्रा ¹

देश में अनेक गैर सरकारी संगठन संस्थाएं हैं जो भी अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक कार्यों को सहयोग प्रदान करते हैं। प्रश्न उठता है गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) क्या है? "सामूहिक उद्देश्य से बिना किसी लाभ की भावना से सक्रिय कोई भी ऐसी संस्था जो लोकतांत्रिक आधार पर पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के जनहित का कार्य करे, उसे एन.जी.ओ. कहा जाता है।" भारत में सोसायटीज एक्ट 1973 (क्रमांक 44) की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत कोई भी संस्था गैर सरकारी संगठन का दर्जा प्राप्त कर सकती है। स्व सहायता समूहों के गठन तथा समूहों के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता प्रदान करने समूह द्वारा निर्मित सामान हेतु बाजार उपलब्ध कराने उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने में NGO आनी विशेष भूमिका का निर्वाहन कर रहे हैं। NGO का स्वसहायता कार्यक्रम आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान रहा है। NGO शासन के साथ सहयोग कर समूह आधारित इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने में अपना सराहनीय योगदान प्रदान कर सकते हैं।

विभिन्न सरकारी संस्थाएं भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना

सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिससे महिला वित्त एवं विकास निगम, महिला एवं बालविकास विभाग तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता भी समूहों के गठन के लिए महिलाओं को प्रेरित करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाहन कर रही हैं।

इनके अलावा प्रेरकी तथा स्थानीय ग्राम पंचायतों का भी स्व सहायता समूह के गठन में सराहनीय योगदान रहा है।

नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूहों को सहायता

प्रायः यह देखने में आया है कि स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों कि ऋण कि जरूरतों को पूरा करने के साथ उनके सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन हैं। एक दूसरे की सहायता करने की भावना व स्वनिर्णय लेने से समूह के सदस्यों का आत्म विश्वास बढ़ता है और आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठता है। स्वयं सहायता समूहों को गरीबों के संपूर्ण विकास का सशक्त माध्यम मानते हुए NABARD ने 1992 में स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम की शुरुआत प्रयोग के तौर पर की।

मध्यप्रदेश में स्वसहायता समूहों की उपलब्धियां

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निश्चित समयाविधि में उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें उपलब्ध संसाधन कौशल एवं विपणन को दृष्टिगत रखते हुए छोटे-छोटे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए वित्त सहायता और उनके कौशल उन्नयन एवं अधोसंरचना का प्रावधान किया गया है।

इस योजनांतर्गत गत पाँच वर्षों में 2004-05 से 2008-09 के बीच भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त राशि 544,88 करोड़ के विरुद्ध प्रदेश में 553,28 करोड़ का व्यय किया गया जो कि शत प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार पाँच वर्षों 2004-05 से 2008-09 में इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन मतस्य पालन उघानिकी, वर्मी कम्पोस्ट, ईट भट्टी गैस शिल्प, लघु उद्योग हथकरधा, हस्त शिल्पसर्विस सेन्टर में 334071 BPL युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तपोषण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य कराए गए हैं। लाभान्वित हितग्राहियों में 50 प्रतिशत

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के और 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। 2004-05 से 2008-09 के पाँच वर्षों के बीच 21 हजार 590 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिसमें लगभग 10 लाख BPL युवाओं को संगठित किया गया है। इनके द्वारा नियमित बचत कर स्व सहायता समूहों के सदस्यों के आपसी लेने देन कर छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति की जा रही है। पाँच वर्षों में चक्रीय राशि के रूप में 40 हजार समूहों को 42 करोड़ 22 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैंक से उन्हें सी.सी. लिमिट भी उपलब्ध कराई जाती है। जिससे इन समूहों के क्षमता कर उन्हें सुदृढीकरण किया गया है।

स्व सहायता समूहों को ऋण एवं अनुदान देने में बैंकों का योगदान

इस पूरी योजना में बैंकों की भूमिका को पूर्व की तुलना में बहुत अधिक बढ़ाया गया है। बैंकों को कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं। ताकि यह योजना चलाने के प्रथम दिन से उससे जुड़ जाये। बैंकों से यह चाहा गया कि वे स्वरोजगारियों एवं समूह के चयन में भी मुख्य निभाये। वे समूह को अच्छी लाभकर गतिविधि चुनने में सहायता प्रदान कर सकते हैं

तालिका

भारत में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या व प्रतिशत की सूची

क्र. संख्या	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या (लाख में)	प्रतिशत
1.	आंध्रप्रदेश	164.40	7.422
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	6.118
3.	असम	44.90	2.028
4.	बिहार (अविभाजित)	329.90	14.872
5.	गोवा	2.89	0.130
6.	गुजरात	67.70	3.056
7.	हरियाणा	67.70	0.130
8.	हिमाचल प्रदेश	5.80	0.732
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8.10	0.366
1	कर्नाटक	102.90	4.646
11	केरल	55.90	2.524
12.	मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़	218.00	9.842
13.	महाराष्ट्र	176.10	7.950
14.	मणिपुर	1.30	0.060
15.	मेघालय	3.90	0.170
16.	नागालैंड	3.90	0.190
17.	मिजोरम	1.60	0.072

स्रोत : प्रतियोगिता दर्पण (भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक 2008)

स्व-सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। स्व-सहायता समूह निर्माण के मामले में भारत को एक नई दिशा देने कि जरूरत है। जिससे इस योजना से भारत की तस्वीर को बदला जा सके। स्व-सहायता समूह ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए एक सार्थक प्रयास है। स्व सहायता समूह के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार तथा बैंकों के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तथा स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गांव के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से स्व-सहायता समूह का निर्माण भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण जन समुदाय भी सरकार कि इस

योजना को मूर्त रूप देने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं और स्व सहायता निर्माण को एक जन आन्दोलन का रूप दे रहे हैं। स्व-सहायता समूह द्वारा ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना को अधिक सही ढंग से जमीनी स्तर पर उतारने से कम समय में हम अपने देश के ऊपर से बेरोजगारी और गरीबी रूपी कलंक को मिटाकर आर्थिक विकास के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं।

स्व सहायता समूह ऐसे निर्धन ग्रामीण लोगों के लिए विशेष वरदान हो रही है। जिन निर्धन लोगों की पहुँच बैंकों तक नहीं थी। स्व सहायता समूह से सहकारी प्रयास सूक्ष्म बचत के द्वारा बैंकों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण लेकर ग्रामीण निर्धन एवं बेरोजगार अपनी आर्थिक स्थिति में एक सार्थक बदलाव ला रहे हैं।

अर्थशास्त्री : नाना जी देशमुख

डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा .जबलपुर म.प्र

नाना जी देशमुख ने अपने जीवनकाल में मानवकल्याण के लिए उन्होंने जो साधना जो तपस्या की, उसे देखते हुए तो उनके जीवित रहते हुए ही उन्हें इस रूप में संबोधित किया जा सकता था। लेकिन नानाजी को यह स्वीकार्य नहीं होता। चित्रकूट में नानाजी के काम को देखने व उनसे मिलने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें एक ऋषि तुल्य व्यक्ति के रूप में ही संबोधित करते थे। अपने शास्त्रों में विराट पुरुष की जो व्याख्या की गई है। नानाजी उसके मूर्त रूप थे। आमजन के लिए तों विराट पुरुष वह है। जो चारों पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी का मर्म समझता हो, जो मानता हो कि यही मानव जीवन का अधिष्ठान है। उनमें संतुलन बैठा सकता है। नानाजी का समस्त जीवन, विचार व कर्तव्य उन्हें विराट् पुरुष के फ्रेम में ही रखते हैं। जिन लोगों के बीच वे काम करते थे, जो वंचित थे। उनके लिए तो नानाजी विराट् पुरुष ही थे।

देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान करने से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में नानाजी ने पहले राष्ट्रीय राजनीति में और फिर बाद में सामाजिक पुनर्रचना के कार्य में अपनी जो छाप छोड़ी वह अद्वितीय है। राजनीति में उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते हैं। नानाजी ने देश में राजनीति की विभिन्न धाराओं को राष्ट्रहित के लिए एकजुट करने का जो अनोखा काम किया उनके अलावा कोई अन्य राजनीतिज्ञ वह फिर नहीं कर पाया यहा तक कि जिस कांग्रेस को हराने के लिए वे जीवनभर प्रयासरत् रहे समय आने

पर उन्होंने उसें भी उन्होंने राष्ट्रहित में साथ आने का निमंत्रण देने में संकोच नहीं किया। संघ तो जीवन पर्यंत उनकी जीवन रेखा रहा। संघ पर जब भी कोई अनर्गल आपेक्ष लगा तो नानाजी उसके सामने एक ढाल की तरह खड़े रहे एक योद्धा के रूप में। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके सखा व प्रेरणास्त्रोत थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि बदलते राजनैतिक परिवेश में अन्य विचारों को साथ लेना भी जरूरी हो गया है तो उन्होंने डा. राममनोहर लोहिया और आचार्य कृपलानी जैसे लोगों को भी अपने साथ आत्मसात करने में कोई परहेज नहीं किया। 70-80 के दशकों में ऐसा समय आया जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने राजनैतिक कार्यों के लिए पूरी तरह नानाजी पर निर्भर हो गए। 60 बरस की उम्र होने पर सक्रिय राजनीति छोड़कर सामाजिक पुनर्रचना कर देश के राजनीतिज्ञों के लिए एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। सामाजिक कार्यों में उन्होंने समाज की पहल और उसकी भागीदारी के आधार पर जो मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया उसकी सराहना देश भर में होती रही है। आज विदेशों से भी कई शोधार्थी और विधार्थी उस माडल को समझने व उसे अपने यहा दोहराने की दृष्टि से चित्रकूट आते रहते हैं। गोंडा तो प्रारंभ से उनकी कर्मभूमि रहा है और बाद में बीड़ व नागपुर भी। नानाजी के बहुआयामी व्यक्तित्व को टुकड़ों में बाटकर नहीं देखा जा सकता। मानव जीवन में जिस समग्रता के वे आग्रही थे, उन्हें भी उसी समग्रता से देखने की आवश्यकता है। उनके जीवन के हर आयाम, पहलू को आने वाली पीढ़ी के समक्ष

रखने का प्रकल्प है। यह नानानी वाङ्मय नानाजी ने अपने सार्वजनिक जीवन के सात से अधिक दशकों में बहुत कुछ बोला और लिखा। राष्ट्रहित में शायद उससे भी ज्यादा उन्होंने अपने सीने में छुपा कर रखा। लेकिन नानाजी ने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों को मानना है कि इसे समग्र नहीं कहा जाए। क्योंकि नानाजी के जीवनकाल में एक बहुत बड़े भाग का लेखा जोखा तो उन्होने स्वयं संजो कर रखा था। उपलब्ध नहीं है। और उसके बिना समग्रता से नहीं देखा जा सकता। वास्तव में यह बहुत तकनीकी विषय है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर भी नानाजी का व्यक्तित्व समग्रता से देखा जा सकता है। बहुत से साक्षात्कारों व उनके बाद में लिखे गए पत्रों आदि में नानाजी ने कई बार अपने उस कालखंड का विस्तार से उल्लेख किया है। वैसे भी इस वाङ्मय को अब समग्र न कहकर विराट पुरुष नानाजी के जीवन के विभिन्न आयामों के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। उनके विचारों व कर्तव्य को विभिन्न विषयों में तो विभाजित नहीं किया जा सकता है। न ही यह संभव है कि रहा है।

विभिन्न समाचारपत्रों व प्रकाशनों के अतिरिक्त वे संस्थान के प्रकाशन मंथन में जिज्ञासु पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते रहें। इन सभी साक्षात्कारों को किसी एक विषय से संबंधित खंड में नहीं रखा जा सकता। इनमें प्रश्नों में विविधता थी। और नानाजी के विचारों को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा समझा जा सकता है। ऐसा भी महसूस हुआ कि जितने भी साक्षात्कार उपलब्ध थे। उन्हें एक साथ प्रकाशित करने से नानाजी के व्यक्तित्व को समग्रता से समझने में आसानी रहेगी।

एक समरस, संस्कारित, सुदृढ़ सबल, सशक्तीकृत समाज, नानाजी के विचारों व कर्तव्यों के केन्द्र में था। एकात्म मानव ऐसे ही समाज का हिस्सा बनकर एक स्वस्थ, समृद्ध व शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उनका स्पष्ट मत था कि सरकार भी समाज की अनुगामी होनी चाहिए। उनकी दृष्टि में सरकार तो समाज के सामने के गौण है। उनके सभी विचार व कर्तव्य इसी धारणा के इर्द-गिर्द घूमते रहे। वे अपनी बातों में, अपने भाषणों में, लेखों में पत्रों में सामाजिक पुनर्चना के विविध आयामों पर बार-बार चर्चा किया करते थे। उन्हें रेखांकित किया करते थे। नानाजी द्वारा स्थापित सभी प्रकल्पों में इस विचार को हम आकार लेते हुए देख सकते हैं। इन सभी प्रकल्पों की कल्पना व रूपरेखा को नानाजी स्वयं लिखा करते थे। वह मूल रूप से ही इस खंड में दी जा रही है। सामाजिक जीवन में परस्परपूरकता व सहजीवन नानाजी के लिए सामाजिक पुनर्चना के मूलमंत्र थे। इन बिन्दुओं पर इन खंडों में बार-बार अलग-अलग संदर्भ में पढ़ने को मिलेगा। उनके विचारों की व्यापकता इन प्रकल्पों की रूपरेखा से समझ आ सकती देशज मूल्यों के प्रति नानाजी का आग्रह वर्तमान युग को समझने की उनकी ललक और दोनो में तालमेल बिठाने का जज्बा नानाजी को अन्य महापुरुषों से अलग करता है। समाज शिल्पी दम्पति योजना नानाजी द्वारा प्रतिपादित अनूठी योजना है। संघ के संस्कारों में पले, बड़े नानाजी के स्वयं प्रचारक जीवन का बेहद ईमानदारी से पालन किया लेकिन उन्हें लगने लगा कि भविष्य में समय की मांग होगी कि नवविवाहित दम्पति प्रचारकों की भांति काम करें तो उनके लिए गांवों में काम करना और पारिवारिक वातावरण व मानसिका को समझना अधिक सरल होगा। इसलिए

उन्होंने समाज शिल्पी दम्पति का प्रयोग किया जो आज भी सफलता के साथ रहा है।

अर्थशास्त्र, नानाजी के समग्र चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। गोंडा, बीड़ और फिर चित्रकूट, इन सभी चित्रकूट इन सभी प्रकल्पों में नानाजी ने समाज की उद्यमशीलता पर पर्याप्त जोर दिया। उनके आर्थिक चिंतन का केन्द्र-बिन्दु था स्वावलंबन। उनका मानना था कि स्वावलंबन के बिना स्वाभिमान हासिल किया जा सकता। और स्वावलंबन के बिना स्वाभिमान हासिल नहीं किया जा सकता। और स्वावलंबन का पाठ तो हमारी देशज ज्ञान परंपरा में बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है।

नानाजी का मत था कि ग्राम विकास का मूलमंत्र है स्वावलंबन। उसके बिना विकास एकतरफा व उथला है। वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। समाज में विषमता पैदा करता है। मनुष्य को लालची बनाता है। समाज में अनावश्यक होड़ पैदा करता है। कृषि पर उनका विशेष बल था। लेकिन वे मानते थे कि कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के बिना भूमि पर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि वह अलाभकारी हो जाएगी। हम उनकी आशंकाओं को सही साबित होते देख रहे हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त वे दकियानूसी विचारों का प्रतिपादन कतई नहीं करते थे। वे नए वैज्ञानिक आविष्कारों व खोजों के अनुप्रयोग का बेहद आग्रह रखते थे। उनके बारे में जानने को उनके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। कृषि विज्ञान जिज्ञासा बनी रहती थी। कृषि विज्ञान केन्द्र आधुनिक प्रयोगशालाएं जमीनी प्रयोगशालाएं अनुसंधान केन्द्र नानाजी की योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जब वे पशुपालन के महत्व को रेखांकित करते थे, तो गाय के धार्मिक पक्ष की नहीं बल्कि उसके आर्थिक व

वैज्ञानिक पक्ष की वकालत करते हुए मिलेंगे इस खंड में।

शिक्षा के बारे में नानाजी की कल्पना आम धारणाओं से बहुत भिन्न थी। किताबी शिक्षा को वे व्यावहारिक व मानव-प्रदत्त शिक्षा के सामने गौण मानते थे। उनके लिए शिक्षा व संस्कार दूसरे के परत्पराओं थे। एक-दूसरे के बिना अधूरे। उनका मत था कि शिक्षा व संस्कार की प्रक्रिया गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। और जीवनपर्यन्त चलती है। नानाजी इस बात पर बल देते रहे शिक्षा का मर्म तो देशानुकूल होना चाहिए लेकिन उसमें गतिशीलता बनी रहनी चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वयं को समय के मुताबिक ढाल सकें। नानाजी को खेद था कि आज समाज ने अपने दायित्व सरकार पर छोड़ दिये हैं, लेकिन समस्या यह है कि सरकार चलाने वाला नेतृत्व इस बारे में पूरी तरह दिशाहीन है। उसे मैकाले-प्रदत्त शिक्षा व्यवस्था को निभाना सबसे सरल लगता है। लिहाजा वह उसे श्रेष्ठतम बताने के बहाने भी ढूंढता है और उसमें जारी रखने के भी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अन्य मनीषियों के भाव ग्रहण करने में परहेज करते थे। जब उन्हें लगा कि डेनमार्क के शिक्षामार्क के शिक्षाविद् ग्रंटविंग द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था भारत के स्वभाव से मेल खाती है। तो उन्हें यह स्वीकार करने में भी संकोच नहीं हुआ कि उसके मुकाबले गांधी और टैगोर की शिक्षा प्रणालियां की कई सीमाएं थी। नीतिक शिक्षा नानाजी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। और उनका मानना था कि यह लोक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। अगर बिद्वता को संयत करने के लिए उसे लोक शिक्षा के धरातल पर नहीं उतारा गया तो विद्वता पथभ्रष्ट हो जाएगी। नानाजी देशमुख देश के उन गिने चुने स्वयंसेवकों में से थे

जो प्रत्यक्ष रूप से संघ के स्वयंसेवकों में से थे जो प्रत्यक्ष रूप से संघ के संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रेरणा से स्वयंसेवक बने थे। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने डाक्टरजी का भाषण सुन कर स्वयं को राष्ट्रवादी के लिए समर्पित कर स्वयंसेवक बनने का निश्चय कर लिया था। 18 वर्ष की आयु में डाक्टर जी ने ही उन्हें स्वयंसेवक की प्रतिज्ञा दी। तब से वे जीवनपर्यंत खासी स्वयंसेवकत्व के आग्रही रहे। आरंभिक काल संघ के प्रत्यक्ष कार्य में लगाने के बाद नानाजी ने स्वयं को अपने जीवन ध्येय यानी शिक्षा को देशानुकूल बनाने के काम में लगने के काम में लगाने का निर्णय किया और कल्पनाशील नानाजी ने प्रारंभ की शिशु मंदिर की परंपरा। अल्पकाल में ही उन्होंने अपनी दूरदृष्टि लगन और संपर्कों के माध्यम से इसे स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली थी। और तभी उदय हुआ जनसंघ का। संघ नेतृत्व को नानाजी के अंदर का राजनीतिज्ञ नजर आया। और उन्हें दीनदयाल जी के साथ जनसंघ में भेज दिया गया। लगभग तीन दशक तक नानाजी के राजनीतिक पटल पर छाए रहे। इमरजेंसी के पश्चात जब नानाजी देश की राजनीति में अपने शिखर पर थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपने शिखर पर थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति से सन्यास लेकर देश के मामले एक नई मिसाल रखी और युवाओं को आगे आने का आहान किया। यहा से आरंभ हुआ उनके जीवन का नया और सबसे उल्लेखनीय अध्याय। अपने इस नए अवतार में नानाजी ने देश पर अपनी सबसे ज्यादा छाप छोड़ी। एक स्टेट्समैन एक आधुनिक ऋषि राष्ट्रऋषि के रूप में। दलगत भावना से बिल्कुल हटकर चलने वाले राजनेता के रूप में। वास्तव में उन्होंने

राजनीति को छोड़ राष्ट्रनीति प्रतिपादन करने का अपनाया।

जनसंघ की स्थापना के साथ ही उसमें पदार्पण करने वाले नानाजी देशमुख शायद स्वभाव से ही उसमें पदार्पण करने वाले नानाजी देशमुख शायद स्वभाव से ही राजनीतिज्ञ थे। संघ नेतृत्व को नानाजी का यह शाश्वत गुण प्रारंभिक काल में ही समझ आ गया था। और नानाजी ने अपने नेतृत्व को कभी निराश नहीं किया। अपने शैशवकाल में जनसंघ भले ही कोई बहुत बड़ी राजनैतिक शक्ति न बन पाया हो परंतु नानाजी शीघ्र ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी अवश्य बन गए थे। लगभग तीन दशक तक नानाजी देश के राजनैतिक पटल पर छाए रहे। जनसंघ में भी और उससे बाहर भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पश्चात जनसंघ में उनकी छवि एक अद्वितीय संगठन की बनी और पंडित जी के रहते हुए भी देश के राजनीति में एक ऐसे सर्वमान्य राजनेता की जो अपनी विचारधारा से इतर अन्य दलों को भी साथ लेकर की क्षमता रखता था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया और आचार्य कुपलानी जैसे विचारको और महानायकों को कभी नानाजी के साथ काम करने में संकोच नहीं हुआ बल्कि ये सब काफी हद तक नानाजी पर निर्भर हो गये थे। सिर्फ राजनैतिक दल ही नहीं, उद्योग व पत्रकारिता जगत के महारथियों ने भी नानाजी की अद्भुत क्षमता को बार-बार अनुभव किया।

राजनेता के रूप में नानाजी बहुत से राजनीतिक घटनक्रमों के साक्षी रहे। 1960 के दशक में गैर-कांग्रेसवाद की राजनीति के सूत्रपात नानाजी ही रहे। कई राज्यों में जो गैर सरकारें बनी उनके रणनीतिकार व रचनाकार नानाजी ही रहे। 1970 दशक में

इमरजेंसी से पहले वे उसके बाद पर्दे के पीछे चलने वाली देशभर की सारी राजनीति के वे मुख्य किरदार रहे। नानाजी का उल्लेख किए बिना उस दशक की राजनीति की

कल्पना ही नहीं की जा सकती राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं के कारण जनता पार्टी के टूटने की वेदना नानाजी कभी छुपा नहीं पाए।

महिला सशक्तिकरण : वास्तविक या भ्रम—एक दृष्टिकोण

डॉ. सीमा सिंह¹

महिला सशक्तिकरण से 'तात्पर्य है' महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता।'

भारतीय समाज में वैदिक काल में नारियों का स्थान सम्मानजनक था परंतु मध्यकाल आते आते नारियाँ शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते गईं, पुरुष प्रधान समाज सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक परम्पराएं, संस्कार इन सभी ने नारी को सबला से अबला बना दिया।

समकालीन समाज में नारी संबंधी व्याख्या में तीन अवधारणाएं प्रयुक्त होती हैं प्रथम 'नारीत्व' अर्थात् शारीरिक भिन्नता होना द्वितीय 'नारीयता' अर्थात् समाज की संस्थाओं सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यवहारों, प्रथाओं, रीति रिवाजों द्वारा नारीयता का निर्माण करना व तृतीय 'नारीवाद' अर्थात् नारी के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रूप प्रदान करना।

महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा प्राप्ति, व्यवसाय, परिवार में निर्णय का समान अवसर मिलना और आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होना शामिल है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना, सभी देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त

होना, विश्व में प्रत्येक पांच में से एक महिला सांसद होना, 125 देशों द्वारा घरेलू हिंसा को गैर कानूनी घोषित करना 117, देशों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को गैर कानूनी घोषित करना। 115 देशों में सम्पत्ति में महिलाओं को बराबर अधिकार देना।

भारत के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के तहत संवैधानिक स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर सामाजिक व आर्थिक स्तर पर अनेक प्रयास किए गए जिसमें केन्द्र सरकार की नौकरियों में 7.53% महिलाएं होना, भारतीय महिला सांसदों की भागीदारी 10.96% होना, 100 छात्रों पर मेडिसिन में 90 छात्राएं होना, अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं का 40% की भागीदारी होना।

पंचायतीराज में महिलाओं को 50: आरक्षण मिलना, सरकारी नौकरियों को पाने हेतु आयु में छूट, भवन की रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट, नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण इन सभी ने महिला सशक्तिकरण को बल दिया।

परिणाम :- भारत में महिला सशक्तिकरण के उदाहरणों में भारत की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, आई सी आई की एम डी चंदा कोचर, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी, प्रथम महिला आई पी एस किरण बेदी पर्यावरणविद सुनीता नरेन,

मिसाइल महिला टेंसी थामस, समाज सेविका मदर टेरेसा इन सभी महिलाओं ने सशक्तिकरण का एक आयाम प्रस्तुत किया है।

महिला सशक्तिकरण को समाज का एक वर्ग आधुनिक दृष्टिकोण से देखता है जिसमें महिलाएं पाश्चात्य विचारों को अपनाती हैं परंतु समाजशास्त्रीय अवधारणा के तहत महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य बनाना उनमें साहस पैदा करता है।

भारत में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशवचंद्र सेन ऐनीबीसेंट इन सभी ने 'सतीप्रथा निषेध अधि. 1829, हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधि. 1856, विशेष विवाह अधि. 1875 इन सभी के जरिए तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्व विद्यालय महिला संघ के सहारे महिलाओं को सबल बनाया है।

भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना, महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू करना, 26 जनवरी 2015, को महिला कमांडरों को परेड में मौका मिलना महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को दर्शाता है।

वास्तविक या भ्रम

वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के जितने भी प्रयास हुए हैं उसमें वास्तविक के साथ साथ भ्रम भी दिखाई देता है।

मरडाक ने लिखा है विविध प्रकार के 224 समाजों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रायः तीन चौथाई समाजों के खाना पकाने, आम के लिए लकड़ी चुनने, अनाज पीसने, बर्तन बनाने एवं सफाई करने,

कपड़ा या चटाई बनाने का काम महिलाओं के सुपुर्द है।

अर्थात् महिलाएं किन अर्थों में सबल दिखाई देती हैं महिला सांसदों सरपंचों, जन प्रतिनिधियों के अधिकतर कार्य उनके पतियों द्वारा किए जाना, महिलाओं का पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाना, आर्थिक रूप से सबल होते हुए भी निर्णय की बागडोर पुरुषों द्वारा अपने हाथ में रखना, पहनावे खान पान व्यवहार पर परम्परावादी सोच लादना मताधिकार का प्रयोग भी पुरुषों की सहमति से करना।

काश्मीर का पहला रॉक बैंड, 'परगाश' बनाने वाली तीन लड़कियों द्वारा अपने बैंड व संगीत से तौबा करना। महिला सशक्तिकरण की धारा में सिर्फ शहरी महिलाओं का आगे आना। ग्रामीण महिलाओं में आज भी मध्यकालीन विचारधारा का हावी होना, महिला सशक्तिकरण के वास्तविक परिणाम के संदर्भ में एक भ्रम प्रस्तुत करता है।

फिर भी मध्ययुगीन शोषण और उत्पीड़न के दौर से निकलकर महिलाओं का समकालीन समाज में एक सबला नारी के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होना राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक महिला सशक्तिकरण का एक उदा. प्रस्तुत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. महिला सशक्तिकरण-समसामयिक ज्वलंत मुद्दे पृष्ठ 36, विद्या पब्लिकेशन मेरठ।
2. मुझे उड़ने दो, 8 मार्च 2013 जागरण।
3. गुप्ता एण्ड शर्मा, सामाजिक आन्दोलन पृष्ठ 910 साहित्य पब्लिकेशन आगरा।
4. जोशी गोपा -2006 - भारत में स्त्री समानता एवं विमर्श दिल्ली विश्वविद्यालय।
5. 5 फरवरी 2013 इक्कीसवीं सदी में महिलाएं और समाज - जागरण
6. 26 मार्च 2011 - जागरण

“ जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण ”

डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी ¹

सारांश : बढ़ती हुई आबादी से पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है” पर्यावरण पर अनवरत रूप से दबाव बढ़ता जा रहा है। अत्याधिक जनसंख्या के कारण हमारे देश तथा विश्व के समक्ष अनेक कठिन समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना कठिन होता जा रहा है। इसके साथ ही पहनने को वस्त्र, रहने को स्वच्छ हवादार मकान, चिकित्सा सुविधायें, शिक्षा की व्यवस्था होती है। अपराधों में वृद्धि गंदी बस्तियों का निर्माण, रोजगार समस्याएँ भूखमरी, कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही मानवीय जनसंख्या ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण एवं विकिरण प्रदूषण जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है, जो पर्यावरण के लिए निरंतर खतरा बनता जा रहा है। प्रस्तुत आलेख में जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को दर्शाया गया है।

प्रस्तावना : आज सारे विश्व के समक्ष जनसंख्या की वृद्धि सबसे प्रमुख समस्या है, और पर्यावरण प्रदूषण में जनसंख्या की वृद्धि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। औद्योगीकरण के कारण आये दिन नये-नये कारखानों की स्थापना की जा रही है। इससे निकलने वाले धुएँ के कारण वायुमण्डल प्रदूषित हो रहा है। साथ ही मोटरों, रेलगाड़ियों आदि से निकलने वाले धुएँ से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इनके कारण सांस लेने के लिये शुद्ध वायु का मिल पाना कठिन है। वायु के साथ-साथ जल भी प्रदूषित हो गया है। नदियों का पानी दूषित करने में कारखानों का सबसे बड़ा हाथ है। कारखानों का सारा कूड़ा-कचरा नदी के हवाले कर दिया जाता है, बिना यह सोचे कि इनमें से बहुत कुछ पानी में इस तरह घुल जायेगा कि मछलियाँ मर जायेंगी और मनुष्य पानी नहीं पी सकेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के

कारण शुद्ध वायु तथा जल न मिलने के कारण खांसी, जुकाम, निमोनिया, कई प्रकार के चर्म रोग, फेफड़ों का कैंसर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि प्रदूषण को रोकने के लिये पर्याप्त एवं मजबूत कदम न उठाये गये तो सौ वर्षों के बाद इस धरती पर मानव समेत सभी जीवधारियों का जीवित रह पाना असंभव हो जाएगा।¹

जनसंख्या वृद्धि

यद्यपि पृथ्वी पर मनुष्य लगभग दस लाख वर्षों से रहता आया है, पर उसके अस्तित्व के अधिकांश काल में जनसंख्या अल्प रही है। जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि 20वीं शताब्दी में ही पाई जाती है। इतिहास के विभिन्न कालों में विश्व की जनसंख्या निम्नानुसार रही है :-

¹ नेट जेआरएफ, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग रा.दु.वि.वि.

1650	—	54.5 करोड़ (डूरंड के अनुसार)
1750	—	79.0 करोड़ (डूरंड के अनुसार)
1800	—	97.8 करोड़ (डूरंड के अनुसार)
1850	—	126.2 करोड़ (डूरंड के अनुसार)
1900	—	165.0 करोड़ (डूरंड के अनुसार)
1950	—	251.5 करोड़ (राष्ट्रसंघ के अनुसार)
1980	—	441.5 करोड़ (राष्ट्रसंघ के अनुसार)
2000	—	620.0 करोड़ (राष्ट्रसंघ के अनुसार)
2027	—	1000.5 करोड़ (राष्ट्रसंघ के अनुसार)

जनसंख्या 1650 के पूर्व विश्व की जनसंख्या का सही अनुमान लगाना कठिन है यद्यपि इस दिशा में भी अनेक प्रयास हुए हैं।

1650 के अन्त तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर लगभग 55 करोड़ हो गई। इसमें से एशिया में 33 करोड़, यूरोप में 10 करोड़, अफ्रीका में 10 करोड़ तथा अन्य महाद्वीपों में 2 करोड़ जनसंख्या निवासी करती थी। यद्यपि इस अवधि में जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही पर संक्रामक बीमारियों, दुर्भिक्ष, सूखा, बाढ़, भूकम्पों तथा युद्धों ने जनसंख्या को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप, पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया में वृद्धि दर अधिक और अन्य क्षेत्रों में कम रही।

ईसा पूर्व की 25 करोड़ जनसंख्या का दुगुना होने में 1650 वर्ष लग गये, पर 1650 के लगभग 55 करोड़ जनसंख्या को दुगुना होने में 200 वर्ष से भी कम समय लगा। डूरंड के अनुसार 1850 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 126.5 करोड़ जो जो

100 वर्षों में पुनः द्विगुणित होकर 1950 में 251.5 करोड़ हो गई।

18वीं तथा 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई और यह महाद्वीप जनाधिक्य का शिकार रहा। फलस्वरूप इन दो शताब्दियों में लाखों की संख्या में लोग उत्तर व दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड को प्रवास पर चले गये। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ थी जो भारी बहिर्प्रवास के बावजूद शताब्दी के अन्त तक 30 करोड़ हो गई और प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बावजूद 1950 तक यह बढ़कर लगभग 40 करोड़ हो गई। 19 वीं शताब्दी में उत्तर व दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या में भारी वृद्धि पाई जाती है। सन् 1800 में दोनों अमेरिका की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ थी जो 1900 तक बढ़कर 15.6 करोड़ हो गई तथा 1950 तक पुनः द्विगुणित होकर 32.8 करोड़ हो गई। 19वीं शताब्दी के अन्त तक एशियाई व अफ्रीकी देशों में वृद्धि दरें अल्प रही हैं और 1900 से 1950 के बीच पूर्वी तथा दक्षिण एशिया में निरपेक्ष वृद्धि बहुत भारी (लगभग 45 करोड़) रही है। यदि 19वीं शताब्दी यूरोप व अमेरिका में भारी जनसंख्या वृद्धि का काल रहा है तो 20 वीं शताब्दी एशिया व अफ्रीका में जनसंख्या विस्फोट की शताब्दी है।²

पर्यावरण और उसका प्रदूषण :-

पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि+आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ परि=चारों ओर, आवरण=घेरा, यानि हमें चारों ओर से घेरने वाला पर्यावरण ही है। प्राचीन काल में मानव बहुत सीधा-सादा जीवन व्यतीत करता था, उस समय पर्यावरण के बारे में इतना

सब नहीं समझता था लेकिन मानव ने जब से उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, विश्व में पर्यावरण की एक नई समस्या उभरकर हमारे सामने आई है। मनुष्य ने पर्यावरण को जब तक अपने हिस्सेदार की तरह समझकर अनुकूल रखा तो लाभ भी लिया। लेकिन जब से मानव ने पर्यावरण के साथ अल्पाविधि लाभ हेतु इसके साथ छेड़छाड़ की और अदूरदर्शिता से प्राकृतिक सम्पदाओं का उपयोग किया और उसे नष्ट किया है, तभी से वातावरण में अवांछित परिवर्तन हुए जिसके बारे में मानव ने कभी सोचा नहीं और यह हानि उठानी पड़ी है।

मानव ने बिना सोच-विचार के अपनी सुविधा हेतु मोटर-वाहनों का प्रयोग, औद्योगिकरण, कृषि, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आवश्यकताएँ, वनों की कटाई, वन्य जीवों का शिकार, प्लास्टिक उद्योग, परमाणु परीक्षण आदि से वातावरण में अनचाहे परिवर्तन हुए हैं और हमारी भूमि, जल व वायु के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन हुआ है जो कि पूरी मानव सभ्यता के लिए अलाभकारी सिद्ध हुआ है।³

पर्यावरण प्रदूषण :-

पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य होता है मानवीय कारणों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास जबकि पर्यावरण अवनयन के अन्तर्गत प्राकृतिक एवं विश्व स्तरों पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास जबकि पर्यावरण अवनयन के अन्तर्गत प्राकृतिक एवं मानव-जनित दोनों कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तरों पर पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि विभिन्न समुदाय एवं वर्ग के लोग प्रदूषण को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, यथा-भूगोलवेत्ता

सामान्य रूप से तथा पर्यावरण भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से पर्यावरणीय समस्या के रूप में, समाजविज्ञानी सामाजिक समस्या के रूप में, अर्थशास्त्री आर्थिक समस्या के रूप में, पारिस्थितिकीविद् पारिस्थितिकीय समस्या के रूप में आदि, अतः इसे (प्रदूषण) विभिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण अवनयन एवं पर्यावरण प्रदूषण को सदा मनुष्य के सन्दर्भ में लिया जाता है। अधिकांश लोगों का प्रायः यह मत है कि पर्यावरण प्रदूषण नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्रौद्योगिकी में विकास, प्राकृतिक संसाधनों के लोलुपतापूर्ण अंधाधुंध विदोहन, पदार्थ तथा ऊर्जा के विनियम की बढ़ी दर तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों, नगरी मल-जल तथा न सड़ने-गलने वाली उपभोक्ता सामग्रियों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि का ही परिणाम है। पर्यावरण प्रदूषण की निम्न परिभाषायें उल्लेखनीय हैं:-

1. संयुक्त-राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति ने प्रदूषण को निम्न रूप से परिभाषित किया है:-

“मनुष्य के कार्यों द्वारा ऊर्जा-प्रारूप, विकिरण-प्रारूप, भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा जीवों की बहुलता में किये गये परिवर्तनों से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण आस-पास के पर्यावरण में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं”

2. D.M. Dixon (1972) के अनुसार “प्रदूषण के अन्तर्गत मनुष्य एवं उसके पालतू मवेशियों के उन समस्त इच्छित एवं अनिच्छित कार्यों तथा उनसे उत्पन्न प्रभावों एवं परिणामों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण से आनन्द एवं

पूर्ण लाभ प्राप्त करने की उसकी क्षमता को कम करते हैं।”

3. “मनुष्य के क्रिया-कलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों एवं ऊर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में हो वाली हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं।”

National Environmental Research Council (NERC, 1976)

4. वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग के प्रत्येक चरण में अपशिष्ट पदार्थों का जनन होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ उस समय प्रदूषक (Pollutants) या पर्यावरणीय समस्या होते हैं जबकि उनका वायुमण्डलीय, महासागरीय या पार्थिव पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।”

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1970

5. लार्ड केनेट के अनुसार पर्यावरण में उन तत्वों या ऊर्जा की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य द्वारा अनचाहे उत्पादित किये गये हों, जिनके उत्पादन का उद्देश्य अब समाप्त हो गया हो, जो अचानक बच निकले हो या जिनका मनुष्य के स्वास्थ्य पर अकथनीय हानिकारक प्रभाव पड़ता हो।

6. R.E. Dasman (1975) के अनुसार उस दशा या स्थिति को प्रदूषण कहते हैं जब मानव द्वारा पर्यावरण में विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा की इतनी अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है कि वे पारिस्थितिक तंत्र द्वारा आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह विदित होता है कि प्रदूषण की परिभाषा के तीन मुख्य आधार हैं: (i) मानव-क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ तथा उनकी निपटान (Disposal), (ii) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपशिष्ट पदार्थों की निपटान से उत्पन्न क्षति एवं हानि तथा (iii) इस क्षति का लोगों पर प्रभाव। लेखक के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को निम्न रूप से सरल ढंग से परिभाषित किया जा सकता है— पर्यावरण प्रदूषण उसे कहते हैं जब मनुष्य के इच्छित या अनिच्छित कार्यों द्वारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है, कि यह उकसी (पारिस्थितिक तंत्र) सहन-शक्ति से अधिक हो जाता है, परिणामस्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में आवश्यकता से अधिक हास होने से मानव समाज पर दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है।⁴

अन्य जीवों के समान ही मानव भी पर्यावरण का ही एक अंग है। परन्तु एक विभिन्नता जो सहज ही परिलक्षित होती है वह यह है कि अन्य जीवों की तुलना में मानव में अपने चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित तथा कुछ अर्थों में उसे नियंत्रित कर पाने की पर्याप्त क्षमता है। यही कारण है कि मानव का पर्यावरण के साथ संबंधों को इतना महत्व दिया जाता है।

आधुनिक जीवन में मानव द्वारा पर्यावरण के संबंधों की समस्या से अधिक उत्सुकता का अन्य कोई विषय नहीं है। इस जागरूकता की गति विकासशील देशों में मन्द रही है तथा इसका समाघात सम्पूर्णता से अभी-अभी ही अनुभव किया जाने लगा है। पर्यावरणीय सम्बन्धों में अव्यवस्था से समस्त सांस्कृतिक तथा सामाजिक विनाश के

भय की विस्फोटक परिस्थिति ने मानव सभ्यता को सावधान कर दिया है।

पर्यावरणीय सम्बन्धों को दुरवस्था तक लाने वाली शक्तियां नयी अथवा अपरिचित नहीं है। जब से मानव जीव जगत की प्रमुख जाति के पद पर पहुंचा तथा उसने अपनी इच्छानुसार पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण अथवा उसमें फेर-बदल की शक्ति अर्जित की तब ही से ये शक्तियाँ धीरे-धीरे संचित हो रही है। तकनीकी प्रगति में मानव सभ्यता इतनी अधिक व्यस्त रही है कि उसे इस ओर ध्यान देने तथा मूल्यांकन करने का समय ही नहीं मिला और इसी बीच ये पर्यावरणीय समस्यायें उग्र रूप धारण करती रहीं।⁵

मानव ने प्रदूषण को तब तक अपने लिए घातक नहीं समझा जब तक वह 'प्रकृति पर अपनी विजय' पर गर्वित रहा है। किंतु आज वह पीछे मुड़कर सोचने-विचारने के लिए बाध्य हुआ है कि प्रकृति का तेवर क्यों बदला है जीव जगत पर? सचमुच ही मनुष्य अपनी प्रगति की दौड़ में मानो सिर के बल गिरा है जिससे वह प्रायः संज्ञाशून्य हो रहा है, अब उपचार की आवश्यकता है, इसीलिए प्रदूषण एवं उसकी रोकथाम के लिए प्रयास जारी है।

1972 ई. में स्टाकहोम सम्मेलन के बाद से पूरे विश्व में प्रदूषण को लेकर खूब हो-हल्ला मचा हुआ है। इसका फल यह हुआ है कि प्रदूषण के विभिन्न कारणों का पता लगाया जा रहा है और विश्व-भर की प्रदूषण विषयक एक जैसी समस्याएँ उभरकर सामने आई है। सचमुच प्रदूषण के कारण आज मानव सभ्यता संकट में है।⁶

निष्कर्ष :-

जनसंख्या वृद्धि संबंधी जटिल विषय के संबंध में सम्पूर्ण विश्व को संयुक्त प्रयास द्वारा इस दिशा में कोई यथोचित एवं ठोस योजना बनाने की नितांत आवश्यकता है, चूंकि बढ़ती जनसंख्या ने मानवीय अस्तित्व एवं प्राणियों के समक्ष गम्भीर समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है। हमारे पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों से संबंधित समाचारों, लेखों, कहानियों, कविताओं, चित्रों, कार्टूनों आदि समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं में निकलते रहे हैं। इन सब के द्वारा पर्यावरण एवं जनसंख्या के बारे में बेहतर समझा जा सकता है एवं इस दिशा में यथोचित कार्यों को किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

यादव, वीरेन्द्र सिंह (2010), 'नई सिंह सविन्द्र, (1995), 'पर्यावरण अध्ययन', प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 418-419.

रघुवंशी अरुण, रघुवंशी चन्द्रलेखा, (1990), 'पर्यावरण तथा प्रदूषण', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 229.

मिश्र शिवगोपाल, (1994), 'मृदा प्रदूषण', ज्ञान गंगा, मणि दिनेश, दिल्ली, पृ. 20-21.

सहस्राब्दी का पर्यावरण', ओमेगा पब्लिकेशन्स दरियागंज, दिल्ली, पृ. 13.

चक्रवर्ती, पुरुषोत्तम भट्ट, (2006), 'पर्यावरण चेतना', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 273-274.

कृषि आधारित उद्योग

अजय कछवाहा ¹

कृषि आधारित उद्योग (कृषि उद्योग) की परिभाषा पर्याप्त व्यापक और जटिल है क्योंकि कृषि आधारित उद्योग शुरुआत में खेत में होने वाले उत्पादन के अध्ययन के रूप में हुआ था किन्तु समय के साथ इसका क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। खेतीबाड़ी का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें तकनीकी, पूंजी व प्रबंध आदि की मात्रा बढ़ने के साथ साथ वैज्ञानिक व तकनीकी का विस्तार होने के साथ साथ ही कृषि आधारित उद्योग में काम करने वालों की संख्या परिवर्तनीय होती जा रही है। वर्तमान में बदलते परिवेश में कृषि आधारित उद्योग की इकाइयों की संख्या भारत में कई गुना बढ़ गयी है। इन उद्योगों में अपने स्वरूप, आकार, प्रकार, प्रबंधन, तकनीकी आदि में बहुत परिवर्तन कर लिया है। कृषि आधारित उद्योग संपूर्ण भारत में आर्थिक विकास की मुख्य धारा का एक अंग भी बन चुकी है। इसी कारण इनकी परिभाषा भी स्वरूप, आकार, प्रकार व आधुनिकता में परिवर्तन बदलते जा रहा है। वैसे कृषि आधारित उद्योग, कृषि व उद्योग शब्द से मिलकर बना है। कृषि का

अर्थ खेतीबाड़ी से होने वाले उत्पादन, खाद्यान्न, उत्पादन आदि से लगाया जाता है तथा उद्योग शब्द का अर्थ वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण व जन्म से होता है। अर्थात् "उद्योग वह प्रक्रिया है जिसमें मानव द्वारा कच्चे माल के स्वरूप को तकनीक तथा संयंत्रों की सहायता से और अधिक उपयोगी तथा मूल्यवान बनाया जाता है"। उद्योग वह आर्थिक कार्य है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का जन्म होता है। अलेक्जेंडर के शब्दों में "वस्तुओं के अधिक मूल्यवान स्वरूप परिवर्तन को ही उद्योग कहा है स्पष्ट है कि कच्चे माल को जीवन के लिये उपयोगी वस्तुओं के रूप में निर्मित करने की प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी इत्यादि। उद्योग किसी भी राष्ट्र के उत्थान एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं उद्योग न मात्र पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। वरन् उद्योगों से लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होता है इन उद्योगों से उत्पादित माल की बिक्री ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों, महानगरों तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक में होती है।

जिसमें लोगों को आय प्राप्त होती है साथ ही लोगो को उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती है। सस्ती एवं उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति से लोगों की जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आता है। उद्योगों के माध्यम से छोटी बड़ी सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है।

अतः कृषि में हम उन उद्योगों को लेते हैं जो कृषि के लिये आवश्यक प्रसाधनों की पूर्ति व वितरण की व्यवस्था तथा कच्चे खाद्यान्न को ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इन सभी उद्योगों को कृषि से संबंधित उद्योग माना जाता है।

कृषि आधारित उद्योग की अवधारणायें

कृषि आधारित उद्योग से आशय उन कार्यों से है जिनमें कच्चा पदार्थ (माल) कृषि से अथवा कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन, वानिकी एवं अन्य उद्योग चर्म (चमड़ा) तेल द्वितीयक पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं।

सामान्य अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पाद का कुछ भाग सीधे (प्रत्यक्ष) खपत के लिये नहीं जाता है। उससे पूर्व कृषि उत्पाद कई मूल्य वर्धक, संवर्धन (प्रोसेसिंग) से गुजरते हैं। संवर्धन (प्रोसेसिंग) की पद्धति एवं परिमाण बदलता

रहता है मूल्यवर्धक पद्धतियों में कई सामान्य पद्धति जैसे सुखाना, उन्नयन, भंडारण आदि होता है वहीं उच्च मूल्य पदार्थों का जैसे वस्त्रों का निर्माण, पेपर, रबर आदि का उत्पादन आधुनिक तकनीक एवं गहन पूंजी से होता है।

कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें तैयार इकाइयों का आधार सीधे कृषि से है। चाहे वे पूंजी विनियोग, रोजगार, आकार, पंजीकरण के संबंध में हो। इससे इसका कोई संबंध नहीं है कि वह उद्योग पंजीकृत है या नहीं। वृहत लघु या कुटीर उद्योग हैं निजी या सहकारी हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में बसा है यदि इसकी इकाइयों का संबंध कृषि से है तो वह उद्योग कृषि आधारित उद्योग है।

कृषि आधारित उद्योगों की एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि उद्योग का संबंध उन उद्योगों से है जो कृषि उत्पादन के रख-रखाव तथा उसे और अधिक उपयोगी बनाने में सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त वे उद्योग उपयोगी हैं जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं, वह भी कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं।

प्रो. एम. मुस्ताक अहमद के अनुसार – वे उद्योग जिनको कच्चा माल तथा कृषि के सहायक व्यवसायों से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं।

विस्तृत रूप में वे कृषि उद्योग उद्योग कहलायेंगे जिन पर कृषि निर्भर है और वे कृषि पर निर्भर है। स्पष्ट है कि ऐसे सभी उद्योग जो कृषि पर निर्भर है तथा कृषि उन पर है कृषि आधारित उद्योग कहलाते है। यदि ऐसे उद्योगों को कृषि का आधार प्राप्त न हो तो ये उद्योग पूर्णतः नष्ट हो जायेंगे।

जैसे कुछ उद्योगों कृषि से कच्चा माल की प्राप्ति पर आधारित है तो कुछ स्वयं कृषि पर आधारित होते है, कुछ उद्योग कृषि सहायक कृषि संबंधित तथा कृषि सेवा पर आधारित तथा अन्य कृषि आधारित उद्योग भी होते है। इन कृषि आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कर निम्न भागों में बांटा जा सकता है।

कृषि आधारित उद्योगों का वर्गीकरण

1. कृषि उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण –

(1) कृषि उत्पादन के आधार पर

1. चीनी उद्योग
2. सूती वस्त्र उद्योग
3. जूट उद्योग
4. तेल मिल उद्योग

(2) कृषि सहायक उद्योग

1. फर्टीलाइजर उद्योग
2. कृषि मशीनरी उद्योग
3. इंजन तेल उद्योग
4. ट्रैक्टर उद्योग

2. पैमाने के आधार पर वर्गीकरण –

(1) वृहद उद्योग

1. चीनी उद्योग
2. सूती वस्त्र उद्योग
3. दुग्ध उद्योग
4. चर्म उद्योग

(2) लघु एवं कुटीर उद्योग

1. खण्डसारी उद्योग
2. खादी उद्योग
3. फल संरक्षण उद्योग
4. कागज उद्योग

3. समय के आधार पर वर्गीकरण –

(1) अंश कालीन उद्योग

1. चावल उद्योग
2. टोकरी उद्योग
3. गुड़ बनाना उद्योग
4. हथकरधा बुनाई उद्योग

(2) पूर्णकालीन उद्योग

1. तेल मिल उद्योग
2. दुग्ध उद्योग
3. फल संरक्षण उद्योग
4. जूते बनाना उद्योग

कृषि के आधार पर वर्गीकरण –

(1) कृषि आधारित उद्योग

1. चीनी उद्योग
2. जूट उद्योग
3. सूती वस्त्र उद्योग
4. चावल उद्योग

(2) पशु संपत्ति पर आधारित उद्योग

1. दुग्ध उद्योग
2. चर्म उद्योग

(3) वनों पर आधारित उद्योग

1. प्लाईवुड उद्योग
2. कागज उद्योग
3. लकड़ी की पेटियां बनाना उद्योग

(4) सहायक उद्योग

1. साबुन उद्योग
2. शराब बनाना उद्योग
3. पशु चारा उद्योग
4. खाद उद्योग

कृषि आधारित उद्योग के विकास एवं स्थापना करने में इन उद्योग से वस्तुओं का निर्माण करने में, उत्पादित वस्तुओं की मांग पैदा करने बाजार का निर्माण, प्रतियोगिता (प्रतिस्पर्धा) संसाधनों की अपर्याप्तता, ऊंची लागत, निम्न गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना का अभाव, कार्यकुशलता, उत्पादन क्षमता, प्रबंधन, साख प्रबंधन, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण, कच्चेमाल की समस्या, ऊर्जा की समस्या, विपणन संबंधी समस्या, प्रति इकाई ऊंची लागत, उत्पादन के घटिया तौर तरीके व साज समान मालिकों व श्रमिकों की समस्या आदि से संबंधित समस्याएँ हैं जिसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है –

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने तथा भारत में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना व विकास की अपार संभावनाओं और इन उद्योगों की स्थापना में तेजी आने के बावजूद जिस गति से इस दिशा में प्रगति हुई है। वह उल्लेखनीय प्रगति व संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। इन उद्योगों की स्थापना व विकास के मार्ग में कुछ ऐसी बाधाएँ व समस्याएँ विद्यमान हैं जिसके कारण ये उद्योग अपेक्षित प्रगति नहीं कर पायें हैं इनमें प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं।

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना व विकास में अधिकांशतः कच्चे माल के लिये स्थानीय स्रोतों पर निर्भर होते हैं, जहां कच्चे माल की उपलब्धता कम होती है, इन उद्योगों के लिये

उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः साधनों की अपर्याप्ता बनी रहती हैं फलस्वरूप पूर्ण उत्पादन क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाता है, यह एक समस्या बनी हुई है। तथा जितने भी साधन उपलब्ध होते हैं वह भी कुशल न होने के कारण तथा कच्चे माल की कमी के कारण इन उद्योग की स्थापना व विकास के लिये बाधा उत्पन्न करते हैं। इन उद्योगों की मुख्य समस्या में साख एवं पूंजी का अभाव रहना भी है। पूंजी व साख के अभाव के कारण इन उद्योगों की स्थापना व विकास में बाधा उत्पन्न होती है। उद्यमियों को कच्चा माल तथा आधुनिक यंत्रों आदि को खरीदने के लिये ऋण की आवश्यकता होती है। अधिकांश इकाईयां निजी पूंजी में अधिक आश्रित रहती हैं तथा एक सीमित मात्रा में उन्हें बैंक साहूकारों या विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध होता है। इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी और ऋण शर्तें ज्यादातर इन उद्योगों के आर्थिक हितों के विरुद्ध होती हैं और ये उद्योग वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। फलस्वरूप ये उद्योग पनप नहीं पाते हैं।

इनके द्वारा उत्पादित माल का विक्रय करना भी एक समस्या है वस्तुओं का उत्पादन घटिया तौर तरीके के साथ अकुशल श्रमिकों तथा पुरानी मशीनों के साथ गुणवत्ता विहीन होने के कारण विपणन करना, साथ ही माल के विक्रय बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण उचित मूल्य न मिलने व उपभोक्ताओं की रुचियों में बदलाव का पता न लगने के कारण कम मूल्य में वस्तुओं का विक्रय करना पड़ता है। आधुनिक युग विज्ञापन प्रचार प्रसार का है और इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग उसी क्षेत्र तक सीमित रहती है। कृषि आधारित उद्योग इकाईयों की महत्वपूर्ण व आवश्यक समस्या यह भी है कि प्रायः उनके पास साधनों की अपर्याप्ता बनी रहती है जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है, साधनों की अपर्याप्ता जैसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, विद्युत की अनिश्चितता, समय पर श्रम शक्ति का उपलब्ध न होना, पानी ऊर्जा शक्ति की हमेशा अनिश्चितता बनी रहना आधारभूत संरचना आदि का अभाव इन उद्योगों की प्रमुख समस्या ही हैं।

हिन्दी साहित्य के युग पुरुष भारतेन्दु हरिश्चंद्र

डॉ. कीर्ति बाजपेई अध्यक्ष¹ बबीता रावत शोधार्थी²

शोध सारांश :—भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी को हिन्दी साहित्य का युग प्रवर्तकों में से जाने जाते हैं जिनके व्यक्तित्व के माध्यम द्वारा ऐतिहासिक बिखरी हुई शक्तियां सिमट कर एक हो जाती हैं और भविष्य निर्माण के लिए एक सुनिश्चित और सुदृढ़ समन्वयात्मक मार्ग की उत्पत्ति करती हैं। भारतेन्दु जी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दिग्भ्रमित हताश, निराश, जनमानस को समर्थ नेतृत्व प्रदान किया। जैसा कि 'आचार्य रामचंद्र शुक्ल' ने कहा कि भारतेन्दु जी ने साहित्य को एक नया रास्ता दिखाया और उसे शिक्षित जनता के साहाय्य में ले आये। उनके सक्षम नेतृत्व में आलोच्य युग में साहित्य की लगभग प्रत्येक विधाओं, यथा— कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, समालोचन का प्रवर्तन होता है। भारतेन्दु जी के प्रयास के द्वारा प्राचीन साहित्य और नवजागरण साहित्य में जो समन्वय उपस्थित हुआ, वह हिन्दी साहित्य का नवीन काल कहा जा सकता है। हिन्दी साहित्य को नए-नए विषयों की ओर ले जाने का श्रेय भारतेन्दु जी को जाता है।

भारतेन्दु ने जो कार्य हिन्दी साहित्य के इतिहास में किया है वह आज भी उसी रूप में एक युग पुरुष की भांति प्रतिष्ठित है।

भूमिका

भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी ने हिन्दी साहित्य में एक नवीन चेतना को परोया, जिसने जीवन के साथ पूर्णरूप से जुड़ने का काम किया। भारतेन्दु ने मानव समाज और साहित्य के मध्य जो दूरी बढ़ती जा रही थी उसको भी समाप्त करने का काम किया। आज हिन्दी साहित्य के काल विशेष को भारतेन्दु के साथ जोड़ा जाना निश्चय ही सार्थक है। भारतेन्दु के विशाल व्यक्तित्व की छाया में अनेक साहित्यकालों ने हिन्दी के माध्यम से भारती की सेवा की। भारतेन्दु ने हिन्दी नवजागरण में एक नई जान फूंकी जो आज तक उसी प्रकार से पुष्पित पल्लवित हो रही है। उन्होंने हिन्दी साहित्य को जिन ऊंचाईयों पर ले जाने का काम किया है उसको छू पाना शायद सबकी बात नहीं। युग संवेदना की समझ के अनुरूप ही भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य का महत्व स्थापित किया।

1 हिन्दी विभाग स्नातकोत्तर महाविद्यालय माता गुजरी जबलपुर (म.प्र.)

2 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भारतेन्दु हरिश्चंद्र और भारतेन्दु युग

रीतिकालीन साहित्य जीवन और जगत की समस्या से नितान्त दूर था। युग में ऐसे साहित्य की आवश्यकता थी जो शृंगार तथा यौवन की मंदिर अलसतन्द्रा से अंगड़ाई लेकर राजप्रसादों के अंदर न सीमित रहकर वैभव और विलास के सुनहरे काल्पनिक चित्रों को छोड़कर जन-समाज की हित चिन्ता की बात कहता। ऐसे ही साहित्य की प्रथम रश्मि भारतेन्दु की अदम्य प्रतिभा के आलोक से प्राप्त हुई। राज प्रसादों का वैभव तथा विलासमय गीत गाने वाला साहित्यकार झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जनता की दीर्घकाल से सुसुप्त भावनाओं को जगाने के लिये भारतेन्दु ने अधिक कार्य किया। युग पुरुष की विचारधारा तथा यथा समय 'हिन्दी प्रदीप', 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चंद्र चन्द्रिका', 'सार सुधा निधि' तथा 'बाल बोधिनी' में प्रकाशित होती रही और साहित्य के इस निर्माण युग में समाज सेवी साहित्यिक वर्ग को पथ-निर्देश करती रही। वास्तव में आधुनिक युग के सूत्रपात में भारतेन्दु को हिन्दी की जातीय परम्परा का संस्थापक कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी। हिन्दी साहित्य की सभी विधाओं – कविता, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता में भारतेन्दु का समान योगदान रहा है। फलतः भारतेन्दु के नाम से सन्

1850–1900 ई० तक के काल को 'भारतेन्दु युग' या 'भारतेन्दु काल' की संज्ञा प्रदान की गई। डॉ. जगन्नाथ शर्मा के मतानुसार "सन् 1863 से 1893 ई० के परिमित काल में ही जितना प्रचुर साहित्य हिन्दी में निर्मित हुआ, शायद ही किसी साहित्य के इतिहास में केवल तीस वर्षों के भीतर इतना हुआ हो, यह हिन्दी गद्य-साहित्य का उदयकाल था और इन तीस वर्षों के सूत्रधार थे भारतेन्दु हरिश्चंद्र।"

हिन्दी साहित्य के अंतर्गत भारतेन्दु जी की रचनाएं

भारतेन्दु जी जिस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे उसी प्रकार कई लिपियों को बड़ी सुन्दरता के साथ लिख सकते थे। नागरी तथा अंग्रेजी के अक्षर बहुत ही सुन्दर बनाते थे। महाजनी, फारसी, गुजराती और बंगाली थी। अच्छी तरह लिखते थे। हिन्दी तो वह बहुत शीघ्रता से लिखते थे। इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में हिन्दी साहित्य के अंतर्गत एक विशाल साहित्य संसार रचा।

उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं –

काव्य संग्रह :- 'प्रेम मालिका', 'प्रेम सरोवर', 'गीत गोविन्दानन्द', 'वर्षा-विनोद', 'विनय-प्रेम पचासा', 'प्रेम फुलवारी',

वेणु-गीति', 'दशरथ विलाप', 'फूलों का गुच्छा (खड़ी बोली में) आदि।

उपन्यास :- 'पूर्ण प्रकाश', 'चंद्रप्रभा'।

कहानी :- 'अद्भुत अपूर्व सपना'।

नाटक :- 'विद्या सुंदर', 'रत्नावली', 'पाखण्ड विडंबन', 'धनंजय विजय', 'कर्पूर मंजरी', 'भारत जननी', 'मुद्रा राक्षस', 'दुर्लभ बंधु' (उपर्युक्त सभी अनुदित), 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति', 'सत्यहरिश्चंद्र', 'श्रीचंद्रावली', 'विषस्य विषमोषधम', 'भारत-दुर्दशा', 'नील देवी', 'अंधेर नगरी', 'सती प्रताप', 'प्रेमयोगिनी' (मौलिक)।

निबंध :- 'पांचवे पैगम्बर', 'अंग्रेज स्तोत्र', 'स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन', 'लेवी प्राण लेवी' आदि।

यात्रा वृत्तान्त :- 'सरयू पार की यात्रा', 'मेहदावल की यात्रा', 'लखनऊ की यात्रा' 'हरिद्वार की यात्रा' (1871 ई0 से 1879 ई0 के बीच)।

आलोचना :- 'नाटक'।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र और सामाजिक चेतना

भारतेन्दु हरिश्चंद्र के मन में जहां देशोन्नति और हिन्दी साहित्य की उन्नति के भाव सन्निहित थे, वही समाज में व्याप्त दुरुहताओं के प्रति भी उनके मन में सुधार के भाव अक्षुण्ण रूप से विद्यमान थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि देश की उन्नति समाज की उन्नति से ही संभव है। उन्हें यह भी विश्वास था कि समाज की उन्नति का मूल, धर्म के

मूल में ही है क्योंकि देश का तत्कालीन ढांचा धर्म प्रधान था इसलिये वे समाज और देश की उन्नति की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को मानते थे। देशवासियों की अकर्मण्यता और उत्साहहीतना पर भारतेन्दु जी की लेखनी समय-समय पर अबाधरूप से चली, इसका उदाहरण उनका जलियावाला व्याख्यान रहा है। भारतेन्दु के समय बाल विवाह की प्रथा थी। इस प्रथा को ये समाज की उन्नति में बाधक मानते थे। इन्होंने 'भारत दुर्दशा' नाटक में इन्होंने बाल विवाह के विषय में लिखा है - 'बालकपन में ब्याहि पिरीत बल नाश कियो है" स्त्री शिक्षा के विषय में भारतेन्दु प्रगतिशील विचारों के थे। विधवा विवाह के तो ये पूर्ण समर्थक थे। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि "पुर्नविवाह अवश्य करना। सब शास्त्र की यही आज्ञा है और पुर्नविवाह के न होने से बड़ा नुकसान होता है।" काशी के समाज का वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा है :-

"आधी कासी भांड भंडोरिया ब्राम्हन और सन्यासी।

आधी कासी रडी मुण्डी, रांड खानगी खासी।।

भारतेन्दु ने मुकदमाबाजी, फैशनपरस्ती, खुशामद, फूट, ईर्ष्या, स्वार्थीवृत्ति आदि को समाज के उन्नयन में बाधक माना

है। भारतेन्दु साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करने पर उनके मन में विद्यमान देश और समाज को जागृति प्रदान करने की भावना के निदर्शन, हमें पग-पग पर होते हैं।

हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु जी का स्थान

भारतेन्दु जी प्राचीन गौरव का पूर्ण आदर करते हुए नवीन विचारों के प्रति भी पूर्णतया उदार थे। इस नवीनता तथा प्राचीनता के सुन्दर सामंजस्य के साथ इनकी सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक हिन्दी को जन्म देकर, उसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सफल प्रयास है और इसी से वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कहे गये हैं। इनके समय के प्रसिद्ध कवियों तथा सुलेखकों ने इनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखा था, वह अभूतपूर्व है और आदरणीय है। पं० श्रद्धाराम जी हिन्दी के सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। इनकी सं० 1938 में मृत्यु हुई थी। जिस दिन इनका देहान्त हुआ था उस दिन इनके मुँह से सहसा निकला कि 'भारत में भाषा के दो लेखक हैं - एक काशी में, दूसरा पंजाब में। परंतु आज एक ही रह जायेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। जिस प्रकार भारतेन्दु जी हिन्दी गद्य को सुव्यवस्थित चलता मधुर रूप देकर उनमें नाटक, इतिहास, पुरावृत्त, धर्म, अख्यान निबंध

आदि अनेक काव्य विषयक ग्रंथों की रचना की थी उसी प्रकार हिन्दी पद्य साहित्य की भाषा को परिमार्जित कर उसमें नवीनयुग के अनुकूल कविता धारा को प्रवाहित कर हिन्दी साहित्य को अपना चिरऋणी कर रखा है। हिन्दी साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊंचा है और अमर है।

“जब लौ ये जागृत रहें जग में हरि
औ चन्द।

तब लौं तुब कीरतिलता फूलहु श्री
हरिचन्द।।”

निष्कर्ष :- भारतेन्दु ने हिन्दी साहित्य को बहुआयामी बनाया। रीतिकाल की सीमित वर्ण्यवस्तु के स्थान पर समग्र जातीय जीवन को वर्ण्यवस्तु के रूप में चुना। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था जिसमें अनेक विचारधाराएं एवं दृष्टियां सामदृत थी। विरोधी मानसिकता बाल मिश्रबन्धुओं द्वारा भारतेन्दु को बिना किसी विद्या के हिन्दी नवरत्नों में रखना उनकी अपरिमित लोकप्रियता का ही प्रमाण है। भारतेन्दु जी के हिन्दी साहित्य में दिए गए योगदान को भूलाया नहीं जा सकता, वे हमेशा नव लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. सिंह, त्रिभुवन (संपादक 1987 ई0) 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और भारतीय नवजागरण' का हि0 वि0 वि0 , वाराणसी।
2. धीर, सुशीला (1971 ई0) 'भारतेन्दु युगीन नाटक', प्रकाशक – मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. शुक्ल, वीरेन्द्र कुमार (1955 ई0) 'भारतेन्दु का नाट्य साहित्य', रामनारायण लाल प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, प्रयाग।
4. ब्रजरत्न दास (1948 ई0) 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र', प्रकाशक – हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू0पी0 इलाहाबाद।
5. शर्मा, रामविलास (संस्करण 1975, आवृत्ति 2014) 'भारतेन्दु युग और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा', राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
6. यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स पत्राचार संस्थान (हिन्दी) संपादक— के0 सी0 मिश्र, इलाहाबाद।

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका

डॉ. अभिलाषा दुबे शास.स्नातक महाविद्यालय बरगी, जिला जबलपुर

शोध सार :- प्रायः हम समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र हो या शैक्षिक। महिला सशक्तिकरण शब्द जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है, हमारे मन-मस्तिष्क में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दस्तक देता है और सारी मानव सभ्यता से प्रश्न करता है कि आखिर महिला सशक्तिकरण क्या है? इस शब्द का उद्भव कब और क्यों हुआ? साधारण शब्दों में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाओं का सशक्तिकरण अर्थात् जब महिलायें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनैतिक रूप से सशक्त हो जायें तो यह अर्थ निकाला जाता है कि महिलायें शक्ति संपन्न हो गई हैं। वास्तविकता में इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है।

सशक्तिकरण का अभिप्राय, सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से है, महिलाओं का मनोबल इतना बढ़ा होना चाहिए कि वे कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वयं की बुद्धि-विवेक का पूर्ण इस्तेमाल कर सकें अर्थात् निर्णय लेने की क्षमता ही सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना उन्हें क्षितिज दिखाने जैसा है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और प्रचलित तरीकों को चुनौती के समान अवसर, राजनैतिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि। महिला सशक्तिकरण की बात उठाते ही वास्तव में महिलाएँ कमजोर हैं, जो उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता है? प्रकृति ने तो उनको शारीरिक रूप से पुरुषों की

तुलना में ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाला बनाया है और वो सृष्टि को जन्म देने जैसा अद्वितीय कार्य भी करती है, उनकी शक्ति सम्पन्नता के कारण भारतीय समाज में उसे देवी की संज्ञा से विभूषित किया गया है।

पुरुषों की तुलना में महिलाएं सामूहिक सत्ता प्रतिष्ठानों में पीछे हैं। प्रायः देखा गया है कि महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय को कोई महत्व नहीं दिया जाता और उनके साथ दोहरे मापदंड अपनाये जाते हैं। उनकी शक्ति पर संदेह करके उन्हें ऐसे अवसरों से वंचित किया जाता है, जहां वे अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन कर सकती हैं। वर्तमान समाज के उचित विकास के लिए आंकड़ों व वास्तविकता में संतुलन आवश्यक है। इसी आवश्यकता ने समाज में महिला सशक्तिकरण जैसे शब्दों को जन्म दिया।

प्रारंभ में, परिवार के अंदर पुरुषों के लिए बाहरी कार्यों का महत्व ज्यादा था। अतः स्त्री के घरेलू कार्यों का पुरुष की दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। विकास क्रम में पनपी मानसिकता और सामाजिक ढाँचों के परिणामस्वरूप समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था आज तक व्याप्त है, ऐसी ही परिस्थितियों के और मानसिक रूप से विकसित हुए पुरुष को पिछड़ गयीं, क्योंकि शारीरिक अधिकार हो गया। वर्तमान संदर्भों में वैश्वीकरण के युग में परिस्थिति बदल चुकी है। महिलाओं ने अनेक अवसरों पर अपनी शक्ति का अहसास कराया है। आज का समाज यह समझ चुका है कि विकास कार्यों में महिलाओं की सहभागिता के बिना वांछित लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतः वर्तमान में जरूरत है कि महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने की। फलतः

समाज में महिला सशक्तिकरण प्रत्यय जन्म ले चुका है और अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है, परंतु यह सत्य है कि बिना पुरुष के सहयोग के महिला सशक्तिकरण लगभग असंभव है ।

हमारे धर्म ग्रंथों, उपदेश ग्रंथों, नीति नियमों से संबंधित युक्तियों, धार्मिक संहिताओं में महिलाओं को जननी, देवी, अन्नपूर्णा, गृहलक्ष्मी जैसी महान उपाधिया दी गई हैं और हमारे ग्रंथों में वर्णित है –

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः”

अर्थात् जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

स्त्री, जो कि शक्ति का प्रतीक है, देवी काली, दुर्गा के रूप में तथा रिशतों में माता, बहन, पत्नी, बैती के रूप में, महिलाएं समाज के लिए नींव का कार्य करती हैं । परिवार में माता के रूप में, गृहणी के रूप में और परिवार में संस्कार, धर्म, परम्पराओं, रिवाजों को संजोए रखती है । परिवार को माला के मोतियों की तरह एक धागे में पिरोये रखती है। इतना होने के बाद भी आज भी नारी पुरुष के अधीन व परतंत्र है। विभिन्न रूपों में महिलाएं प्राचीन काल से आज भी अपने संस्कारों, परम्पराओं की अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी हुई है । स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई थी,

स्वाधीनता के पश्चात महिला कल्याण व महिला सशक्तिकरण को राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पोषण मिला। महिलाओं के विकास के लिए विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाएं तथा विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया, महिलाओं को अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए गये, जिससे महिलाओं में स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो सके ।

महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज व्यवस्था की भूमिका

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीनकाल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आंदोलन हुए हैं। ऐसे तीन दौर आये, जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गई तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता मिली ।

पहला दौर था, बौद्ध धर्म के अविर्भाव का। बौद्ध धर्म ने न केवल जाति प्रथा का विरोध किया, वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान में वृद्धि हुई । भक्तिकाल को दूसरा दौर माना जाता है, जब स्त्रियों के बंधन कुछ कमजोर हुए और उन्होंने अपने आपको व्यक्त किया । इस बार भी अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था, पर उसकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से, जो पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक जीवन की ही पीड़ा थी। तीसरी बार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी के आह्वान पर प्रत्येक वर्ग की महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और इस आंदोलन को व्यापक, समृद्ध एवं अखिल भारतीय स्वरूप दिया ।

महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 की क्रांति का दायरा बहुत ही व्यापक है । इसी वर्ष पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। स्त्री की स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती प्रयास, माहौल में परिवर्तन और व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित थे। सामाजिक ढांचे में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे स्त्रियों की हैसियत में संरचनात्मक सुधार हो। नतीजा यह हुआ कि माहौल बदलते ही 'पुनर्मूशकों भव' की स्थिति आ जाती थी। इसके विपरीत, लोकतांत्रिक भारत में जो ऐतिहासिक प्रयोग किया गया, वह राजनीतिक

तंत्र में परिवर्तन पर आधारित है तथा महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोकतंत्र की बुनियादी संकल्पना का विकास ही इस स्थापना को स्वीकार करने के साथ हुआ है कि इस व्यवस्था में लोक सहभाग का दायरा निचले या आधारभूत स्तर पर सर्वाधिक विस्तृत और मजबूत हो। सत्ता और व्यवस्था के गिने-चुने हाथों में केन्द्रित हो जाने के खतरे को भांपते हुए महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दरकार पर जोर दिया था। पंचायती राज इसी विकेन्द्रित व्यवस्था का मूर्त रूप है।

राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी, पंचायती राज की नई व्यवस्था, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई, उनका कार्य क्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा संस्तरण कहा जाता है, ये संस्थायें नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों में पंचायतों की कम से कम एक-तिहाई सीटों और पदों पर महिलायें होंगी। यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया गया होता, तो ज्यादातर सवर्ण और संपन्न परिवारों की महिलायें ही पंचायतों में दिखाई देतीं। इसलिए सामान्य वर्ग में ही नहीं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भी इन वर्गों की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इस पंचायत क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायती राज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम कर रही है—

- पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।
- स्थानीय समुदाय को परिवर्तन वाहक बनाने और उनमें योजनागत चेतना फूंकने

से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक होगा।

- पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण होने से सरकारी संस्थाओं सामुदायिक विकास केन्द्रों, योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानि एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

- आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।

सचमुच भारत में पंचायती राज व्यवस्था की रचना प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तर्ज पर की गई है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में भी ऐसा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र था और पंचायती राज के सिद्धांत के पंच परमेश्वर की प्राचीन परंपरा से प्रेरणा ग्रहण की गयी है। इसके पीछे है — स्थानीय स्वशासन। यह उसूल चार मान्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित है— राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी, आर्थिक विकास के लिये संसाधनों को जुटाना, लोकतंत्र में बुनियादी संस्थाओं का समावेश करना और राष्ट्रीय एकता की गारंटी। इन पहलुओं में महिलाओं का एक खास महत्व है, क्योंकि जहाँ एक तरफ उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में संपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना अपूर्ण रहेगी तो दूसरी तरफ उनके सशक्तिकरण के अभाव में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। इसलिये महिलाओं को पंचायतों के माध्यमों से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया है।

पंचायत के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की ही देन है कि पिछले सोलह वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहसों में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। कई राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं

में महिलाओं की उपस्थिति 33 प्रतिशत से भी अधिक है, जैसे कर्नाटक में 43 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 37 प्रतिशत। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी इस त्रिस्तरीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रभाव है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक हो सकेगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएँ एवं आवश्यकताएँ उसी तरह की हैं।

पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान से संसद एवं राज्यों की विधायिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, और आशा है कि आने वाले दिनों में यह बदलाव देखने को मिले।

पंचायतों में महिलाओं की विगत सोलह वर्षों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में वे सबसे प्रभावशाली एवं संवेदनशील माध्यम हैं। पंचायतों के माध्यम से समाज की जड़ता, धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादों, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया है।

पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनोंका प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा आदि जैसे ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दों, जिसका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं से है, के लिए सशक्त माध्यम है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिंतन का विकास हुआ और एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का

प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है, जहां पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहां राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया। जहां सहयोग नहीं मिला, वहां महिलाएँ अपने वाजिब अधिकारों से आज भी महरूम हैं।

पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलाएँ अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सकें, इसके लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा कई अनौपचारिक उपाय अपना लिए गए हैं। एक उपाय है, उन्हें नाम मात्र का प्रतिनिधि बना देना। बहुत सी पंचायतों में पुरुष ही महिला के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वे अपनी पत्नी या किसी अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाते हैं और उसके जीत जा ने पर पंचायत में उसके प्रतिनिधि के रूप में सारा काम-काज खुद करते हैं। दूसरा उपाय है अविश्वास प्रस्ताव। कोई महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है, आत्मविश्वास से संपन्न है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायतों से बेदखल कर दिया जाता है। तीसरा, दो बच्चों के नियम का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ा है। सरपंच महिला खुद तय नहीं कर सकती है कि उसके तीसरा बच्चा होगा या नहीं। यह निर्णय उसका पति करता है, लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने पर सरपंच से हटाया जाता है, उसकी पत्नी को।

इसलिए महिलाओं के संपूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है, पंचायतों का सशक्तिकरण, क्योंकि कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना सकती हैं। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है। नीति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने की बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए,

तभी वास्तविक सशक्तिकरण हो सकेगा। हमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तांतरण से स्थानीय स्वशासन को अपने मूल रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आकार पर नहीं, वरन् शासन की गुणवत्ता के उपर निर्भर करता है। लोकतंत्र का मतलब स्थानीय भू-क्षेत्र को छोटी-छोटी मात्रा में सत्ता थमा देना नहीं होता, लोकतंत्र का स्वरूप वाला स्वशासन चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या महिलायें, अपना शासन स्वयं करें, जिसमें सत्ता का बहाव लम्बवत् न होकर क्षैतिज हो यानि समुद्र की तरंगों की तरह। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आड़ में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद जैसा खतरा न पैदा हो।

ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब कभी ग्रामीण विकास में सीधे आर्थिक योगदान का सवाल उठता है, तो क्रममहिलाओं के योगदान को क्वी कम या नगण्य माना जाता है। हालांकि कृषि पर लागत श्रम-शक्ति का आधे से अधिक योगदान इन्हीं महिलाओं का होता है। महिलायें अपनी भूमि के प्रति सचेत होने के बावजूद आज भी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित हैं।

अतः महिलाओं को जागरूक बनाने और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें ग्रामीण विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक शुरु से ही यह चाहते थे कि ग्रामीण महिलायें केवल एक लाभार्थी के रूप में जीवन न बिताएं बल्कि ग्राम पंचायतों में सम्मिलित होकर प्रत्येक निर्णय में अपना योगदान करें।

इसी के तहत बलवंतराय मेहता कमेटी के इस सुझाव को कि महिलाओं को ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो- शासन ने स्वीकार करते हुए 73वें संविधान संशोधन किया और कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया। इस समय देश में कुल पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या करीब 28.10 लाख है, जिसमें 36.87 फीसदी ग्रामीण महिलायें ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय राजनीति में पदार्पण कर चुकी हैं। इन चुनी हुई महिला जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे महिलाओं को साक्षर बनाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने, बाल विकास में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें समाज में सम्मानित स्तर दिलाने, सामाजिक कुशितियों के निवारण और महिला उत्पीड़न तथा शोषण को समाप्त करने के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी।

भारत सरकार ने 27 अगस्त 2009 को ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कोटा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 डी में संशोधन करना होगा। संविधान में प्रस्तावित संशोधन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम के आदिवासी क्षेत्रों, त्रिपुरा, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी होगा। इससे हपले माननीय महामहिम प्रतिभा पाटिल ने 04 जून 2009 को संसद के संयुक्त सत्र में संप्रग सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए अपने भाषण में पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण की सीमा पचास फीसदी बढ़ाने की बात कही थी। इससे स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार पंचायती राज

व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट आयाम मानती है।

पंचायतों के बाद 50:50 की यह व्यवस्था नगर पालिकाओं में भी लागू हो जायेगी, यह दावा करना उपयुक्त न होगा कि 50:50 लागू हो जाने के बाद भारत के गांवों में जेण्डर समानता स्थापित हो जायेगी। बड़े परिवर्तन रातों रात नहीं होते, फिर असमानता के स्रोत अनेक हैं, जिनमें से स्त्री होना सिर्फ एक है। आज भी पंचायते ग्रामीण जीवन का आवश्यक हिस्सा नहीं बन पाई हैं। वे लोगों की जिदंगी के हाशिए पर हैं, लेकिन केन्द्र ही हाशिए को हमेशा प्रभावित नहीं करता, हाशिया भी केन्द्र को प्रभावित करता है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण हेतु सुझाव

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण हेतु सुझाव निम्नवत् हैं—

- महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को सुधारने के लिये पंचायतों को महिला उत्थान व महिला जागरण से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
- ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की जानकारी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि को दी जानी चाहिये तथा ग्रामसभा में समाज के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बैठक की सूचना सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, यह दायित्व ग्रामपंचायत के सचिव का होना चाहिये।
- ग्राम स्तरीय योजना का निर्धारण ग्राम सभा के माध्यम से होना चाहिए तथा इसे एक योजना दस्तावेज के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलनी

चाहिए। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था ग्राम पंचायत के नियोजन दस्तावेज में आई प्राथमिकताओं के आधार पर हो।

- पंचायत स्तर पर साधारण जनमानस व पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत तथा विकास संबंधी सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराने हेतु पंचायत स्तरीय सूचना केन्द्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए जिसका संचालन अनिवार्य रूप से महिलाओं के हाथ में हो।
- पंचायती राज के संदर्भ में एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन हो जिसमें पंचायतीराज मंत्री, पंचायतीराज विभाग के मुख्य अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों तथा यह समिति वर्ष में कम से कम चार बार बैठकों का आयोजन करें तथा इसमें सभी प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होकर पंचायतों में शामिल महिला प्रतिनिधियों के हित की योजनायें बनायें और उन्हें क्रियान्वित करें।
- विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को अंतिम माना जाए।
- महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत संबंधी कार्यों पर किए गये व्यय जैसे यात्रा व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाए।
- चुनाव के दौरान कई बार स्थानीय गुटबंदी व राजनीति के चलते महिला पंचायत प्रतिनिधि असुरक्षित हो जाती हैं, अतएव उनकी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
- पंचायत प्रतिनिधियों विशेष रूप से ग्राम प्रधान के प्रतिदिन के कार्यों में शासकीय अधिकारियों का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण बहुत अधिक होता है। इस

हस्तक्षेप/नियंत्रण को मात्र जिलाधिकारी तक ही सीमित रखा जाए अर्थात जिलाधिकारी से नीचे के अधिकारी उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करें ।

- पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी के कार्यों से सम्बन्धित कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिये सुरक्षित किए जाएं।
- त्रिस्तरीय पंचायतों में नियोजन की प्रक्रिया को 73वें संविधान संशोधन की मूल मंशा के अनुसार लागू किया जाए।
- जिला नियोजन समिति को सक्रिय बनाया जाए तथा कार्य नियोजन की प्रणाली ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक व्यवस्थित रूप से तय की जाए।
- ग्राम स्तर के संगठन जैसे महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, सहकारिता समितियां तथा अन्य समितियां आदि ग्राम सभा की बैठक में यदि निरंतर रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण से भाग लेते हैं तथा ग्रामोत्थान हेतु आवश्यक कार्य करते हैं तो उन्हें पंचायत स्तर पर वर्ष में कम से कम एक बार सम्मानित/पुरस्कृत किया जाना चाहिए एवं उनके विकास कार्यों के लिए विशेष अनुदान देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे और अधिक जोश-खरोश के साथ महिला उत्थान हेतु कार्य कर सकें तथा पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकें।
- महिला पंचायत प्रतिनिधियों की दक्षता, निपुणता एवं क्षमतावर्द्धन के लिए नियमित रूप से शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। आरक्षित वर्ग की महिलाओं के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विशेष पैकेज की

व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं हेतु उनकी ग्रहण क्षमता का विकास करते हुए अनुकूल वातावरण में प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- महिला पंचायत प्रतिनिधि के स्थान पर कार्य करने वाले पुरुष के लिए दण्ड का प्रावधान होना चाहिए तथा ऐसी महिला प्रतिनिधि, जो इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, उन्हें भी उनके पद से वंचित किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- बैठक और ग्राम सभा के आयोजन की जानकारी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्राम सभा सदस्य को दी जाए। यह करने का सह दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का हो।
- अशिक्षित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को साक्षर बनाने के लिये शासन द्वारा विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।
- जिन ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान हैं वहां सचिव तथा कोषाध्यक्ष भी महिला ही नियुक्त होना चाहिए ताकि महिलाओं को कार्य करने में सुगमता हो।
- पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चयनित होने के तत्काल बाद, प्रधान और सदस्य प्रतिनिधियों के लिए नियमित रूप से एक वर्ष तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक पहलू की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकें।
- मिल जुल कर कार्यकलाप करने एवं सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए ताकि महिला पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रशासन के विभिन्न तंत्र मिल जुल कर गांव की उन्नति हेतु कार्य कर सकें।

- पंचायत स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण सामाजिक सुरक्षा आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें महिला प्रतिनिधियों के नैसर्गिक संवेदनापूर्ण व्यवहार का विशेष योगदान हो सकता है।
- महिला एवं बाल विकास से संबंधित अनेक समस्याओं को जन सहभागिता के द्वारा पंचायत में उठाया जाना चाहिए। चुनी हुई महिला प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की महिलाओं से संपर्क करके उनकी समस्याओं को समझे तथा उन समस्याओं को पंचायत की बैठक में उठाकर निर्णय लें, ताकि लोगों को अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके।

महिला पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण एवं पंचायत के प्रत्येक कार्य में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले इन महिला प्रतिनिधियों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में शिक्षित एवं जागरूक करना होगा। अनेक महिला संगठनों तथा सरकारी अभिकरणों के द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने में तथा चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा पंचायत व्यवस्था के विषय में शिक्षा देना जरूरी है। इसके अलावा इन महिलाओं को विभिन्न विकास कार्यक्रमों की नीतियों और महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित विषयों से अवगत कराना भी जरूरी है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को अधिकार संपन्न तो बना दिया गया है, परंतु उनकी अधिकारी संपन्नता के परिणाम तभी दिखाई देंगे, जब उन्हें ग्रामीण विकास तथा महिला विकास के प्रति जागरूक बनाया जायें, इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। सरकार प्रशिक्षण के महत्व को ध्यान में रखकर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों में चुनी हुई महिला जन-प्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हें विकास के विविध पहलुओं से भी परिचित करा सकता है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके अधिकार, कर्तव्यों तथा पंचायतीराज व्यवस्था की जानकारी देने में सुधार करना, नये कौशल सिखाना, उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना और विकास की संभावनाओं के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करने में सामाजिक कार्यकर्ता समाजकार्य की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग कर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण करने में मदद कर सकता है, ताकि हमारी पंचायतों की महिला प्रतिनिधि देश का विकास करने में अपना सहयोग दे सकें।

इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न प्रयास कर सकता है—

- महिला पंचायत प्रतिनिधियों को साक्षर एवं शिक्षित करके, ताकि उनकी वैचारिक समझ में बढ़ोत्तरी हो सके व उनकी जड़ मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सके।
- महिला पंचायत प्रतिनिधियों को शासकीय नीतियों, उनके कर्तव्यों, अधिकारों के प्रति जागरूक करके।
- महिला पंचायत प्रतिनिधियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करके, ताकि वे

अपने गांव की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने में अपना योगदान दे सके ।

- महिला पंचायत प्रतिनिधियों को कानूनों की जानकारी देकर, ताकि उनके अंदर आत्म विश्वास जाग्रत हो सके और वे विपत्ति की शिकार निराश्रित व बेसहारा पीड़ितजनों की मदद कर सकें व उनमें व्याप्त धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास दूर हो सके ।
- प्रदर्शनी, कांफ्रेंस, सेमिनार, रोड शो आदि का आयोजन करके लोगों को जागरूक करके ।
- प्रशासकीय सेवा को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करके ।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराके, स्वयं सहायता समूह का गठन करके एवं उनके विकास में महिला प्रतिनिधियों की सहायता करके ताकि उनको बेहतर जीवन दशाएँ प्राप्त हो सके ।

मुख्य बिन्दु –

27 अगस्त 2009 को ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु किया गया प्रथम प्रयास, आरक्षण 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत,

सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर किये गये संशोधन, संवैधानिक प्रयास, महिला भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

- डॉ.नीलिमा कुंवर एवं सीमा कनौजिया, (1998), कुरुक्षेत्र, माह सितम्बर, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- नीलिमा अग्रवाल, (2005), कुरुक्षेत्र, माह नवम्बर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- सुरेन्द्र कटारिया, (2005), कुरुक्षेत्र, माह नवम्बर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय, (2006), कुरुक्षेत्र, माह अगस्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- निर्मल कुमार आनन्द (2007), कुरुक्षेत्र, माह मई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- डॉ.आर.वी. सिंह (2008), भारत में महिला सशक्तिकरण, श्री जी पब्लिशर्स, नई दिल्ली ।
- हस्तक्षेप – पंचायतीराज-महिला सशक्तिकरण (2009), अंक 8 सितम्बर, राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ ।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाएँ – एक विश्लेषण

डॉ. आर. के. आचार्य (वाणिज्य विभाग) प्राचार्य, एम.जी.पी.जी. कॉलेज, करेली

“गांव” यह राष्ट्र की लघुतम इकाई है। इस इकाई की प्रगति में ही राष्ट्र की प्रगति निहित है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यही आकृति मध्यप्रदेश की भी है। अतः ग्रामीण विकास की समस्याओं का अध्ययन-मनन देश के दो-तिहाई लोगों एवं मध्यप्रदेश की दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या का अध्ययन-चिंतन है। आज बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारतीय परिवेश की पृष्ठभूमि में हो रहे व्यापक प्रयोग एवं परिवर्तनों के अनुभवों को प्रकाश में लेकर समग्र ग्राम विकास की संकल्पना पर विचार आवश्यक है क्षुधा-मुक्त, रोग-मुक्त, शिक्षायुक्त, सम्पन्न एवं स्वावलम्बी गांव की संकल्पना वास्तविक में अभी अधूरी है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसे सर्वाधिक ग्रामीण आबादी और कठिनाईयों वाला हिस्सा भौगोलिक रूप से प्राप्त हुआ। वर्ष 2000 में पुनः विभाजन होकर प्रदेश से छत्तीसगढ़ नाम के नए प्रांत का उदय हुआ। मध्यप्रदेश में जिस आर्थिक विकास की संकल्पना को लेकर योजनाएं प्रारंभ की गईं उसे शहरी जीवन तो विकास के पहिए में दिखने लगा लेकिन ग्रामीण विकास आज भी अपनी बाट जोह रहा है।

मध्यप्रदेश देश में विगत एक दशक से तेजी से उभरता हुआ प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की मानें तो प्रदेश इतिहास के एक अहम मुकाम पर है। प्रदेश की विकास दर यदि 12 प्रतिशत हुई है तो कृषि विकास की दर 8.91 प्रतिशत तक पहुंची है। प्रदेश को कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में प्रदेश का देश में तीसरे नम्बर पर नाम पहुंचा है। क्या सरकार के दावे सही हैं, या ग्रामीण जीवन में आज भी अभाव, गरीबी, असमानता, भेदभाव, अशिक्षा एवं अधो संरचना के विकास का अभाव दिखाई देता है। शहरों से लगे गांवों को छोड़ दें तो दूरस्थ ग्राम्य अंचलों में आज भी कमोवेश यही स्थिति दिखाई देती है।

अनेक प्रश्न सामने हैं –

1. क्या सरकार द्वारा योजनाओं की सफलता या ग्रामीण विकास की स्थिति सत्य है।
2. आंकड़ों में सफलता विद्यमान हैं ? क्या ग्रामीणों के मध्य वास्तव में सरकार द्वारा गरीबी से उपर उठाने एवं प्रेरणा देने के सरकारी प्रयास वास्तविक है।
3. शासन की बी.पी.एल.श्रेणी तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच सका है या कि आज भी गांव पटैल जैसे ओहदे प्रभावी भूमिका में हैं।
4. योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को पाने में मापदण्डों का सही विश्लेषण एवं निर्णयन किया गया है जिससे गरीबों को स्वयं पहल करके लाभ उठाने लायक बना सकते हैं।
5. इलेक्ट्रॉनिक एवं इंटरनेट के साधनों के उपयोग से ग्रामीण विकास को लाभ एवं पारदर्शिता प्राप्त हुई है।
6. पंचायती संस्थाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकरण के वास्तविक लाभ मिलें हैं क्या ?

इन प्रश्नों के उत्तर में आगे उपलब्ध समक क्या कहते हैं ?

केन्द्र सरकार एवं ग्रामीण विकास

2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में से 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। भारत में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन अर्थ प्रयुक्त अवस्था में है। इसके अनेक आर्थिक एवं सामाजिक राजनैतिक कारण हैं। पूँजी का अभाव तकनीकी ज्ञान की कमी, श्रम की अकुशलता आर्थिक क्रियाओं व धीमी गति से विस्तार वोट की राजनीति, उल्लेखनीय घटक हैं जिनमें देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रतिकूलरूप से प्रभावित किया है। देश की ज्वलंत आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का प्रभावी ढंग से निराकरण किया जा सके। योजनाबद्ध

आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य सर्वांगीण विकास का रहा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विषमताओं में कभी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की बुनियादी समस्याओं का हल करने का प्रयास विकास के माध्यम से किया है। ऐसे विकास कार्यक्रमों को विगत पंचवर्षीय योजनांतर्गत सम्मिलित किया गया है ताकि आय, रोजगार व उपयोग स्तरों में यथेष्ट सुधार लाकर लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि लाई जा सके तथा उनके जीवनस्तर के ऊपर उठाया जा सके।

2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 1210193422 करोड है जिसमें पुरुष जनसंख्या 623724248 करोड तथा महिला जनसंख्या 586469174 करोड है। जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 833087662 एवं शहरी जनसंख्या 377105760 है। जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या घट कर 914 रह गई है। देश में कुल साक्षरता 74.04 है। देश की जनसंख्या 1.70 करोड प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

भारत में जनसंख्या आँकड़े (2011 जनगणनानुसार)

क्रं.	विवरण	इकाई	भारत
1	कुल जनसंख्या	संख्या	1210193422
	ग्रामीण	संख्या	833087662
	नगरीय	संख्या	377105760
2	जनसंख्या वृद्धि		
	ग्रामीण	प्रतिशत	18.7
	नगरीय	प्रतिशत	29.9
3	ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात		
	ग्रामीण	प्रतिशत	68.84
	नगरीय	प्रतिशत	31.16
4	साक्षरता दर		
	ग्रामीण	प्रतिशत	68.9
	नगरीय	प्रतिशत	85.0

5	स्त्री पुरुष अनुपात संख्या		
	ग्रामीण संख्या	(हजार)	947
	नगरीय संख्या	(हजार)	926

मध्यप्रदेश सरकार – ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाय

शिक्षा – पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि साक्षरता दर के उपरांत भी लगभग आधी महिलायें निरक्षर हैं। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास की अभी भी आवश्यकता है।

प्रारंभिक शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2012-13 के लिये स्वीकृत 4196.88 करोड़

उच्च शिक्षा – उच्च शिक्षा द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल तक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 43 नवीन महाविद्यालय तथा 10 निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल और छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात का लक्ष्य 25 प्रतिशत रखा गया है, म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं। वर्ष 2011-12 में ही 16.09 प्रतिशत सकल पंजीयन अनुपात प्राप्त कर चुका है।

रूपये के विरुद्ध 2426.50 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई।

माध्यमिक शिक्षा – 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति में राज्य में 7101 हाई स्कूल एवं 5832 हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं। हाई स्कूलों में 21.98 लाख तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में 15.42 लाख छात्र-छात्राये अध्ययनरत हैं हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कुल बालकों का नामांकन 22.83 लाख हैं जिसमें से अनुसूचित जाति के 4.36 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 3.13 लाख बालक हैं। इसी अवधि में छात्राओं का नामांकन क्रमशः 14.57 लाख, 2.96 लाख एवं 1.95 लाख रहा। हाई स्कूल में 56.12 हजार शिक्षक एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल में 68.11 हजार शिक्षक कार्यरत हैं।

स्वास्थ्य –

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम – 2013 तक 292.66 हजार नसबंदी ऑपरेशन किये गये। इसके अलावा 346.90 हजार कापरटी एवं 170.49 हजार हितग्राहियों को निरोध सेवाये दी गई है।

दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना – योजनान्तर्गत अभी तक 39.41 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। योजनान्तर्गत 189.06 करोड़ रूपये व्यय कर 58.85 लाख परिवार स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये हैं। वर्ष 2012-13 में दिसम्बर, 2012 तक 16.45 करोड़ रूपये व्यय कर 4.91 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना – जुलाई 2011 से प्रारंभ की गयी है । वर्ष 2011-12 में प्रदेश के 1.56 हजार हितग्राहियों को लाभांशित कर 13.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये । वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर 2012, तक 820 हितग्राहियों को लाभांशित कर 6.35 करोड़ रुपये व्यय किये गये है ।

म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि – योजना प्रारंभ से दिसम्बर 2012 तक प्रदेश में 12.04 हजार हितग्राहियों को लाभांशित किया गया है । वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 3.70 हजार हितग्राहियों को लाभांशित कर 34.29 करोड़ रुपये व्यय किये गये है ।

मातृ स्वास्थ्य सेवायें – वर्ष 2013 में 750 बीमॉक संस्थाओं के विरुद्ध अबतक 492 बीमॉक संस्थाएँ क्रियाशील हो चुकी है। 3 जिला चिकित्सालयों (गुना, शिवपुरी एवं सीहोर) में मेटरनिटी विंग स्थापित की गई है । 46 जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक एवं 65 सीमॉक संस्थाओं में ब्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील की गई है ।

शिशु स्वास्थ्य सेवायें – वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 50 जिलों में से 39 जिलों में एस.एन.सी.यू. क्रियाशील किये गये हैं । वर्ष 2012 तक 280 पोषण पुनर्वास केन्द्र क्रियाशील किये जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 में माह नवम्बर, 2012 तक कुल 45.04 हजार गंभीर कुपोषित बच्चों को उपचारित किया जा चुका है ।

जननी एक्सप्रेस योजना – वर्ष 2011-12 में माह दिसंबर तक जननी एक्सप्रेस योजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 313 विकासखंडों में 766 वाहनों के माध्यम से लगभग 51 प्रतिशत महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु निशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष

2012-13 में माह दिसम्बर तक प्रदेश में लगभग 832 वाहनों के माध्यम से जननी एक्सप्रेस योजना के लगभग 57 प्रतिशत महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु निशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध कराया गया है एवं 27 प्रतिशत महिलाओं को प्रसव पश्चात् संस्था से निवास तक छोड़ा गया है ।

शिशु स्वास्थ्य – वर्तमान में प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 59 प्रति हजार जीवित जन्म है। शिशु मृत्यु दर में विगत वर्षों में निरन्तर कमी आ रही है। वर्ष 2005 में प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 76 प्रति हजार जीवित जन्म थी, जो वर्ष 2011 में 59 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है (एस. आर.एस. 2012)। वर्ष 2010 (एस.आर.एस. 2011) में शिशु मृत्यु दर में 5 अंकों की गिरावट आई थी (67 से 62), जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट थी।

श्रम

ग्रामीण श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी – कृषि नियोजन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किये जाने तथा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के फलस्वरूप 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 3720.00 रुपये प्रतिमाह अथवा 124.00 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन देय हुआ । इसी प्रकार 1 अक्टूबर 2012 से 3966 रुपये प्रतिमाह अथवा 132 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है । जो सितम्बर 2013 से प्रभावशील है ।

बाल श्रम – प्रदेश के 17 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित है । बाल श्रम पुनर्वास हेतु परियोजनांतर्गत वर्तमान में संचालित 442 विशेष विद्यालयों में 18.67 हजार कार्यरत कामकाजी बच्चों को दाखिला दिलाया गया । इसके पूर्व 29.24 हजार बच्चों को विशेष विद्यालयों से मुख्यधारा के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है ।

रोजगार

बेरोजगारी की स्थिति – राज्य में स्थित रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2011 में 5.37 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया था । वर्ष 2012 में (जून, 2012 तक) की अवधि में लगभग 2.83 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया । रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2011 के अंत में 20.02 लाख थी, जो बढ़कर वर्ष 2012 (जून, 2012) के अंत में 20.67 लाख हो गई जो गत वर्ष से 3.25 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2009–2010 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 8.47 लाख व्यक्ति कार्यरत थे, जिसमें 1.21 लाख महिलायें थी, जबकि वर्ष 2010–11 की अवधि में इनकी संख्या बढ़कर 8.50 लाख हो गई, किन्तु महिलाओं की संख्या घटकर 1.20 लाख रह गई है ।

रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास – प्रदेश में स्थित 48 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2012 में (जून 2012 तक) 4.0 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । वर्ष 2011 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये कुल 7.0 हजार व्यक्तियों में से 350 महिलाये, 1487 अनुसूचित जाति एवं 1632 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे । वर्ष 2012 में (जून, 2012 तक) रोजगार कार्यालय के माध्यम से 261 महिलायें, 552

अनुसूचित जाति एवं 658 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) – मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक विश्व बैंक पोषित योजना है । स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाना परियोजना का उद्देश्य है । परियोजना का द्वितीय चरण माह अक्टूबर, 2009 से म.प्र. के चयनित 14 जिलों के 53 विकासखंडों के 4888 ग्रामों में क्रियान्वित किया जा रहा है । पांच वर्षीय परियोजना की लागत लगभग 540 करोड़ रुपये है ।

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाय) – ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है । वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत 355.51 करोड़ रुपये के विरुद्ध 317.55 करोड़ रुपये व्यय किया गया, तथा 76.10 हजार आवासों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 72.13 हजार आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया । वर्ष 2012–13 में माह नवम्बर 2012 तक योजनान्तर्गत 246.84 करोड़ रुपये के विरुद्ध 208.86 करोड़ रुपये का व्यय किया जाकर 84.36 हजार आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 34.76 हजार आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) – योजना प्रदेश में तीन चरण में लागू की गई है । प्रथम चरण में 18 जिले, द्वितीय चरण में 13 जिले एवं तृतीय चरण में 17 जिलों में योजना प्रारंभ की गई । वित्तीय वर्ष 2010–11 से तृतीय चरण में 2 जिले अलीराजपुर एवं सिंगरौली की प्रगति पृथक से

अंकित करते हुये समस्त 50 जिलों में योजना चल रही है ।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम – वित्तीय वर्ष 2012-13 माह दिसम्बर, 2012 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से प्राथमिक शाला के 57.51 लाख तथा माध्यमिक शाला के 27.02 लाख लक्षित विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

निर्मल भारत अभियान (टीएससी) – निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 4.72 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक बी.पी.एल. शौचालय, 4.56 लाख व्यक्तिगत ए.पी.एल. शौचालय, 43.69 हजार स्कूल शौचालय एवं 1.86 हजार आंगनवाड़ी शौचालय तथा 140 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मित किये गये। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 20685.55 लाख रुपये की (केन्द्रांश+राज्यांश) राशि विमुक्त की गई तथा 22856.10 लाख रुपये (केन्द्रांश+राज्यांश) व्यय किया गया। वर्ष 2012-13 में 2.33 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक बी.पी.एल. शौचालय, 1.58 लाख व्यक्तिगत ए.पी.एल. शौचालय, 982 हजार स्कूल शौचालय एवं 594 आंगनवाड़ी शौचालय तथा 52 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मित किये गये। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 30286.39 लाख रुपये की (केन्द्रांश+राज्यांश) राशि विमुक्त की गई तथा 13763.12 लाख रुपये (केन्द्रांश+राज्यांश) व्यय किया गया ।

लाइली लक्ष्मी योजना – बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाइली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है।

जन्म 1 जनवरी, 2006 या उसके बाद हुआ हो इस योजना हेतु पात्र है। लाइली लक्ष्मी योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में 3.80 लाख बालिकाओं को 694.60 करोड़ रुपये व्यय कर लाभान्वित किया गया जबकि वर्ष 2012-13 के माह अक्टूबर, 2012 तक 1.27 लाख बालिकाओं को 313.71 करोड़ रुपये व्यय कर लाभान्वित किया गया ।

किसान क्रेडिट कार्ड – बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे कार्ड का विवरण तालिका 24 में है। बैंकों द्वारा वर्ष 2011-12 में लक्ष्य की 120.24 प्रतिशत पूर्ति की गई थी जबकि वर्ष 2012-13 की प्रथम छःमाही में 45.59 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की गई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :-

म.प्र. में ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अनेकों कारगर योजनाएँ लाई गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अधो संरचना का निर्माण करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिए म.प्र. में यथा म.प्र. जिला गरीबी उन्मूलन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना फेमवर्क रीजन, ग्राण्डफण्ड योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आदि अनेकों तरह की योजनाएँ हैं यदि इन पर ठीक ढंग से नियंत्रण एवं नियोजन द्वारा क्रियान्वयन हो तो 8 से 10 वर्षों में म.प्र. का

नक्शा बदल सकता है। व्यक्ति सहायता एवं सामाजिक सरोकार अन्तर्गत राज्य बीमारी सहायता, तीर्थ दर्शन योजना, सरदार पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना, कन्यादान, लाडली लक्ष्मी योजनाओं ने देशभर में ख्याति अर्जित की है। इसी प्रकार समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूँ खरीदी तथा 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजनाओं ने किसानों को सम्बल प्रदान किया है।

म.प्र. की योजनाओं हेतु सुझाव :-

1. ग्राम शिक्षा पर विशेष ध्यान :- पुस्तकीय ज्ञान में तो प्रदेश में वृद्धि हो रही है लेकिन उसका लाभ ग्राम्य जीवन को नहीं मिल रहा है क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कार शिक्षा आ आभाव है। नैतिक शिक्षा द्वारा अपने धर्म, संस्कृति के प्रति ज्ञान मुक्त श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति इसके आधार पर राष्ट्रीय जीवनादर्श और इसके द्वारा विद्यार्थियों को उत्तम नागरिक बनाने की प्रेरणा मिलती है इस से सदाचार एवं सद्गुणों का विकास होता है। आज पर्यावरण चेतना की आवश्यकता है।
2. बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रयत्न - ग्राम एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने हेतु तथा/मुरीर उपक्रमों के नवाचार माध्यमों से रोजगार मूलक योजनाएँ सरकार के द्वारा लाई जानी चाहिए तथा हस्त कला, हस्तकारी, लकड़ी, मिट्टी, लाख आदि के खिलौने कलात्मक वस्तुएँ आदि के विकास हेतु छोटे-छोटे प्रशिक्षणों के माध्यम से जागृति लाना और उन्हें बाजार उपलब्ध कराना।
3. ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु प्रयास - कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना और विकास की पहल आज भी यथाथ रूप में अधूरी है। कार्य तो हो रहे हैं लेकिन नाकामी है इनमें तेजी लाने की आवश्यकता है। पुनः क्रमबद्ध

विकास योजनाएँ चुनिंदा गाँवों, जिलों से प्रारंभ होनी चाहिए।

4. जनसंख्या नियंत्रण - यद्यपि गाँवों में भी अब छोटे परिवार की संकल्पना का चित्र स्पष्ट हो गया है लेकिन इसके बावजूद अभी और प्रयास की आवश्यकता है शासकीय सहायता एवं योजनाओं का लाभ उन परिवारों को ज्यादा देना चाहिए जो जनसंख्या नियंत्रण में सहभागी हो रहे हैं।

5. शासन द्वारा प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन :- गाँवों में पंचायत के माध्यम से कुछ योजनाओं के प्रशिक्षण प्रारंभ हुए हैं लेकिन वह अधिकारी अपने संयम एवं तिथि अनुसार आयोजित करते हैं जिससे लाभार्थी वर्ग सम्मिलित हो नहीं पाता है। संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी मानिट्रिंग की जानी चाहिए जिससे वास्तविक लक्ष्य को पाया जा सके।
6. जनकारियों का स्पष्ट सरल प्रभाव :- सूचनाओं/जानकारियों का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों के माध्यम से विभिन्न परियोजना प्रोफाईल, योजना क्रियान्वयन, कृषि उत्पादों की उचित बाजार की सूचनाओं की उपलब्धता, कच्चा माल, यातायात संसाधन आदि की जानकारी किसानों तक सुगमता से पहुँचे इस के लिए आधार मूलक संरचना बनाई जानी चाहिए तभी योजनाओं का सही क्रियान्वयन एवं लाभ मूल हितग्राहियों तक पहुँच सकता है।
7. पंचायत स्तर का नियोजन - जब तक ग्राम्य जीवन में ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने की ओर शासन का ध्यान नहीं

होगा। परियोजना अधिकारियों/सरपंचों का ग्रामवासियों से सीधा संबंध होना चाहिए तथा क्रियान्वयन में नैतिक कर्तव्य का स्मरण हमेशा बना रहना चाहिए तभी योजनाएं सकलीभूत होंगी।

8 पात्र/अपात्र का चयन युक्तिमुक्त – अपात्र व्यक्ति अपने प्रभाव एवं आर्थिक लाभ के आधार पर पात्र बन जाते हैं इन सबसे योजनाओं के वास्तविक लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। और शासन के धन का दुरुपयोग भी होता है।

9 एन.जी.ओ. का मायाजाल – विगत कुछ वर्षों से ग्रामों अनेक एन.जी.ओ. सक्रिय हो गए हैं जो शासन की योजनाओं में ग्रामीणों की सहभागिता दर्शाकर आर्थिक लाभ व्यक्तिगत रूप से उठाते हैं और बहुत कम हिस्से में ग्रामीण जनों को योजनाओं का लाभ लेने देते हैं। इस पर प्रभावी नियंत्रण नियोजन हो।

8. बैंकिंग संस्थाओं की सहभागिता – बैंकिंग सेक्टर के द्वारा ग्रामीण योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष सहभागिता से अच्छे परिणाम आ सकते हैं जिनका वास्तविक हितग्राही लाभ लेकर ग्रामीण विकास में हिस्सेदार हो सकते हैं।

9. कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी – ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों की तुलना के लिए कोई वैज्ञानिक फार्मूला अभी तक नहीं है आर्थिक सांख्यिकी विभाग के संयमों के संकलन में उपलब्ध आंकड़ों का प्रकाशन केवल होता है। जबकि इन योजनाओं/कार्यक्रमों के निरन्तर मूल्यांकन की आवश्यकता है जिससे योजनाओं के स्तर या सफलता का क्रम निर्धारण ठीक हो सके। तथा विविध योजनाओं की आवंटन राशि आदि में परिवर्तन की रूपरेखा भी बनाई जा सकती है।

10. ग्रामीण बेरोजगारी हल के प्रयास – ग्रामीण विकास में सर्वाधिक बाधा वर्षभर रोजगार की उपलब्धता का न होना भी एक कारण है। बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता है। नवाचार के माध्यम से तथा मनरेगा आदि योजनाओं से प्रभाव तो हुए हैं लेकिन सार्थक परिणाम दिखाई नहीं देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिवेदीआर.एस.रिसर्च मैथडोलॉजी साहित्य पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा, 2001

2. नायक राशि, म.प्र. आर्थिक विकास म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2002

3. अग्रवाल जे.के. ग्रामीण विकास एक अध्ययन सनराईज पब्लिकेशन जयपुर 2002

4. शर्मारमेशचंद, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, जैन भारतीय प्रकाशन मेरठ 1998

5. पांडे पी.एन. "ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मकपरिवर्तन" रावतपब्लिकेशन जयपुर 2006

6. Upadhyay Rakes : Integrated Rural Development] Himalya Publishing House Bombay.

Web Sites :

1. www.censusindia.net

2. www.mp.gov.in/sp6

3. www.censusmp.gov.in

4. www.rural.nic.in

5. www.mpinfo.org

अन्य प्रकाशन / पत्र-पत्रिकाएँ / रिपोर्ट

7. म.प्र. शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 2001 से 2013 तक।

8. ग्राम विकास एक झलक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली।

9. सुशासन की नई पहल, म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधि. 2010, म.प्र. शासन भोपाल।

आधुनिकीकरण एवं संचार व्यवस्था का महिलाओं पर प्रभाव

रेणुका लारिया अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र एवं
समाज कार्य विभागरानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

आधुनिक समय में संचार व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। संचार व्यवस्था के अनेक माध्यमों ने पूरे देश में जाल बना रखा है जिससे कोई भी खबर या समाचार हमें देश के कोने-कोने तक शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। इन माध्यमों में मुख्यतः टी.वी., रेडियो, पत्र-पत्रिकाएं, अखबार, फिल्म आदि शामिल हैं जिससे जनता सीधे संपर्क में आती है। इन्हीं माध्यमों के जरिये लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ रहा है।

संचार के माध्यम

संचार के मुख्यतः तीन पहलु होते हैं, वैयक्तिक, सामूहिक और जनसंचार। जाहिर है जनसंचार का दायरा व्यापक है इनमें जिम्मेदारी अपरिहार्य है। एक नेता के भाषण देने से लेकर अखबार में छपी खबर, गांव में नौटंकी का अयोजन, रेडियो पर प्रसारित वार्ता, फिल्म या टी.वी. के पर्दे का दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतियां, चौराहे पर लगा विज्ञापन पट्ट आदि सब जनसंचार के अंतर्गत आते हैं अर्थात् जिसमें पाठक, श्रोता, दर्शकों की संख्या विशाल हो। यह माध्यम किताबे, नाटक, स्वांग, कठपुतली, प्रदर्शनी, स्लाइड शो, पोस्टर, कम्प्यूटर सभाएं आदि भी हो सकते हैं। इस तरह कई मायनों में ऐसा संचार संवेदनशील भी होता है। इधर ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक

तकनीकों का विकास होता जा रहा है, इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर नवीनता, सूक्ष्मता और विविधता दिखाई देती जा रही है।

¹³परम्परागत समाज में साक्षरता और सूचना सम्प्रेषण के साधनों के पारस्परिक संबंध को दर्शाते हुए लिखा है कि सम्प्रेषण के साधनों द्वारा साक्षरता का विकास होता है और साक्षरता के विकास द्वारा सम्प्रेषण के साधनों का और अधिक उपयोग होता है। अतः सम्प्रेषण के साधनों का विस्तार और उसमें सहभागिता, नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है।

सामान्यतौर पर जनसंचार माध्यम महिलाओं के पारम्परिक और संकुचित रूप को ही दिखाते आये हैं। पुत्री को पुत्र से हीन मानना, महिलाओं द्वारा संतान के रूप में पुत्र की कामना करना, पुत्रियों को जन्म से ही उनके दहेज और विवाह की चिन्ता करना, सौन्दर्य और मातृत्व के गौरवगान से महिलाओं को अलंकृत करना, उनका कार्य क्षेत्र घर के चार-दीवार तक सीमित करना आदि परम्परागत और विरोधी अवधारणा है।

ऐसा नहीं है कि संचार माध्यमों क द्वारा हर ओर महिलाओं की उपेक्षा ही है। इसी मध्य तमाम ऐसे सकारात्मक सार्थक

कार्यक्रम सामग्री दृष्टिगोचर हुई हैं जो महिलाओं व उनसे जुड़ी समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जनसंचार मानव समाज का जाल है।

¹⁴प्रत्येक सामाजिक क्रिया किसी न किसी प्रकार सम्प्रेषण की प्रक्रिया से संबंधित है। इनके तहत कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ, सफल महिलाओं से स्वास्थ्य, प्रजननता एवं परिवार नियोजन के प्रति महिलाओं का निर्णय-प्रारूप संवाद, महिला विषयों पर खुली परिचर्चा अथवा धारावाहिक वृत्तचित्र के रूप में अनेक कार्यक्रम सामने आये हैं। इसे समाज के एक बड़े वर्ग में पसंद किया गया है, किन्तु कोई ठोस या दीर्घकालीन नीतिगत योजना इस दिशा में नहीं आ सकी है। सूचना संचार व्यवस्था हमारे 'सामाजिक पर्यावरण' का एक आवश्यक एवं सर्वव्यापी अंग है।

¹⁵इससे जनसाधारण में जानकारी व जनचेतना प्रसारित की जाती है।

आधुनिकीकरण

हमारे देश में आधुनिकीकरण के अनेक आदर्श पश्चिमी देशों से लिये गये हैं। लेकिन उनका स्वरूप अधिकांशतः देशी है। यहां के शिक्षित वर्ग के पश्चिमी शिक्षा मिली थी, फिर भी इन्होंने आश्चर्यजनक ढंग से परम्परागत, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों का पोषण किया, इन्होंने भारत के वर्तमान एवं भावी विकास के परम्परागत

तथा आधुनिकवाद दोनों के ही मूल्यों एवं विश्वासों का सम्मिलन करने का प्रयास किया।

¹⁶संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है। उन्होंने आधुनिकीकरण को निम्न भागों में बांटा है (क) भौतिक संस्कृति, जिसमें हम तकनीकी को भी सम्मिलित करते हैं (ख) सामाजिक संस्थाएं (ग) ज्ञान, मूल्य एवं मनोवृत्तियां। यद्यपि यह तीनों एक दूसरे से पारस्परिक रूप से संबंधित हैं फिर भी इनमें कुछ सीमा तक अपनी स्वतंत्रता भी है। आधुनिकीकरण के विभिन्न आयाम हैं। इसको समाज समूह या व्यक्ति के स्तर पर समझा जा सकता है, इसको आर्थिक आधुनिकीकरण, राजनैतिक आधुनिकीकरण कोई दर्शन दर्शन या आंदोलन नहीं है, जिसमें स्पष्ट मूल्य व्यवसायी हो। यह तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है।

¹⁷आजकल आधुनिकीकरण शब्द को वृहद अर्थ दिया जाता है। इसको एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन माना जाता है जिसमें विज्ञान व तकनीकी के तत्व शामिल होते हैं। आधुनिकीकरण सामाजिक संगठन के संरचनात्मक पक्ष और समाजों के सामाजिक जनसंख्यात्मक दोनों पक्षों की व्याख्या करता है।

¹⁸आधुनिकीकरण सभ्यता की ओर संकेत करता है। भारत में 1946 तक यहां

किसी भी क्षेत्र में कोई आधुनिक शिक्षा संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा बहुत विकसित नहीं थी। गांवों से शहर जाने वाले मार्ग व यातायात सुविधा भी नियमित नहीं थे। 1950 के बाद विशेषकर 1956 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया तब कुछ गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार के केन्द्र खोले गये। स्वास्थ्य केन्द्र लगभग हर बड़े व मध्य स्तर के ग्रामों में खोले गये। 1960 और 1965 के मध्य गांवों में विद्युतधारा पहुंचाई गई जिससे कई गोवों को रोशनी मिली। बहुत सी नई कृषि तकनीक, खाद, बीज आदि को अपनाया जाने लगा। 1965 तथा 1970 के बीच कई कल्याण कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तार किया गया। धीरे-धीरे नगरों की संख्या बढ़ती गयी तथा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ। विचारों में परिवर्तन व प्रगति आधुनिकीकरण की प्रथम आधारशिला है। आधुनिकीकरण का प्रभाव महिलाओं पर भी देखा जा सकता है। जो महिलाएं शिक्षित व सम्पन्न परिवार से हैं उनके विचार काफी हद तक आधुनिक हो जाते हैं। वे प्राचीन अंधविश्वासों व परम्पराओं को आधुनिकीकरण एवं संचार व्यवस्था का महिलाओं पर प्रभाव नहीं मानती हैं और अपने से संबंधित निर्णय स्वयं लेने में काफी सक्षम हैं। परन्तु दुर्भाग्य से भारत में महिलाओं से जुड़े प्रश्न चाहे वह शिक्षा से हो या समानता से, सुरक्षा के अधिकार से हो या स्वास्थ्य से, सभी नरेशों पर इनकी उपेक्षा की जाती है, जो कि निःसंदेह चिंतनीय है। इनमें ग्रामीण महिलाएं

सर्वाधिक उपेक्षित हैं। भ्रूण हत्याएं, बाल हत्याएं, दहेज उत्पीड़न, नारी हिंसा, बाल श्रम जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो कर्तई महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं।

¹⁹अपने एक लेख (हेल्थ मार्डिनिटी, कान्सेप्ट एण्ड कोरिलेट्स) में लिखा है कि "स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए परिवार नियोजन एक मुख्य तरीका है। उनके अनुसार आधुनिकता के अन्य आयाम एक-दूसरे से अन्तः संबंधित व प्रभावित होते हैं।" इस प्रकार आधुनिकता परिवार नियोजन से सकारात्मक रूप से जुड़ी है अर्थात् आधुनिक व्यक्ति परिवार नियोजन को अधिक अपनाते हैं।

²⁰जनसंख्या सम्प्रेषण व प्रचार माध्यमों का मुख कार्य जनचेतना फैलाना है और आधुनिकीकरण जनचेतना की अभिव्यक्ति है। इन दोनों का प्रभाव देश के हर वर्ग पर पड़ता है। महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। धीरे-धीरे अब वे भी जागृत व अपनी शक्तियों के प्रति सचेत हो रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं पर संचार व आधुनिकता का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

उद्देश्य

1. आधुनिकीकरण एवं संचार का महिलाओं की प्रजनन दर पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करना।

2. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को ज्ञात करना ।
3. परिवार नियोजन पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करना ।
4. मातृ एवं शिशुओं के टीकाकरण की तजानकारी प्राप्त करना ।

उत्तरदाताओं का चयन एवं अध्ययन विधि

उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को जानने के लिये 100 परिवार की (14-49) आयु की महिलाओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया जिसमें समग्र प्राप्त करने के लिये साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया ।

“आधुनिकीकरण एवं संचार-व्यवस्था का महिलाओं पर प्रभाव”

जबलपुर जिले के पनागर विकासखंड में 28.70 प्रतिशत महिलाएं परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रेडियो, टी.वी. कार्यक्रम से प्राप्त

करती हैं, जबकि 18.70 प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक पत्रिका के माध्यम से प्रभावित हैं। पारिवारिक मासिक पत्र-पत्रिकाएं स्वास्थ्य एवं परिवार से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान सरलता से कर देती हैं। 38.00 प्रतिशत महिलाएं डाक्टरों की राय से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं तथा परिवार कल्याण के उपाय को सुरक्षित मानती हैं। जबकि 14.60 प्रतिशत महिलाएं पति के निर्देश पर चलना चाहती हैं और उन्हीं के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य व परिवार नियोजन संबंधी क्रियाओं को सम्पादित करती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक महिलाएं डाक्टरों की सलाह से कार्य करना उचित समझती हैं। रेडियो और टी.वी. के कार्यक्रमों से प्रभावित होने वाली महिलाओं की संख्या भी विशेष उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण है। उपरोक्त विश्लेषण को निम्नांकित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

सारणी

परिवार कल्याण वं स्वास्थ्य ज्ञान को अत्यधिक प्रभावित करने वाले माध्यम

माध्यमों का विकल्प	प्रतिशत
रेडियो, टी.वी. कार्यक्रम से	28.70
परिवारिक पत्रिका से	18.70
डाक्टरों की सलाह से	38.00
पति का निर्देश	14.60
अन्य	-
योग	100.00

स्वैच्छिक संगठन एवं टीकाकरण

स्वैच्छिक संगठनों का प्रयास तथा महिला स्वास्थ्य व मातृ शिशु कल्याण केन्द्र व स्वयं सेवी प्रयास इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में स्वैच्छिक प्रयासों का आधार मानव सेवा के नैतिक उद्देश्य से प्रेरित रहा है। दीन-दुखियों की सहायता हो या माता-शिशु के प्रसवोपरान्त चिकित्सीय देखभाल, सभी कुछ स्वैच्छिक प्रयास के आधार पर होता आया हैं। स्वैच्छिक प्रयास व महिला संगठन महिलाओं व बच्चों से संबंधित एक स्वयंसेवी प्रयास है, एक कर्त्तव्य है जिसमें सेवा भाव निहित होता है। बच्चों की देखभाल, टीकाकरण, उचित परिस्थिति में प्रसव तथा अन्य रोगोपचार हेतु ये संस्थाएं कटिबद्ध हैं। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में इनकी पहुंच जरूरतमंदों तक अवश्य पहुंच जाती है

अथवा स्वयंसेवी संगठन जरूरतमंदों की आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश करते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन से ज्ञात होता है कि 88.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने यह स्वीकार किया है कि महिला संगठनों तथा स्वैच्छिक स्वास्थ्य व मातृ-शिशु कल्याण संस्थाओं द्वारा किये गये टीकाकरण व देखभाल से वे प्रभावित हैं। जबकि 12.00 प्रतिशत महिलाएं इस स्वैच्छिक संगठन से व महिला कल्याण केन्द्र के क्रियाविधि से प्रभावित नहीं है।

अतः तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाएं स्वास्थ्य व मातृ कल्याण एवं शिशु कल्याण केन्द्रों द्वारा किये टीकाकरण व देखभाल से प्रभावित हैं और उसका लाभार्जन कर चुकी है। उपरोक्ता तथ्यों का विश्लेषण निम्नांकित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है -

सारणी

स्वैच्छिक संगठनों तथा महिला स्वास्थ्य व मातृ-शिशु संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित टीकाकरण व देखभाल एवं प्रभाव

कथन	प्रतिशत
हाँ	88.00
नहीं	12.00
योग	100.00

शिक्षित महिलाएं एवं प्रजननता के प्रति जागरूकता

आज आजादी के स्वर्ण जयंती बीत जाने के बाद भी हम यह सोचने के लिए बाध्य हैं कि साक्षरता के क्षेत्र में हम कहां

से कहां तक पहुंचे हैं। साक्षरता के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है, उसे नकारा नहीं जा सकता, किन्तु साक्षरो में पुरुषों की संख्या ही अधिक है, महिलाओं की कम। अभिभावक आज भी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन है। उनका मानना है कि बालिका की शिक्षा पर व्यय संसाधनों की बर्बादी है। समाज यह अनुभव ही नहीं करता कि बालिकाओं की शिक्षा उत्तम समाज बनाने की एक अनिवार्यता है।

शिक्षा मनुष्य के विचार व दृष्टिकोण में तर्कयुक्त परिवर्तन लाता है। जो बालिकाएं व महिलाएं शिक्षित हैं, वे अपने भविष्य, स्वास्थ्य व परिवार तथा परिवार कल्याण की बातें स्वयं सोच-समझ सकती हैं। उनमें निर्णय करने की क्षमता का विकास सहजता से हो जाता है। शिक्षित व आधुनिक महिलाएं नौकरी व व्यवसाय को महत्व देकर परिवार की आर्थिक स्थिति में

सहयोग देती हैं। इसी प्रकार वे अपने परिवार को सीमित रखने हेतु भी पूर्ण जागरूक रहती हैं।

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि शिक्षित महिलाएं नियोजन व प्रजननता के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। इसके समर्थन में लगभग 70.00 प्रतिशत महिलाएं अपना मत व्यक्त करती हैं, जबकि 12.00 प्रतिशत महिलाएं इस तथ्य से असहमत हैं कि शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन तथा प्रजननता के प्रति जागरूक हैं। 18.00 प्रतिशत महिलाएं इस बारे में तटस्थ हैं। वे कुछ कह सकने में असमर्थ हैं।

यह आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधुनिक व शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन एवं प्रजननता के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक व सचेत होती हैं। उपरोक्त तथ्यों की विश्लेषण निम्नांकित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

सारणी

आधुनिक व शिक्षित महिलाओं का परिवार नियोजन तथा प्रजननता के प्रति जागरूकता

कथन	प्रतिशत
सहमत	70.00
असहमत	12.00
तटस्थ	18.00
योग	100.00

समस्या एवं चेतना पर प्रभाव :- परिवार नियोजन अपनाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जनसंख्या अतिरेक पर रोक लगाना तो हमारी प्राथमिकता है ही, साथ ही साथ संसाधनों के अभाव तथा प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा कठिन समस्यायें भी इनका मुख्य कारण हैं। महंगाई, बेरोजगारी तथा आर्थिक समस्याओं ने व्यक्तियों को अन्य कई जटिलताओं में जकड़ रखा है।

शिक्षा की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अच्छे स्कूलों में प्रवेश मिलना एक दुरूह कार्य साबित हो रहा है। साथ ही महंगे फीस व किताब-कापियों के व्यय उठाने में अभिभावक बड़ी मुश्किल से समर्थ हो पाते हैं। ऐसे में बड़े परिवार कापालन करना, उन्हें उच्च शिक्षा-दीक्षा व रहन-सहन तथा पोषाहार प्रदान करना

आज के संघर्षमय जीवन को और भी बोझिल बना देते हैं। इन सब समस्याओं ने भी कहीं न कहीं महिलाओं की चेतना को जरूर प्रभावित किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में 60.70 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि महंगाई, बेरोजगारी तथा आर्थिक समस्याओं ने इनकी चेतना को जागृत किया और वे इसी कारण परिवार को बढ़ाना उचित नहीं समझती। 12.00 प्रतिशत महिलाएं शिक्षा समस्या से प्रभावित हैं। 20.00 प्रतिशत महिलाएं अपने पति द्वारा दिये गये निर्देशों के कारण सीमित रखना उचित मानती हैं। 3.30 प्रतिशत महिलाओं की चेतना को सर्वाधिक प्रभावित किया है। उपरोक्त विश्लेषण अधोलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

सारणी

समस्याएं एवं चेतना पर प्रभाव

किन समस्याओं ने आपकी चेतना को प्रभावित किया है?	प्रतिशत
महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या	60.70
शिक्षा समस्या	12.00
पति द्वारा वैयक्तिक दबाव	20.00
आधुनिकीकरण का प्रभाव	4.00
अन्य	3.30
योग	100.00

नव-दम्पति एवं परिवार नियोजन अभिकरण :-आधुनिकीकरण आधुनिक

समय की सर्वाधिक प्रचलित धारणा है। परम्परा से हटकर तर्कयुक्त किया गया

कार्य आधुनिकता की श्रेणी में रखा जाने लगा है। सारी प्राचीन परम्पराएं, आधुनिक पुत्र वधुओं को दशपुत्र होने तथा पुत्रवती होने का आशीष दिया जाता था। पुत्रों का महत्व बहुत अधिक था। परिवार नियोजन उन दिनों उचित नहीं माना जाता था। किन्तु समय के बदलते दौर के कारण परम्पराओं ने आधुनिकता का रूप ले लिया है और इस कारण परिवार नियोजन को अब अनुचित नहीं माना जाता। शिक्षा व आधुनिक विचार से नहीं है। अतः दो पुत्र हो या पुत्री, ये शिक्षित महिलाएं व पुरुष वर्ग अपने परिवार को दो बच्चों से आगे नहीं बढ़ने देते, उन्ही दोनों बच्चों की अच्छी

देखभाल करते हैं। अतः यह देखा गया कि परिवार नियोजन का महत्व शिक्षित व आधुनिक महिलाएं अधिक समझती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में 72.00 प्रतिशत महिलाएं यह स्वीकार करती हैं कि नव-दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन अभिकरण अपनाना, आधुनिकीकरण से धनात्मक रूप से संबंधित है, जबकि 28.00 प्रतिशत महिलाएं इसके विपक्ष में अपना समर्थन देती हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि परिवार नियोजना अभिकरण अपनाना आधुनिकीकरण से धनात्मक रूप से जुड़ा है। उपरोक्त विश्लेषण निम्नांकित सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है—

सारणी

नव-दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन अभिकरण का अपनाना एवं आधुनिकता से धनात्मक संबंध

कथन	प्रतिशत
सहमत	72.00
असहमत	28
योग	100.00

उच्च आधुनिक स्तर की महिलाएं एवं परिवार नियोजन :—उच्च आधुनिक स्तर की महिलाओं में कार्य के प्रति व्यस्तता व जुझारूपन कम होता है। वे अपना हर कार्य नई तकनीकों व उपकरणों द्वारा संपूर्ण करती हैं। शिक्षित होकर अपने बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति वे सहजता से

करती हैं। अधिकांश उच्च आधुनिक स्तर की महिलाएं विलम्ब से विवाह करती हैं। साथ ही प्रथम गर्भ भी वह विलम्ब से धारण करती हैं। उनके लिए संतान की अधिक संख्या प्रतिष्ठा सूचक नहीं है। प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप नये-नये उद्योग धंधे, संचार सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं

आदि से ये महिलाएं काफी प्रभावित रहती हैं। वैयक्तिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में भी बच्चे उनके लिए बाधक सिद्ध होते हैं। अतः अपनी जीवन पद्धति को सुचारु व प्रतिष्ठापूर्ण यापन हेतु कम बच्चों के साथ ही परिवार नियोजन को अपना लेती हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है क्योंकि उन्हें अधिक बच्चों की आवश्यकता ही नहीं है।

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलाएं (76.70) यह मानती हैं कि उच्च आधुनिक स्तर की महिलाएं कम

बच्चों के साथ ही परिवार नियोजन को अपना लेती हैं, जबकि 23.30 प्रतिशत इस तथ्य से सहमत नहीं हैं। वे नहीं मानती कि उच्च आधुनिक स्तर की महिलाएं कम बच्चों के साथ ही परिवार नियोजन को अपनाती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि अधिकांश महिलाएं जो कि उच्च आधुनिकता से जुड़ी हुई हैं, कम बच्चों के साथ ही परिवार नियोजन के अभिकरणों को अपना लेती हैं। उपरोक्त विश्लेषण निम्न सारणी से स्पष्ट किया गया है।

सारणी

उच्च आधुनिक स्तर की महिलाएं एवं परिवार नियोजन

आधुनिक महिलाएं कम बच्चों के साथ परिवार नियोजन को अपनाती हैं।	प्रतिशत
हाँ	76.70
नहीं	23.30
योग	100.00

शिशुओं में मृत्यु-दर एवं महिलाएं
:-हमारी सरकार और देशी-विदेशी सहायता से चलने वाली संस्थाएं हर वर्ष बाल-कल्याण के लिए करोड़ों रुपये आवंटित करते हैं। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया जोर-शोर से प्रचार करते हैं। लेकिन बच्चों का भौतिक व नैतिक विकास कहीं भी होता नहीं नजर आता। शिशुओं की मृत्युदर पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं हो पाया। शिशुओं की मृत्यु के कई कारण हैं, जिनमें अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा

प्रसव करवाना, चिकित्सालयों का अभाव या दूर होना, माताओं का महिला-शिशुओं के प्रति भेद-भाव बरतना तथा स्वच्छता के अभाव आदि ऐसे कारण हैं जिनसे बच्चों का अकाल-मृत्यु हो जाती है।

निम्न आधुनिक स्तर की महिलाएं अशिक्षित या अल्पशिक्षित होती हैं। उन्हें ज्ञात नहीं होता कि बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार प्रदान किया जाये। अज्ञानता के कारण बच्चे कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो

जाते हैं तथा डायरिया, कृमि, खसरा, कालीखांसी, जैसे बीमारियों के चपेट में आकर वे काल-कलवित हो जाते हैं। डॉक्टरों की सलाह भी ये महिलाएं सावधानीपूर्वक नहीं मानती जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय सुविधा नहीं प्रदान की जाती है। अतः कोई दोष उत्पन्न होने पर भी शिशु मृत्यु होने की संभावना रहती है।

प्रस्तुत अध्ययन में 56.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने यह माना है कि निम्न

आधुनिक स्तर की महिलाओं के शिशुओं में मृत्यु-दर तुलनात्मक रूप से ऊंची होती है। जबकि 24.00 प्रतिशत महिलाएं इस तथ्य से असहमत हैं। 20 प्रतिशत महिलाएं इस मामले में कुछ कह सकने में असमर्थ हैं।

अतः निष्कर्ष यह है कि अधिकांश महिलाएं यह स्वीकार करती हैं कि निम्न आधुनिक स्तर की महिलाओं के शिशुओं की मृत्यु-दर अधिक होती है। अधोलिखित सारणी द्वारा उपरोक्त विश्लेषण को प्रदर्शित किया गया है।

सारणी

निम्न आधुनिक स्तर की महिलाएं व शिशुओं में मृत्युदर की संख्या

निम्न आधुनिक स्तर की महिलाओं में शिशु मृत्युदर अधिक होता है।	प्रतिशत
सहमत	56.00
असहमत	24.00
कह नहीं सकती	20.00
योग	100.00

शिशु-मृत्यु की आशंका एवं महिला दृष्टिकोण :-स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में हुई प्रगति ने अनेक समस्याओं की स्थायी समाधान प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी हैं जो पहले की तुलना में और अधिक जटिल हुई हैं। जटिलता के साथ-साथ उनका आकार भी बढ़ा है।

उनमें कुछ ऐसे नये आयाम जुड़े हैं जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गयी थी। शिशु मृत्यु-दर उन्हीं समस्याओं में से एक है। पहले बालिकाओं को जन्म लेने के बाद मृत्यु की नींद सुला दिया जाता था। ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती थी कि वे स्वयं काल का शिकार बन जाती थी। अब तो

उन्हें जनम लेने से पूर्व ही मार दिया जाता है। शिशुओं की मृत्यु माता की कमजोर स्वास्थ्य के कारण भी होता है। साधारणतया निम्न व मध्यम आधुनिक स्तर की महिलाएं परिवार नियोजन के साधन इस कारण नहीं अपनाती क्योंकि उनके मन में भावी संतान की जीवन के प्रति संदेह रहता है। शिशु मृत्यु अधिक होने के कारण वे आपरेशन जैसा प्रजनन निरोधक उपाय नहीं करना चाहती।

प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिशु-दर अधिक होने के भय से निम्न व मध्यम आधुनिक स्तर की महिलाएं परिवार नियोजन के साधन नहीं अपनाना चाहतीं। 46.00 प्रतिशत महिलाएं इस बात से सहमत

हैं कि निम्नवर्गीय महिलाओं में अधिक शिशु मृत्यु दर का भय होता है, जिससे उनका प्रजनन-दर उच्च होता है। 29.7. प्रतिशत महिलाएं इस संबंध में तटस्थ हैं। बकि 24.30 प्रतिशत महिलाएं इससे असहमत हैं कि परिवार नियोजन नहीं अपनाने का कारण शिशु मृत्यु दर का अधिक होना नहीं है।

अतः निष्कर्ष यह है कि निम्न एवं मध्यम वर्गीय महिलाएं परिवार नियोजन कार्यक्रम को इसलिए नहीं अपनाना चाहती क्योंकि उन्हें शिशु की जीवित रहने के प्रति संदेह रहता है। उपरोक्त विश्लेषण को निम्नांकित सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है—

सारणी

अधिक शिशु मृत्युदर एवं निम्न मध्यम आधुनिक स्तर की महिलाओं का दृष्टिकोण

निम्न वर्गीय महिलाओं में अधिक शिशु मृत्युदर का भय होता है।	प्रतिशत
सहमत	46.00
असहमत	24.30
तटस्थ	29.70
योग	100.00

आधुनिकीकरण का प्रभाव एवं परिवार नियोजन :—आधुनिक समाजों में परिवर्तन की इच्छा होती है। इस इच्छा के भी कई कारण हैं। आज भौतिक उत्पादन तेजी से

बढ़ रहा है। अतः नवीन अन्वेषणों से व्यक्ति सम्बद्ध होता जा रहा है, फलतः परिवर्तन की प्रक्रिया की गति बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो परम्पराओं से विशेष

संबंध न रखकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग आधुनिकता और परम्परावादिता में संश्लेषण का समर्थन करते हैं। आधुनिकीकरण का प्रभाव सामाजिक परम्पराओं पर भी पड़ा है।

समाज में आधुनिकता का प्रभाव संचार, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आधुनिकीकरण के कारण ही नव-दम्पतियों ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन को अपना लिया। छोटी परिवार आधुनिकता के संदर्भ में अनुकूल माना जाता है। आधुनिकीकरण के कारण विलम्ब विवाह को प्राथमिकता दी जाती है जिससे बच्चों की संख्या स्वमेव सीमित होती जाती है।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि 210 महिलाएं अर्थात् 70.00 प्रतिशत महिलाएं इस स्वास्थ्य, प्रजननता एवं परिवार नियोजन के प्रति महिलाओं का निर्णय प्रारूप बात से पूर्ण सहमत है कि आधुनिकीकरण का प्रभाव महिलाओं के प्रजनन-दर पर पड़ा है अर्थात् उनका प्रजनन-दर कम हुआ है। जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाएं इस तथ्य से असहमत हैं। 10.00 प्रतिशत महिलाएं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती अर्थात् वे तटस्थ हैं।

अतः निष्कर्ष यह है कि आधुनिकीकरण का प्रभाव महिलाओं के प्रजनन-दर पर पड़ा है। उपरोक्त विश्लेषण निम्न सारणी द्वारा व्यक्त किया गया है—

सारणी

आधुनिकीकरण का प्रभाव महिलाओं के प्रजनन दर पर पड़ा है?

कथन	प्रतिशत
सहमत	70.00
असहमत	20.00
कुछ नहीं कह सकते	10.00
योग	100.00

निष्कर्ष एवं सुझाव :- प्रस्तुत अध्ययन का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवर्तन के नये दौर में महिलाओं पर आधुनिकीकरण व संचार व्यवस्था का व्यापक प्रभाव पड़ा है। संचार

के विभिन्न माध्यमों से महिलाएं परिवार नियोजन व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करती हैं। अधिकांश महिलाएं परिवार कल्याण व स्वास्थ्य के ज्ञान के लिए डाक्टरों की सलाह से तथा महिलाएं रेडियो

एवं टी.वी. के कार्यक्रमों से प्रभावित है। अधिकांश महिला संगठन तथा स्वैच्छिक स्वास्थ्य—मातृ शिशु कल्याण संस्थाओं द्वारा किये गये टीकाकरण व देखभाल से संतुष्ट है क्योंकि महिला संगठन एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों उन्हें तत्काल सेवा उपलब्ध हो जाती है।

अधिकांश महिलाएं जो आधुनिक विचाराधार की एवं शिक्षित हैं, वे परिवार नियोजन तथा प्रजननता के प्रति जागरूकता होती हैं। अधिकांश उत्तरदात्रियों ने इसके पक्ष में सकारात्मक उत्तर दिया है। परिवार नियोजन अपनाने के कई कारण हैं किन्तु महिलाएं इसके पीछे महंगाई, बेरोजगारी व आर्थिक समस्या को मुख्य कारण मानती हैं और इन्हीं समस्याओं ने इनकी चेतना को प्रभावित किया है।

आजकल नव-दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन का उपयोग सामान्य क्रिया है। यह आधुनिकीकरण का पर्याय भी बनता जा रहा है। सर्वाधिक महिलाएं यह स्वीकार करती हैं कि नव-दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन अभिकरण अपनाना आधुनिकीकरण से धनात्मक रूप से जुड़ा है। उत्तरदात्री महिलाओं का मानना है कि उच्च आधुनिक स्तर की महिलाएं कम बच्चों के साथ ही परिवार को अपना लेती हैं जबकि ग्रामीण महिलाएं 3-4 बच्चों के बाद ही परिवार नियोजन के संदर्भ में सोचती हैं।

ग्रामीण व मध्यमवर्गीय स्तर वाली महिलाओं के शिशुओं में मृत्युदर तुलनात्मक रूप से ऊंची होती है। सर्वाधिक महिलाएं इस बात का समर्थन करते हुए मानती हैं कि निम्न आधुनिक स्तर की महिलाओं के शिशुओं में मृत्युदर की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक पायी जाती है, क्योंकि आधुनिक व शिक्षित महिलाएं बच्चों की देखभाल उचित ढंग से डाक्टरों की परामर्श के अनुकूल करती हैं। वे बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति कतई लापरवाई नहीं करती हैं, जिस कारण उनके बच्चों की मृत्युदर निम्न होती है। निम्न मध्यम वर्गीय महिलाएं अपने शिशु की देखभाल इस प्रकार नहीं कर पातीं। अतः उनके जीवन के प्रति सशंकित रहती हैं। अधिकतर उत्तरदात्रियों ने यह स्वीकार किया है कि शिशु मृत्यु दर अधिक होने के भय से निम्न व मध्यम आधुनिक स्तर की महिलाएं परिवार नियोजन के साधन नहीं अपनाना चाहती। उन्हें भावी बच्चों के जीवन के प्रति आशंका रहती है।

समाज में आधुनिकीकरण का प्रभाव संचार, शिक्षा, विचार, दृष्टिकोण, जनसंख्या नियंत्रण आदि सभी पर दिखाई देती है। इसका प्रभाव महिलाओं पर भी स्पष्ट दिखता है। अधिकांश महिलाएं इससे सहमत हैं कि आधुनिकीकरण का प्रभाव महिलाओं के प्रजनन-दर पर पड़ा है अर्थात् उनका प्रजनन-दर अपेक्षाकृत कम हुआ है।

प्रसार-प्रचार, शिक्षा आदि के द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं विशेषरूप से संतानोपत्ति काल में प्रवेश करने वाली तथा

वैवाहिक बंधन में बंधने वाली युवतियों के मन से यह भ्रान्तिमूलक धारणा निकालना होगा कि पुत्रियां पराया धन हैं तथा पुत्र 'कुलदीपक' है। इसके स्थान पर उन्हें पुत्र-पुत्री एक समान हैं की भावना विकसित करनी चाहिए। महिलाओं को

नेतृत्व प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों का लालन-पालन, परिवार आयोजन एवं पोषण के संदर्भ में शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए।

संदर्भ:—

- 1- Modernization of Indian Traditin: Yogendra Singh (2002)
- 2- Communication for development and social change : Jan Servaes (2004)
- 3- Pool IDS (2008): The Role of communication in the process of modernization and technological change.
- 4- Srinivas, M.N. (2002): Social Change in modern India.
5. महिला स्वास्थ्य : शिक्षा प्रसार के आयाम—डॉ. कविता कुमारी (2013)
- 6- Andreas Hers: Reluctant Modernization. (2011)
7. महिला स्वास्थ्य : डॉ. मनजीत विरदी (2011)
- 8- M.N. Krishna Reddy : Fertility and Family Planning Behaviour in Indian Society, (2008).

